खण्ड-198, अंक-10
मंगलवार, 1 आश्विन, शक संवत् 1880
(23 सितम्बर, 1958 ई0)

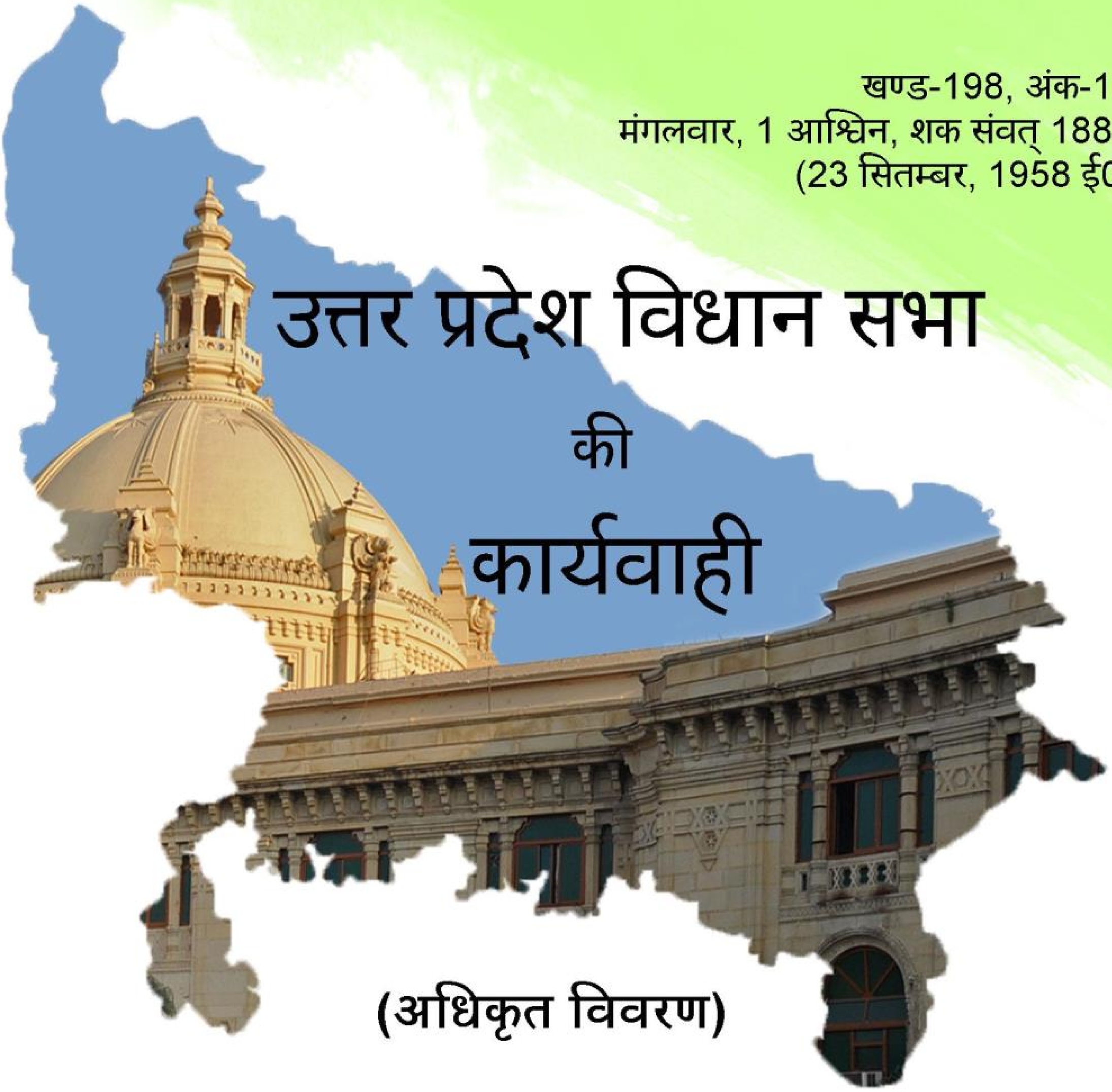

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 198 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (२५८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्मा राम पांडेय, श्री
इरतजाहुसेन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस०अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरन्जन, श्री
चिरन्जीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री

जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
दत्त, श्री एस०जी०
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य,श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेंद्रसिंह भंडारी, श्री
नरेंद्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुबीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमशचन्द्र शर्मा, श्री

राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेंद्रदत्त, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहरमिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अंसारी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेंद्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री

सुल्तान आलम खां, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरिदत्त कांडपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले में कृषि विभाग द्वारा वितरित धान के बीज की शिकायत

**१—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें यह शिकायत प्राप्त हुई है कि बस्ती जिले में कृषि विभाग की ओर से जो बीज इस वर्ष किसानों में Late paddy कह कर बांटा गया था वह Early paddy सिद्ध हुआ?

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां।

**२—श्री रामलखन मिश्र—क्या कृषि मंत्री ने उपरोक्त विषय की जांच जिले पर जाकर की है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

**३—श्री रामलखन मिश्र—क्या उपरोक्त विषय पर कृषि मंत्री कृपया विस्तार से प्रकाश डालेंगे?

श्री मोहनलाल गौतम—इस मामले पर अभी जांच हो रही है इसलिये विस्तार से प्रकाश डालना संभव नहीं है। बस्ती और गोरखपुर के जिला कृषि अधिकारियों और गोरखपुर के अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी को मुअत्तल कर दिया गया है और यह आदेश भी दे दिया गया है कि जो बीज नहीं रोपा गया उसकी वसूली माफ कर दी जाय।

श्री रामलखन मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जांच में यह बात उनकी जानकारी में आयी कि उस धान को पहचानने में डिप्टी डाइरेक्टर और रिसर्च स्टेशन्स, दोनों ने भूलें कीं?

श्री मोहनलाल गौतम—रिसर्च स्टेशन्स के बारे में मैं नहीं कह सकता लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर की जिम्मेदारी तो थी और वह भूल किस की है, क्या है, इसके बारे में जब जांच हो जाय तभी कुछ कहना मुनासिब होगा।

श्री रामलखन मिश्र—क्या आदरणीय मंत्री जी की जानकारी में यह बात आयी कि डिप्टी डाइरेक्टर ने स्पष्ट लिखा था बढ़नी ब्लाक से बीज भेजने पर कि केवल १३ परसेंट की मिलावट है?

श्री मोहनलाल गौतम—इन सब बातों की अभी जांच हो रही है और जांच के पहले मेरे लिये कुछ कहना या कोई राय देना मुनासिब नहीं है। जो कुछ मेरे सामने आया भी है उसकी बाबत में पक्की तौर से नहीं कह सकता, इसलिये अगर मैं राय न दूं तो वही अच्छा है।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि डिप्टी डाइरेक्टर, गोरखपुर, ने कृषि अधिकारी, बस्ती, को यह लिखा था कि गोरखपुर के कृषि अधिकारी बीज को खरीदेंगे जिस पर उसने विरोध किया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह मुझे मालूम हुआ कि जो नौगढ़ में बीज खरीदा जा रहा था वह पहले जिला कृषि अधिकारी, बस्ती, की देखरेख में खरीदा जा रहा था। फिर डिप्टी डाइरेक्टर ने यह हुक्म दिया कि गोरखपुर के जिला अधिकारी की देखरेख में खरीदा जाय। ऐसा मुझे मालूम हुआ, लेकिन इस सब पर मैं अपनी पक्की राय नहीं दे सकता क्योंकि मैंने अंदाजा किया है, पूरी तहकीकात नहीं की है।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी इस मामले की जांच, महत्वपूर्ण समझते हुये उसे, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा कराने का विचार करेंगे ?

श्री मोहनलाल गौतम---एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के माने मैं समझा नहीं, लेकिन डिप्टी डाइरेक्टर की रिपोर्ट अगर आ जाय तो उस पर क्या कदम उठाया जाय इस पर विचार किया जा सकता है।

सस्ते अनाज की जिलेवार दूकानें

****४---**श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि १५ सितम्बर, १९५८ तक प्रदेश के प्रत्येक जिले में सस्ते गल्ले की कितनी दुकानें खोली गई हैं ? इनकी सूची वह सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

न्याय उप-मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में १८-९-५८ तक खोली गई सस्ते गल्ले की दूकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८९९ पर)

****५---श्री रामचन्द्र विकल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वह पश्चिमी जिलों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने का विचार रखती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---पश्चिमी जिलों में सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने के आदेश समय-समय पर दिये जा चुके हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सस्ते गल्ले की दूकान को देने का आधार क्या रहता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कई बार यह प्रश्न सदन के सामने आ चुका है। इसका मूल आधार तो यह रहता है कि कितना गल्ला उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यह भी खयाल किया जाता है कि कहां कितनी कठिनाई है और उसके अनुसार दूकानें खोली जाती हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---इस सूची को देखने से पता चलता है कि बुन्देलखंड और पश्चिमी जिलों में सबसे कम दूकानें हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां पर कुछ मांग अभी हुई है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---मांग हुई थी और जो आधार मैंने अभी बताया उस पर दूकानें खोली गयी हैं।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)---सूची को देखने से यह पता लगता है कि बरेली में ३४ दूकानें खुली हैं, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनमें से देहात में और शहर में कितनी-कितनी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सूचना की आवश्यकता है।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)---मंत्री जी ने कहा है कि आदेश दिये जा चुके हैं। क्या आगे के लिये भी दूकानें खोलने के आदेश दिये जावेंगे या आदेश खत्म हो चुके हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जैसे आवश्यकता होगी और गल्ला उपलब्ध होगा, आदेश बराबर दिये जावेंगे।

श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)---क्या यह भी आदेश दिया गया है कि देहाती क्षेत्रों में दूकानें खोली जावें?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जहां कमी के क्षेत्र हैं या बाढ़ है या वाटरलाग्ड एरिया है, वहां देहातों में भी खोलने की व्यवस्था है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या पश्चिमी प्रदेश की आगरा और मेरठ कमिश्नरियों से अब भी मांग आ रही है और मंत्री जी जांच करावेंगे कि वहां आवश्यकता से बहुत कम दूकानें हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---दूकानों की संख्या बढ़ाई गई है और आवश्यकतानुसार और भी बढ़ाने की चेष्टा की जावेगी।

तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिले के पंचायत सेक्रेटरियों के सम्बन्ध में जानकारी

*१---श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में १ नवम्बर, सन् १९५७ से लेकर १० जनवरी, सन् १९५८ तक कितने नये पंचायत सेक्रेटरियों का चुनाव हुआ?

स्वायत्त शासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)---जी नहीं। इस अवधि में किसी नये पंचायत मंत्री का चुनाव नहीं हुआ। परन्तु कुछ अस्थायी नियुक्तियां की गईं।

*२---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कितने पंचायत सेक्रेटरी १ नवम्बर, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक सेवा मुक्त किये गये और कितने सेक्रेटरियों को सेवा मुक्त करने की नोटिस दी गई?

श्री रामस्वरूप यादव---एक पंचायत मंत्री सेवा मुक्त किया गया तथा एक को सेवा मुक्त करने की नोटिस दी गई।

*३---श्री मुक्तिनाथ राय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में पहली अक्तूबर, १९५७ से लेकर १० जनवरी, १९५८ तक कितने पंचायत सेक्रेटरियों का तबादला अपने स्थान से दूसरे स्थान पर किया गया? तबादला करने के क्या कारण थे?

श्री रामस्वरूप यादव---इस अवधि में ३० पंचायत सेक्रेटरियों के तबादले किये गये। तबादले प्रशासकीय हित में किये गये थे।

श्री मुक्तिनाथ राय---मान्यवर, पंचायत राज्य नियम की अनुसूची ६ के उपनियम (२) के अनुसार लिखा हुआ है कि दिसम्बर तक चुनाव करके परिणाम घोषित कर देने चाहियें लेकिन आजमगढ़ के पंचायत अधिकारी ने इसकी अवहेलना की है...

श्री अध्यक्ष---बजाय सूचना देने के आप प्रश्न पूछें।

श्री मुक्तिनाथ राय---आजमगढ़ के जिला पंचायत अधिकारी ने पंचायत राज्य नियम की अनुसूची ६ के उपनियम (२) के अनुसार कार्य क्यों नहीं किया है?

श्री रामस्वरूप यादव—नियम तो यह है कि दिसम्बर से पहले एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिये। लेकिन दरख्वास्तें ३० अक्टूबर, १९५७ के आधार पर मांगी गई थीं। और वे कम प्रार्थना-पत्र थे इसलिये दोबारा दरख्वास्तें मांगी गईं। वे दरख्वास्तें और एम्प-लायमेंट एक्सचेंज के मारफत जो प्रार्थना-पत्र आये थे वे ८ फरवरी सन् १९५८ तक थे। उसके बाद २० फरवरी को कमेटी की मीटिंग हुई लेकिन अध्यक्ष, जिला बोर्ड, नहीं आ सके। उसके बाद १० मार्च नियुक्त की गई लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री गये हुये थे, इसलिये चुनाव नहीं हो सका और वह ११ मार्च, १९५८ को हुआ।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस अवधि में वेटिंग लिस्ट की कोई सूची बनाई गई थी ?

श्री रामस्वरूप यादव—सन् १९५७ की वेटिंग लिस्ट जो चली आ रही थी उसमें कोई व्यक्ति नहीं रहा था, इसलिये १० व्यक्ति बाहरी लिये गये। ११ मार्च, १९५८ को बनाई गई सूची पूरी थी और उसके हिसाब से लिये जावेंगे। १० व्यक्ति जो इससे पहले लिये गये थे उनको अगर कमेटी ने मान्यता नहीं दी है तो वे भी नहीं रखे जा सकते हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय—जो पंचायत मंत्री सेवा मुक्त किये गये हैं, क्या उनकी योग्यता और कर्मठता के बारे में संबंधित ग्राम सभाओं की राय ली गई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—नोटिस के समय ग्राम सभाओं से परामर्श नहीं किया जाता है लेकिन इन दोनों के खिलाफ आरोप थे अनुशासनहीनता के, उनके काम के और अधिकारियों के कहने से वे काम नहीं करते थे, उनके आदेशों की अवहेलना करते थे और क्षेत्रों की बैठकों में उपस्थित नहीं होते थे।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इतने तबादले करते समय ग्राम सभाओं की भी राय ली गई थी कि अमुक सेक्रेटरी कर्मठ नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव—तबादले प्रशासन के आधार पर जैसे वहां के अधिकारी उचित समझते हैं वैसे होते हैं। अगर किसी ग्राम सभा ने खासतौर से प्रस्ताव पास किया हो कि अमुक सेक्रेटरी का तबादला न किया जाय, तो मेरे खयाल में उस पर जरूर विचार किया गया होगा। लेकिन आम तौर से तबादले के बारे में प्रधान ग्राम सभाओं से परामर्श नहीं किया जाता है।

श्री मुक्तिनाथ राय—आजमगढ़ जिले में ३ महीने में वह कौन-सी विशेष परिस्थिति पैदा हो गई कि ३० पंचायत सेक्रेटरियों का चुनाव करना पड़ा ?

श्री रामस्वरूप यादव—चुनाव का प्रश्न नहीं था। सम्भव है किसी समय कहीं पर ज्यादा तबादले हो गये हों और कहीं कम हो जावें।

*४-६—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—[हटा दिये गये।]

*७-८—श्री भजन लाल (जिला इटावा)—[हटा दिये गये।]

*९—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[हटा दिया गया।]

*१०-१२—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—[हटा दिये गये।]

*१३-१४—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[हटा दिये गये।]

*१५—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—[हटा दिया गया।]

*१६—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१७-१८—डाक्टर अवधेश कुमार सिन्हा (जिला सीतापुर)—[हटा दिये गये]।

झांसी जिले की चिरगांव टाउन एरिया में टोल टैक्स लगाने की स्वीकृति मिलने में बिलम्ब

*१९—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिरगांव (झांसी) टाउन एरिया का टोल टैक्स लगाने का निश्चय उनकी स्वीकृति के लिये कब आया था और उसकी स्वीकृति हुई या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव—टाउन एरिया, चिरगांव, का टोल टैक्स लगाने का निश्चय जुलाई, १९५६, में प्राप्त हुआ था । अभी उसकी स्वीकृति नहीं हुई है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—२६ महीने जैसे लम्बे अरसे के बावजूद भी स्वीकृति न भेजने के क्या कारण हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—यह विषय ऐसा था जिसमें प्रदेश भर के सभी टाउन एरियाओं द्वारा टैक्स लगाने के विषय में सरकार को निश्चय करना था । टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी आई हुई थी, उसमें भी उन्होंने अपनी राय जाहिर की हुई थी । इसलिये शासन को अन्तिम निर्णय लेने में समय लगा ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—अब स्वीकृति कब तक भेज दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव—जल्दी ही निर्णय हो जायगा कि स्वीकृति दी जाय या न दी जाय ।

गृह-कर के विरोध में आगरा निवासियों की शिकायतें

*२०—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या सरकार को गृह-कर की वृद्धि के सम्बन्ध में आगरा नागरिकों की कुछ शिकायतें हाल में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । मुख्य शिकायतें इस प्रकार की हैं कि जो लोग असेस्मेन्ट कर रहे हैं, उन्हें इस कार्य का अनुभव नहीं है, गलत असेस्मेन्ट के कारण बहुत सी आपत्तियां होंगी, जलकर की दरें लखनऊ से अधिक हैं और सुभाषनगर कालोनी के मकानों का असेस्मेन्ट गलत ढंग से हो रहा है ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि अधिकारी जो असेस्मेंट कर रहे हैं वह गतल है तो क्या ऐसी स्थिति में वह इस असेस्मेंट को रद्द करा कर दोबारा असेस्मेंट करने की आज्ञा देने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, यह नहीं कहा गया कि सरकार इस बात को मानती है कि असेस्मेंट गलत है । शिकायत इस बात की है कि असेस्मेंट गलत है, सरकार ने उन सब की जानकारी की तो पता चला कि एक अनुभवी असेस्मेंट के अफसर कानपुर से बुलाये गये हैं और म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों के जो और कर्मचारी थे उनकी सहायता के लिये काम कर रहे हैं । यह आशा की जाती है कि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित जो कर्मचारी होते हैं वे अधिक ईमानदार होते हैं । इसलिये जब उनको इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह समझ में नहीं आता कि शिकायतों में जो भय है वह कहाँ तक सच है ।

श्री देवकी नन्दन विभव—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या जनता की यह भी शिकायत है कि जो असेस्मेंट का डिवीजन हो रहा है उसको वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वह असेस्मेंट किया था और लोग वहां के यह चाहते थे कि कोई स्वतन्त्र व्यक्ति इस काम को करे तो सरकार ने इस पर क्या विचार किया ?

श्री रामस्वरूप यादव—शिकायतें तो कई थीं लेकिन नियम के अनुसार काम किया जायगा, इतना ही आश्वासन दिया जा सकता है ।

*२१—**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२२—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)— [हटा दिया गया ।]

*२३-२४—**श्री भुवनेश भूषण शर्मा** (जिला इटावा)—[हटा दिये गये ।]

*२५—**श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी गढ़वाल) (अनुपस्थित)—[दसवें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गांव पंचायत रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी, से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला

*२६—**श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल** (जिला गोंडा)—क्या यह सही है कि गांव पंचायत रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी, का, जो भ्रष्टाचार का मामला १९५४ में पकड़ा गया था उस पर पूर्ण कार्यवाही अभी तक नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां । अभी तक पूर्ण कार्यवाही नहीं हो सकी है । इसके कारण निम्नांकित हैं :

(१) जिस प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी उनका कार्यकाल जांच के दौरान में समाप्त हो गया ।

(२) पंचायतों के गत सामान्य निर्वाचन में उक्त प्रधान पुनः चुने गये परन्तु इनके विरुद्ध चुनाव याचिका दायर हो गई, जिसका निर्णय सितम्बर ५, १९५७, को हुआ और यह चुनाव रद्द घोषित किया गया ।

(३) पुनः चुनाव कराने पर वही प्रधान फिर निर्विरोध चुने गये । इस निर्वाचन के बाद पुनः वैभागिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रधान के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप भ्रष्टाचार के लगाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—आरोप तो बहुत से थे लेकिन उनकी सूची इस समय मेरे पास नहीं है । सूचना की आवश्यकता है ।

श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन आरोपों की जांच की गई और कौन-कौन से प्रधान के खिलाफ सही पाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव—जांच तो सभी आरोपों की की गई लेकिन इस प्रकार से कोई सिद्ध नहीं हुआ कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय । वैभागिक कार्यवाही का मामला विचाराधीन है ।

*२७—**श्री कोतवाल सिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—[हटा दिया गया ।]

सस्ते अनाज की दूकानें एलाट करने के लिए उप समितियां बनाने पर विचार

*२८--श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---क्या सरकार कृपया सस्ते गल्ले की दूकानों के एलाट करने के लिये जिला स्तर पर उप-समितियां बनाने पर विचार करेगी?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

*२९--श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या सरकार कृपया सस्ते गल्ले की दूकानों के एलाटमेंट के सम्बन्ध में जिलाधीशों को यह आदेश देने पर विचार करेगी कि दूकानें सबसे पहले कोआपरेटिव सोसाइटियों को दी जायं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कोआपरेटिव सोसाइटी को सस्ते गल्ले की दूकानों के एलाटमेंट के सम्बन्ध में वरीयता (preference) देने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कब तक इस प्रश्न पर निश्चय हो जाने की आशा की जा सकती है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बहुत शीघ्र ही।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को भी दूकानें दिये जाने के आदेश जिलाधीशों को कब दिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---२ फरवरी, १९५६ को।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अगर गल्ले के विक्रेता कोआपरेटिव सोसाइटी बना लें तो क्या उनको दूकान अलाट की जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायेंगे तो अवश्य ही उनको प्रिफरेंस दिया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी के पास कोई इस प्रकार की सूचना आयी है कि भारत सेवक समाज को भी एक गल्ले की दूकान दी जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सूचना तो नहीं आयी।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या सरकार बतायेगी कि दूकानों के एलाटमेंट के सिलसिले में सरकार की इस समय क्या नीति है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जिले के अधिकारी यह कार्य करते हैं और वे उचित लोगों को यह देख कर देते हैं कि उसने पहले भी यह कार्य किया है अथवा नहीं। इसलिये जो उचित दूकानदार होते हैं उनको या कोआपरेटिव सोसाइटीज को दूकानें अलाट की जाती हैं।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी को लखनऊ में किन्हीं कोआपरेटिव सोसाइटीज की ओर से प्रार्थना-पत्र इसके लिये प्राप्त हुए हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जरूर आये होंगे।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या प्रदेशीय भारत सेवक समाज के उपाध्यक्ष, कुंवर गुरु नारायण, की ओर से कोई पत्र माननीय मंत्री जी के पास आया है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री जगदीश शरण अग्रवाल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि एडवाइजरी कमेटी की अनुपस्थिति में बरेली से ऐसी शिकायतें आयी हैं कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफीसर ने बिना विज्ञापन दिये हुए एलाटमेंट कर दिया ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

*३०---श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---[हटा दिया गया ।]

*३१-३२---श्री भगौती प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)---[हटा दिये गये ।]

विकास बोर्ड, कानपुर, द्वारा किदवई नगर क्षेत्र में विकास कार्यों के लिये कथित आश्वासन

*३३---श्रीमती बृजरानी मिश्र (जिला कानपुर)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४ में विकास बोर्ड कानपुर की किदवई नगर नामक उपनगरी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, सिनेमा-गृह तथा यातायात के लिये स्थानीय बस आदि की सुविधा देने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक क्यों पूर्ण नहीं हुआ ?

श्री रामस्वरूप यादव---किदवई नगर क्षेत्र में विकास बोर्ड ने प्लाट देते समय विद्यालयों, सिनेमा-गृह तथा स्कूलों आदि क लिये भूमि सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया था, इन्हें स्थापित करने का नहीं । इन संस्थाओं के लिये भूमि सुरक्षित है और इनमें से कुछ को नाम मात्र पट्टे भाड़े पर दिये भी जा चुके हैं । जहां तक यातायात का सम्बन्ध है, इस स्थान तक बसें चलाई जा चुकी हैं ।

*३४---श्रीमती बृजरानी मिश्र---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किदवई नगर (कानपुर) के कितने प्लाट अभी तक खाली पड़े हैं और उनके निर्माण हेतु सरकार अथवा विकास बोर्ड द्वारा निकट भविष्य में क्या कोई ऋण देने की योजना है ?

श्री रामस्वरूप यादव---किदवई नगर में कुल प्रायः ७२८ प्लाट थे, जिनमें कि १८५ पर मकान बनकर असेस्मेन्ट हो चुका है और प्रायः ७५ प्लाटों पर निर्माण-कार्य जारी है । इस क्षेत्र में २०३ प्लाट वालों को निम्न आय गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण की सुविधा दी जा चुकी है ।

श्रीमती बृजरानी मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर से किदवई नगर का सम्बन्ध रखने के लिये कितनी बसें चल रही हैं और क्या सरकार उनको अधिक बढ़ाने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्रीमती बृजरानी मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किदवई नगर में जो प्लाट एलाट हुए और कई साल से पड़े हुए हैं, उन पर मकान बनाने के लिये कर्ज देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रामस्वरूप यादव---जहां तक ऋण देने की बात है, धन की प्राप्ति होने पर अवश्य ऋण दिया जायगा ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि किदवई नगर में रोडवेज की बसेज चलने लगें ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, यह विषय तो जहां तक मैं समझता हूं स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित नहीं है । अगर आपको इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना है तो परिवहन मंत्री जी से निवेदन करें ।

श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक किदवई नगर में सस्ते मकान बनाने के लिये कितना रुपया दिया जा चुका है ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस क्षेत्र में २०३ प्लाटों के लिये निम्न आय गृह योजना के अन्तर्गत ऋण की सुविधा दी गयी है ।

*३५---**श्री छेदी लाल** (जिला खीरी)---[हटा दिया गया ।]

* ३६-३८---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---[हटा दिये गये ।]

* ३९---**श्री सजीवन लाल** (जिला उन्नाव)---[हटा दिया गया ।]

वाराणसी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से शव ले जाने की मनाही के विरुद्ध शिकायत

*४०---**श्रीमती सज्जनदेवी महनोत** (जिला वाराणसी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी विश्वविद्यालय के समीप के देहाती क्षेत्र के शव जो विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार से होकर ले जाये जाते थे उस पर रोक लगा देने के विरुद्ध जनता के कोई शिकायती पत्र उसे प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं । ऐसा कोई शिकायती पत्र सरकार को नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेरे इस प्रश्न के बाद इस विषय में कोई जानकारी उन्होंने करवायी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न तो यह था कि कोई शिकायत आयी; जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसके पास कोई शिकायत नहीं आयी । अगर माननीया सदस्या महोदया कोई शिकायत करेंगी तो इसकी जांच करा ली जायगी ।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत---क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रश्न को सूचना समझ कर जानकारी करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, अगर लिख कर माननीया सदस्या महोदया देंगी तो जांच करा ली जायगी ।

*४१-४२---**श्री भजनलाल**---[माननीय सदस्य के तीन से अधिक प्रश्न होने के कारण प्रश्न संख्या ४९-५० के अन्तर्गत दसवें मंगलवार के लिये स्थानान्तरित किये गये ।]

* ४३---**श्री प्रताप सिंह** (जिला नैनीताल)---[हटा दिया गया ।]

* ४४---**श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह** (जिला गोंडा)---[हटा दिया गया ।]

* ४५-४६---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[हटा दिये गये ।]

सीतापुर जिले में ग्राम पंचायतों के सदस्यों व प्रधानों के रिक्त स्थानों का चुनाव कराने की प्रार्थना

*४७---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले की ग्राम पंचायतों में ऐसे कितने स्थान प्रधान और सदस्यों के हैं जो गत तीन वर्ष, दो वर्ष और एक वर्ष से रिक्त हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रधानों व सदस्यों के रिक्त पदों की सूचना इस प्रकार है :---

		३ वर्ष	२ वर्ष	१ वर्ष
प्रधान	..	---	२	१३
सदस्य	..	२,२७२	१७०	१५

*४८---श्री ताराच द माहेश्वरी---क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर जिले के पंचायत राज अधिकारी ने उक्त स्थानों की पूर्ति के लिये संचालक, पंचायत अधिकारी, उत्तर प्रदेश, से आज्ञा मांगी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी नहीं। ऐसी कोई आज्ञा संचालक, पंचायत राज, से नहीं मांगी गई।

* ४९---श्री ताराचन्द माहेश्वरी---यदि हां, तो यह आज्ञा कब तक दे दी जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न नहीं उठता।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्रीजी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतने अधिक समय तक इतनी अधिक संख्या में स्थानों के रिक्त रहने का कारण क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पहला चुनाव दिसम्बर, १९५५ में हुआ था। जहां तक प्रधानों का सम्बन्ध है, कुछ स्थान रिक्त हैं और कहीं-कहीं से इस्तीफे आ गये, इस तरह से उनकी संख्या कोई ज्यादा नहीं है। हां, सदस्यों के रिक्त स्थानों की संख्या अवश्य अधिक है। इसके लिये दो बार चुनाव के प्रयत्न किये गये लेकिन सदस्यों के चुनाव के लिये लोग पर्चे ही नहीं दाखिल करते हैं तो सरकार क्या करे ? यद्यपि सरकार को यह अधिकार है कि यदि पर्चे दाखिल न हों तो वह नामांकित कर दे ; तो इस पर भी विचार किया जायगा कि अगर इस तरह से लोग नहीं चुनेंगे तो सरकार द्वारा उनका नामिनेशन कर दिया जायगा।

श्री जगन्नाथ लहरी---जैसा आप ने बतलाया कि चुनाव की सूचना पर लोग पर्चे दाखिल नहीं करते हैं, तो इसके कारण क्या वहां की पंचायतों के कार्य में कोई रुकावट हुई है या वहां के लोगों की वहां के पंचायतों के कार्य में कोई दिलचस्पी नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---पंचायतों के जो आवश्यक कार्य हैं वे तो सब हो रहे हैं लेकिन कहीं-कहीं कुछ स्थान रिक्त हैं। उन स्थानों के रिक्त होने से काम में रुकावट नहीं होती है। यह जरूर है कि जहां स्थान रिक्त हैं वहां यह समझा जाता है कि लोगों में दिलचस्पी सदस्य होने के लिये कम है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में नियम पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि कितने दिनों के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए ?

श्री रामस्वरूप यादव---नियम में दिन, श्रीमन्, निर्धारित नहीं है लेकिन प्रयत्न यह करना चाहिये जहां तक हो सके जिले के पंचायत अधिकारियों को कि लोग पर्चे दाखिल करें और वे चुनाव करा दें। जब कई बार वे इसमें असफल होते हैं तब नामांकन की कार्यवाही होती है।

देहरादून जिले में सौंग नदी के पुल से गुजरने वालों से कर लेना

*५०---श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)--- क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देहरादून जिले में सौंग नदी पर अभी हाल में बने पुल पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस पुल पर १३,७१,५०० रुपये का व्यय हुआ है।

नोट:---तारांकित प्रश्न ५०-५२ श्री रामचन्द्र विकल ने पूछे।

*५१—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस पुल पर आने जाने वाले यात्रियों से भिन्न-भिन्न दशाओं में क्या टैक्स लिया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची † में दी हुई है।

*५२—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस टैक्स के लिये जाने का क्या आधार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इंडियन टोल्स ऐक्ट, १८५१ (१८५१ का ऐक्ट संख्या ८) की धारा २ के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का व्यवहार करते हुये नये बनाये गये पुलों पर यह टैक्स लगाया गया है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी प्रश्न ५१ से सम्बन्धित सूची सदन की जानकारी के लिये पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह छपी हुई बड़ी सूची हैं; मैं इसको पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य मंत्री जी के कमरे में जा कर देख लें।

*५३—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—[सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५४-५५—श्री राजाराम शर्मा—[ग्यारहवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*५६-५७—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[हटा दिये गये।]

*५८—श्री बालक राम (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिया गया।]

*५९-६०—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—[हटा दिये गये।]

*६१—श्री खूब सिंह (जिला बिजनौर)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर दसवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी में सस्ते अनाज की दूकानें

*६२—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने झांसी जिला व शहर में अनाज की कितनी-कितनी Fair Price Shops खोलने की स्वीकृति दी है और अनाज का क्या भाव तथा उसके वितरण का क्या आधार होगा व हर एक दूकान पर कितने कितने अनाज का रोजाना वितरण होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—झांसी जिले में अब तक ३३ सस्ते गल्ले की दूकानें खोलने की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से २३ दूकानें झांसी शहर में और ७ दूकानें अन्य स्थानों में खोल दी गयी हैं। शेष तीन दूकानें खोलने का प्रबन्ध हो रहा है। खुली हुई दूकानों पर निम्नलिखित मूल्य पर अनाज का वितरण किया जा रहा है :—

गेहूं.....रुपये का २ सेर १० छटांक
चना.....रुपये का ४ सेर।

अनाज के दैनिक विक्रय की मात्रा २५ मन प्रति दूकान निर्धारित की गई है। शहरी क्षेत्र में पारिवारिक परिचय पत्र (Identity card) पर तथा नगर क्षेत्र म प्रति व्यक्ति को २ रुपया का गेंहूं दिया जाता है। ओले से पीड़ित क्षेत्रों की दूकानों से प्रति व्यक्ति १ रुपया ८ आना का गेहूं तथा १ रुपया का चना दिया जाता है।

---

†छापी नहीं गई।

श्री लक्ष्मण राव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके पास जिले के अन्य भागों से भी दूकानें खोलने के लिये प्रार्थनापत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जिले के अन्य भागों से भी कुछ प्रार्थनापत्र अवश्य आये हैं और उनके सम्बन्ध में जैसा मैंने अभी निवेदन किया था जहां आवश्यकता होगी और गल्ले की सुविधा होगी उस पर विचार करके जिलाधीश को यह अधिकार दे दिया जायगा कि जहां पर वह उचित समझें दूकान खोल दें जबकि दूकानें बढ़ाई जायं ।

श्री जगन्नाथ लहरी---जैसा कि मंत्री जी ने बताया है कि झांसी शहर और जिले की फेयर प्राइस शाप्स पर १ रुपये का ४ सेर चना दिया जाता है तो क्या चने के इस सस्ते भाव को देखते हुये वह आगरा जिले की सस्ते गल्ले की दूकानों पर भी चना देने का विचार कर रहे हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जहां उपलब्ध हो सकेगा, श्रीमन्, वहां चने की व्यवस्था करने में कोई एतराज नहीं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---माननीय मंत्री महोदय ने इसी हफ्ते आगरा शहर में करीब ३० हजार मन चना, चने की मिलों पर जो कि दाल दरती थीं उन पर कब्जा करके जब्त किया है । तो क्या उस चने को वह फेयर प्राइस शाप्स पर १ रुपये में ४ सेर के हिसाब से बेचने को तैयार हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---आगरा जिला भी, श्रीमन्, प्रदेश का एक अंग है। प्रदेश में वह चना आयेगा । उसके हिसाब से आगरे को भी मिलेगा । लेकिन वह सारा आगरे को मिले, यह मैं इस समय कहने को तैयार नहीं हूं ।

*६३-६५---श्री नारायणदत्त तिवारी---[हटा दिये गये ।]

*६६---श्री मुक्तिनाथ राय---[ग्यारहवें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित हो चुका है ।]

*६७---श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---[हटा दिया गया ।]

पर्वतीय जिलों को पेय जल योजनान्तर्गत सहायता की जानकारी

*६८---श्री सूरतचन्द रमोला (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५४-५५, १९५५-५६, १९५६-५७ व १९५७-५८ के बजट में जिला टेहरी-गढ़वाल को पेय जल योजना के लिये कितना-कितना रुपया दिया गया और अन्य पर्वतीय जिलों को कितना-कितना दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बांदा के डिग्गी तालाब में गन्दा पानी गिरने से रोकने की प्रार्थना

*६९---श्री पहलवान सिंह चौधरी (जिला बांदा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उसे यह सूचना प्राप्त हुई है कि बांदा शहर के डिग्गी तालाब में गन्दे पानी के नालों और नालियों के डालने के कारण वहां की जनता के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और बीमारियां फैल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---जी, हां । सरकार द्वारा इस विषय में जांच पड़ताल की जा रही है ।

नोट---तारांकित प्रश्न ६८ श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी ने पूछा ।

*७०—श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा)—[हटा दिया गया ।]

*७१-७२—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—[हटा दिये गये ।]

*७३-७५—श्री मूलचन्द (जिला सीतापुर)—[हटा दिये गये ।]

*७६—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—[हटा दिया गया ।]

बरेली-बदायूं सड़क के रामगंगा पुल पर टोल टैक्स लिए जाने की जानकारी

*७७—श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली-बदायूं रोड पर रामगंगा पर जो पुल बन रहा है उस पर अब तक क्या खर्च हो चुका है और कार्य कब तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कथित पुल के निर्माण में जुलाई, १९५८ के अंत तक २७,२४,०९४ रुपया व्यय हुआ है। यदि विदेशों से आवश्यक सामान मंगाने के लिये विदेशी मुद्रा तथा इम्पोर्ट लाइसेंस का प्रबन्ध हो गया तो आशा है कि पुल का निर्माण अप्रैल, १९५९ तक पूर्ण हो जायेगा ।

श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार बतायेगी कि इस पुल के बन जाने के बाद मुसाफिरों से कोई कर भी वसूल किया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके सम्बन्ध में एक नीति तय हुई थी, श्रीमन्, और उसके आधार पर २०० फीट से अधिक और २,५०,००० रुपया से अधिक कीमत के जो पुल बनेंगे उन पर टोल टैक्स के वसूल करने की व्यवस्था नीति के अनुसार पहले तय की गई है ।

श्री नत्थू सिंह—उस कर के वसूल करने की व्यवस्था सरकारी एजेन्सी द्वारा होगी या ठेके द्वारा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सरकारी ही व्यवस्था प्रायः की जाती है । इस समय इस पुल के सम्बन्ध में विशेष रूप से कहना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो नीति निश्चित हुई थी उसमें यह भी था कि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पुल बनाये जायेंगे उन पर टोल टैक्स कतई नहीं लिया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—यह जो नीति निश्चित हुई थी वह पुलों के सम्बन्ध में हुई थी और केन्द्रीय सरकार के जो पुल बनेंगे उस पर यदि केन्द्रीय सरकार के कुछ और आदेश होंगे तो उसको देखा जायगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी—मंत्री जी ने बतलाया कि विदेशी मुद्रा और इम्पोर्ट लाइसेंस की सुविधा होने पर ही पुल के निर्माण में सुविधा हो सकती है । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस पुल के निर्माण में ऐसी किस वस्तु की आवश्यकता है जिसके लिये विदेशी मुद्रा और इम्पोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके सुपर स्ट्रकचर में जिस सामान की आवश्यकता पड़ेगी वह करीब ४ लाख रुपये की लागत का होगा । तो उसमें विदेशी मुद्रा की भी आवश्यकता पड़ेगी और इम्पोर्ट लाइसेंस की भी ।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्रान्त में दूसरे पुल बनाये गये हैं, जसे ढकरा-बकरा या झांसी का, उन पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जा रहा है, यह ठीक है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—कदाचित् वे १९५६ से पूर्व के होंगे । केन्द्रीय सरकार ने जो कर्जा देकर पुल बनवाये हैं उन पर तो वही नीति लागू है ।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह निश्चय कब तक हो जायगा कि विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध है या नहीं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इसके सम्बन्ध में लिखा पढ़ी कर दी गई है और आशा है कि इसका प्रबन्ध अवश्य होगा ।

श्री जगन्नाथ लहरी—सुपर-स्ट्रक्चर के लिये विदेशी मुद्रा और इम्पोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, यह मंत्री जी ने बताया था । तो सुपर स्ट्रक्चर में लोहा और सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है । क्या यह भी विदेश से आयात किया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—लोहा और सीमेंट के अलावा यह पुल आधुनिकतम वैज्ञानिक ढंग का होगा और इसमें प्रीस्ट्रेस्ड कांक्रीट का प्रयोग किया जायगा; और सुपर-स्ट्रक्चर में कुछ चीजें और होंगी जिनको विदेशों से मंगाने की आवश्यकता पड़ेगी ।

बरेली-बदायूं सड़क में ली गयी भूमि का मुआवजा न मिलना

*७८—**श्री नत्थूसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली-बदायूं सड़क के लिये जमीन कब किसानों से ली गई थी और उनको मुआवजा व जब से जमीन ली है तब से लगान में छूट कब तक मिल जायगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना स्थानीय अधिकारियों से एकत्रित की जा रही है ।

श्री नत्थू सिंह—क्या सरकार यह सूचना प्राप्त होने के बाद प्रश्नकर्त्ता को देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—वह तो दी ही जायगी, पूछने की आवश्यकता नहीं है ।

*७९—८०—**श्री बलदेव सिंह** [हटा दिये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

मुरादाबाद जिले में ईंट के भट्ठों के लिये कोयले का वितरण

१—**श्री सुक्खन लाल** (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले में सन् १९५७-५८ में ईंटों के भट्ठों के लिये प्रत्येक तहसील को कितना-कितना कोयला दिया गया और उसमें से कितना कोयला सहकारी तथा सवन क्षेत्र के भट्ठों को दिया गया है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—इनकी तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ. ९०० पर)

२—**श्री सुक्खन लाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मुरादाबाद जिले ऐसे कितने भट्ठे हैं जिन्हें सरकार कोयला देती है और उनमें कितने सहकारी भट्ठे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—मुरादाबाद जिले में जिन भट्ठों को सरकार नियमित रूप से कोयला देती है उनकी संख्या ७१ है । इनमें से ५६ प्राइवेट भट्ठे हैं तथा १५ सहकारी भट्ठे हैं । इसके अतिरिक्त जिन भट्ठों को कभी कोयला अस्थायी तौर पर विकास तथा बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों की मांग की पूर्ति के लिये दिया जाता है, उनकी संख्या १६ है ।

सदस्यों की गिरफ्तारी के विषय में सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राम अभिलाख तिवारी गोंडा जिले में २२ सितम्बर, १९५८ को दफा १८८ आई० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये । श्री छेदी लाल, लखीमपुर खीरी जिले में २२-९-५८ को दफा ४४७ आई० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये । श्री होरीलाल यादव जिला फर्रुखाबाद में २१-९-५८ को दफा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये और श्री द्वारिका प्रसाद जिला फर्रुखाबाद में २१-९-५८ को दफा १०७/११४ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये ।

कानपुर की बन्द सूती मिलों की परिस्थिति के विषय में जानकारी

डाक्टर जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि कानपुर की जो सूती मिलें बन्द हैं उनके बन्द होने से मजदूरों में काफी बेचैनी है । अगर सरकार इस सम्बन्ध में कोई इत्तिला सदन में दे सके तो उससे बड़ी सहायता मिलेगी ।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**—अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि कानपुर की २ सूती मिलें, कानपुर काटन मिल और अथर्टन वेस्ट, काफी दिन से बन्द हैं और उनके बन्द होने से मजदूरों में बेचैनी है, यह स्वाभाविक है क्योंकि वे बेकार बैठे हैं । इसके अलावा वस्त्रों के उत्पादन में भी क्षति हुई है । सरकार बराबर इस प्रयत्न में है कि उनको चलाने का कोई न कोई प्रबन्ध किया जाय । जहां तक अथर्टन वेस्ट की बात है, परिस्थिति को देखने के बाद हमारी समझ में यह बात आई कि जो उसके प्रोप्राइटर हैं वे इस समय इस अवस्था में नहीं हैं कि वे किसी तरह से भी मिल को चला सकें । तब हमने भारत सरकार को लिखा है कि यहां अथराइज्ड कंट्रोलर नियुक्त करने का प्रबन्ध किया जाय और उसके लिये जो पहली आवश्यक कार्यवाही है वह फौरन करने की कृपा की जाय । उन्होंने हमारी इस बात को स्वीकार कर लिया है । कानून के मुताबिक पहली कार्यवाही यह होती है कि मिल की अवस्था की जांच करने के लिये उनको कुछ इनवेस्टीगेटर्स नियुक्त करने पड़ते हैं । उन्होंने इनवेस्टीगेटर्स नियुक्त कर दिये हैं । अब आगे क्या होगा, यह इन लोगों की जांच के ऊपर निर्भर है । हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि जल्दी ही कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा ।

जो दूसरी मिल है, कानपुर काटन मिल, वह बड़ी मिल है और अभी तक उसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं हो सकी । कुछ लोग उसको खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन जो लोग उसको खरीदना चाहते हैं या अन्य रूप से अथराइज्ड कंट्रोलर आदि के रूप से लेने की बात सोचते हैं वे सब लोग यह कहते हैं कि हमारे पास पूरा रुपया नहीं है । गवर्नमेंट हमको रुपये से इस वक्त सहायता करे और जो रुपये की सहायता चाहते हैं, तो ४०-५०-६० लाख रुपये की बात कहते हैं कि इससे कम में इस मिल का चलाना सम्भव नहीं होगा । यह प्रश्न भी भारत सरकार के और हमारे विचाराधीन है और इस मिल को चलाने का जल्दी से जल्दी क्या प्रबन्ध किया जाय, मैं इस वक्त इस परिस्थिति में नहीं हूं कि कोई निश्चित बात कह सकूं, सिवाय इसके कि कोशिश हमारी और भारत सरकार की तरफ से जारी है । संभव है कि कोई रास्ता निकल सके ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन मिलों की समस्या को लेकर कुछ लोग कानपुर में भूख हड़ताल कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो परिस्थिति पूछने के बारे में था, अब भूख हड़ताल पर आप आ गये । इससे यह उठता नहीं है ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा—अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भूख हड़ताल कुछ लोग कर रहे हैं उसकी सूचना मुख्य मंत्री को है । यदि है, तो उन्हें वह यह सारे आश्वासन देकर उनकी भूख हड़ताल समाप्त करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मैंने सुना है, कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिद्धांत यह है कि जो भूख हड़ताल करता है मैं उससे कभी बात नहीं करता और न आश्वासन देता हूं कि वह भूख हड़ताल बन्द कर दे ।

सोन नदी में बाढ़ के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—अब कामरोको प्रस्ताव जगन्नाथ लहरी जी ने जो दिया था उसके बारे में मंत्री जी ने कहा था कि आज सूचना देंगे । राजस्थान का रोका हुआ पानी छोड़ देने के कारण सोन नदी की बाढ़ में परिवर्तित हो गया है, इस संबंध में स्वशासन मंत्री इसकी जांच करके आज सूचना देंगे ।

स्वायत्त शासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—अध्यक्ष महोदय, यह सूचना प्राप्त हुई है कि तहसील किरावली में मथुरा जिले से जो नाला आता था तो मथुरा जिले में ज्यादा पानी बढ़ जाने से उसमें पानी ज्यादा आ गया । उस पानी की वजह से अछनेरा जो नगर है उसमें कसाईपुरा और जांटवान मुहल्ला में ११ तारीख को पानी घुस गया जिसके कारण १४ झोपड़ियां गिर गयीं और १२ को नुकसान पहुंचा । पानी अब भी कुछ है । मकानों को बनाने के लिये अनुदान की व्यवस्था कर दी गयी है और करीब-करीब १५० एकड़ ऐसी भूमि जिसमें फसल खड़ी हुई थी उसको नुक्सान हुआ है और ३०० एकड़ ऐसी भूमि जिसमें फसल नहीं खड़ी थी उसमें भी इस बाढ़ का पानी भर गया । किसी मवेशी का या किसी जीव का कोई नुक्सान नहीं हुआ और अब स्थिति ऐसी है कि जिसको नार्मल कहा जा सकता है और कोई विशेष खराब नहीं है । पानी काफी कम हो गया है ।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रस्ताव में लिखा था कि राजस्थान का रोका हुआ पानी छोड़ा गया है जो कि सोन नदी की बाढ़ में परिवर्तित हो गया है ।

वहां एक पुरानी नदी है जो चालू नहीं रहती है, लेकिन गत कुछ वर्षों से राजस्थान से बार-बार पानी छोड़ दिया जाता है जिससे फतेहपुर सीकरी में बाढ़ आ जाती है और पानी फिर राजस्थान से छोड़ा गया है तो वह मथुरा जिले से अछनेरा तक आ गया है । लिहाजा माननीय मंत्री इस बात की जांच कराने की कोशिश करेंगे कि यह मथुरा जिले का बरसाती पानी है या वास्तव में राजस्थान से छोड़ा हुआ पानी है ? राजस्थान की सरकार बार-बार पानी छोड़ देती है जिससे आगरा जिले की निकटवर्ती तहसीलों में बड़ा नुकसान होता है । इसकी सूक्ष्म जांच कराने की माननीय मंत्री कृपया कोशिश करें ।

श्री रामस्वरूप यादव—अभी तक सूचना यह है कि वेस्टर्न ड्रेन के द्वारा ही मथुरा जिले में पानी आता है जिससे बाढ़ आ जाती है । अगर आप कहते हैं तो जांच कर ली जायगी कि राजस्थान से तो ऐसा नहीं हुआ है ।

प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत निर्मित तथा श्री अध्यक्ष द्वारा मनोनीत समितियों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव

*हरिजन कल्याण राज्य मंत्री के सभा सचिव (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत निर्मित समितियों व मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों का कार्यकाल ३१-३-१९५९ तक बढ़ा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, इस माननीय सदन ने एक समिति बनायी थी जो कि इसके रूल्स को रिवाइज करेगी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में लिखा है कि इस वर्ष जो समितियां बनें उनका कार्यकाल प्रतिवर्ष फायनेन्शियल ईयर हो। इसलिये यह उचित जान पड़ता है कि जो समितियां अब बनें वे वित्तीय वर्ष के लिये बनें।

दूसरा एक कारण यह भी है कि जो समितियां बनती हैं उनमें दूसरे दल के लोग भी होते हैं। दुर्भाग्यवश, किसी कारणवश हमारे दूसरे साथी यहां उपस्थित नहीं हैं। आशा है कि वे फिर आ जायेंगे। उनके न रहने से समितियां पूर्ण नहीं हो सकेंगी। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनका काल बढ़ा दिया जाय और अगले वर्ष ये समितियां बनायी जायं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जैसा कि अभी बतलाया गया है, यह संशोधन किया गया है कि वित्तीय वर्ष के लिये ही इनका कार्यकाल रहे। पिछली बार भी यही बात थी। लेकिन जब जुलाई में चुनाव सम्पन्न कराने के लिये आपने नामिनेशन पेपर्स दाखिल करा लिये थे तो उस समय यह कहा गया कि सदन नया नया गठित हुआ है, एक वर्ष पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिये सितम्बर तक के लिये चुनाव स्थगित कर दिये जायं और सितम्बर तक के लिये चुनाव टाल दिये गये।

जहां तक कि नामिनेशन पेपर्स का ताल्लुक है, वे तो आ ही चुके हैं और जिनका चुनाव होना है उनका चुनाव हो जायगा, इसलिये समितियों के कार्यकाल को बढ़ाना मैं हितकर नहीं समझता।

दूसरा कारण यह भी है कि जिनको वर्तमान स्टैंडिंग कमेटीज में पहले रखा गया था वे अब रहना नहीं चाहते, इस तरह से उन व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध ३१ मार्च तक रखने के लिये विवश करना उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिये जबकि कोई नये नामिनेशन पेपर्स दाखिल नहीं कराने हैं, लिहाजा पुराने नामिनेशन पेपर्स के आधार पर ही चुनाव करा लिये जायं।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—जो नयी समिति बनने वाली हैं उनमें विरोधी दल के लोग आयेंगे ही। यहां पर केवल विरोधी दल के ३, ४ साथी बैठे हुये हैं। बहुत से साथियों के नामिनेशन पेपर्स दाखिल नहीं हो सकेंगे। लहरी जी को शायद इसका ज्ञान नहीं है कि ये समितियां नयी बनने वाली हैं और उनके लिये नये नामिनेशन पेपर्स दाखिल किये जायंगे। लेकिन यहां केवल ४, ५ आदमी हैं और इन्हीं का सब समितियों में रहना उचित नहीं होगा; फिर, अगर अभी चुनाव किये गये तो वित्तीय वर्ष में केवल ७ महीने ही ये समितियां काम करेंगी। इन कारणों से लहरी जी से मेरा अनुरोध है कि वह अपने विरोध को वापस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ लहरी—मैं, जैसा कि अनुरोध किया गया है, अपने विरोध को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा निर्मित समितियों व मंत्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों का कार्यकाल ३१-३-५९ तक बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ (क्रमागत*)

श्री अध्यक्ष--वित्त मंत्री जी के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ पर विचार किया जाय, अब विवाद जारी होगा। श्री परमेश्वरदीन वर्मा भाषण कर रहे थे, वह अपना भाषण जारी रखेंगे।

†श्री परमेश्वरदीन वर्मा (जिला उन्नाव)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं यह कह रहा था कि यह जो संशोधन विधेयक लाया गया है उसमें जो मूल विधेयक में कमियां और गलतियां थीं उनको सुधारा गया है। फिर भी मूल रूप में देखा जाय तो इसमें बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है, इसीलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि ठीक तरह से विचार किया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसके उद्देश्य और कारणों में बताया है कि बहुत से इसमें ऐसे विवाद थे जो निर्णय संबंधी थे, जिनमें कठिनाई होती थी पिछले विधेयक के अनुसार, उनको इसमें सुधारने की उन्होंने चेष्टा की है और काफी रूप से सुधार किया है। इस विधेयक के बहुत से अंश ऐसे हैं जिनके लिये मैं हृदय से उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं जो उन्होंने सुधार प्रस्तुत किये हैं लेकिन इसके साथ-साथ और भी सुधार होने की आवश्यकता है। न्यायालय संबंधी सुधार मंत्री जी ने ठीक किये हैं। पिछले विधेयक के अनुसार न्याय प्राप्त करने में किसानों को बड़ी कठिनाई और परेशानी होती थी। अब अपील वगैरह की इस विधेयक द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गई है जिससे किसानों को आसानी हो सकती है। रही बात यह कि जिसको बहुत से साथियों ने स्वीकार किया है कि बहुत से अधिकारी ऐसे हैं जो ऐसे कार्य नहीं करते हैं जिनसे जनता को लाभ हो सके। वह उच्च अधिकारी हों या छोटे अधिकारी हों लेकिन उनके ऊपर ऐसा चेक होना चाहिये जिससे उनकी ऐसी मनोवृत्ति न हो जाय कि भ्रष्टाचार आदि के काम करने के लिये वह अपना सिर उठा सकें। सहायक चकबन्दी अधिकारी स्थान पर रहते हैं और वही इसके सर्वेसर्वा होते हैं। जो कठिनाइयां जनता के सामने आती हैं उनकी सुनवाई वही करते हैं या यों कहिये कि क्या वह जिन्होंने इसमें गलतियां की हैं, अपनी गलती सुधारने के लिये ठीक कार्य कर सकते हैं? यह ठीक नहीं प्रतीत होता है। इसलिये मैं स्वशासन मंत्री से प्रार्थना के रूप में कहना चाहता था . . .

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)--आपकी इजाजत से अर्ज कर दूं कि स्वशासन मंत्री जी का इस बिल से कोई वास्ता नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि स्वशासन मंत्री जी से आपकी अधिक मित्रता है जो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। यह विधेयक वित्त मंत्री से संबंधित है।

श्री परमेश्वरदीन वर्मा--मैं अपने वह शब्द वापस लेता हूं। वित्त मंत्री जी कम से कम इस बात की ओर और ध्यान देते कि चकबन्दी अधिकारी जिनके हाथ में सत्ता रहती है, वही पूर्ण अधिकार सम्पन्न रहते हैं, उनके अधिकार से कम से कम अन्याय न हो। इससे किसान हमेशा परेशान रहते हैं। यह अधिकारी गांव में जाते हैं और गांव की जनता इतनी शिक्षित नहीं है जो कि इस बात के लिये तैयार हो कि उनके किये हुए कामों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसके लिये होता क्या है? उनके प्रभाव से या जो कमेटियां बनती हैं, उनके प्रभाव से कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके द्वारा गरीब किसान पिस जाता है और

---

*१९ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही में छपा।
*२२ सितम्बर, १९५८ की कार्यवाही से।
†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री परमेश्वरदीन वर्मा]

यह थोड़े से लोग इससे लाभ उठा पाते हैं इसके अतिरिक्त वह जनता जो कि पैसे से लाचार है, जिसको सबेरे से शाम तक रोटी की व्यवस्था की फिक्र करनी पड़ती है वह थोड़े से व्यक्ति उसका गला काटने के लिये तैयार हो जाते हैं और कुछ ऐसी व्यवस्था उत्पन्न कर देते हैं कि लोग परेशान हों और वह परेशान हो कर पूर्ण रूप से उनकी थैली भरने के लिये तैयार हो जाते हैं। कल जब वादविवाद हो रहा था तो ऐसी बातें सामने आयीं और शायद वित्त मंत्री जी ने यह कहा भी था लहरी जी से कि आपने कोई शिकायत लिख कर नहीं भेजी। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं वित्त मंत्री जी का कि शिकायतें हुई हैं, आयी हैं, अखबारों में प्रकाशित हुई हैं और यही नहीं गवाहियों के साथ आयी हैं। लेकिन आज तक उन पर कोई विचार नहीं हुआ। हो सकता है कि वह कागजी कार्यवाही की गयी हो लेकिन उन पर विचार नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं दूर की बात नहीं लखनऊ जिले की ही बात बताना चाहता हूं। मोहनलालगंज तहसील में मौरापुर एक गांव है अगर वह ६ जून का अखबार उठा कर देख लें और उसमें कांग्रेस पार्टी से विजयी संसद की सदस्या श्रीमती गंगादेवी का वक्तव्य पढ़ लें तो भ्रष्टाचार के बारे में और उन अधिकारियों के बारे में पता चल जायगा कि कितना रुपया ऐंठने की उन्होंने कोशिश की है। निम्न स्तर के लोग तो कम बुद्धि के होते हैं। लेकिन अधिकारीवर्ग जो बहुत संशोधित रूप से रखा जाता है उसको ऐसा नहीं होना चाहिये। जब मैंने आज और कल पता लगाया तो यह पता चला कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। १९५७ में भी संशोधन प्रस्तुत किये गये। उसमें वित्त मंत्री जी ने अपने उद्देश्य और कारण में लिखा था कि कानूनी हिसाब से कुछ त्रुटियां विधेयक में रह गयी हैं। क्या मैं आज पूछ सकता हूं वित्त मंत्री जी से आपके द्वारा कि यह विधेयक जिस पर विचार करने के लिये एक या दो दिन का अवकाश दिया जाता है, जिसमें कि भली प्रकार से पहले के विधेयकों में और आज के विधेयकों में समन्वय नहीं रखा जा सकता हो, पूर्णरूप से विचार नहीं किया जा सकता हो और पूर्णरूप से गौर करके जिसमें अपना मत नहीं दिया जा सकता हो, तो इस प्रकार के विधेयकों को पास कर लेने से और पारित कर लेने से कोई जनता का हित हो सकता है? इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में जैसा कि उन्होंने सुझाव और दुरुस्ती की है वह ठीक है लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनके विषय में उन्होंने जो सुझाव प्रस्तुत किये हैं वे भ्रामक हैं। कुछ ऐसी बातें जो कि पिछले संशोधन विधेयक में नहीं आई थीं और जो कि मूल अधिनियम की धारायें थीं, जिनसे जनता और किसानों का लाभ होना निश्चित था, हम देखते हैं कि उनको इस विधेयक में लोप कर दिया गया, यह अच्छा प्रतीत नहीं होता। यह केवल उनके दिमाग का सुझाव हो सकता है लेकिन पूरे सदन के दिमाग का सुझाव नहीं कहा जा सकता है। जब तक इसको प्रवर समिति में न भेजा जाय और इस पर पूर्णरूप से विचार न किया जाय और मूल अधिनियम की पूरी बातों का समावेश न किया जाय जिनको इस विधान सभा के सदस्यों ने निर्मित किया था, उनको अलग न करके सोच विचार के साथ इस पर विचार न किया जाय तब तक यह अच्छा विधेयक नहीं हो सकता है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मूल अधिनियम की धारा १५ निकाल देने के बारे में इसमें कहा गया है उससे किसानों का कितना नुकसान होगा और किसानों की दशा कितनी खराब होगी। इसके द्वारा किसानों के पास जो साधन थे उनको भी छीनने की बात है। उसी प्रकार से मूल अधिनियम की धारा १६(क) और १६ (ख) को भी निकाल देने की बात है। इनको क्यों निकाल दिया जाय और किसलिये निकाल दिया जाय, इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिये और इस पर विवाद होना चाहिये और वास्तव में यह उपयोगी धारायें थीं या नहीं इस पर विचार होना चाहिये, तब इनको निकाला जाय। इस तरह की बातों को इस तरह से नहीं निकाल देना चाहिये कि जरा सी अड़चन आ गई या किसी ने सुझाव दे दिया तो बस निकाल देने की बात चल पड़ी।

इसी प्रकार से इस अधिनियम के पृष्ठ १९ पर हम देखते हैं कि कई धारायें माननीय वित्त मंत्री जी ने निकाल देने की व्यवस्था की है। आगे इसमें मूल अधिनियम की धारा २५,२६ और २६ (क) को निकाल देने की बात कही गई है। यह सब क्यों किया जा रहा है? यह विधेयक एक साल पहले ही आया था जब इसमें यह सब व्यवस्था की जा सकती थी। अगर कोई उस समय गलती हो गई थी तो उसका निराकरण किया जा सकता था। इस विधेयक पर हमारे बहुत से साथियों ने बहस की थी तो उसी समय आज कल की परिस्थिति को सामने रखकर इसमें सुधार किया जा सकता था।

हमारे मित्र मिश्र जी ने माननीय वित्त मंत्री की बड़ी प्रशंसा की और यह कहा कि ऐसे मंत्री शायद एशिया में मिलना दुर्लभ है। यह बात ठीक है और मैं भी इसको मानता हूं कि वह प्रशंसा के पात्र हैं। वह बहुत सुधार करते हैं। इसका गौरव अगर उनको है तो मुझे भी है और सब को होना चाहिये कि वह सुधार की बात तुरन्त ले आते हैं लेकिन उन सुधारों के अलावा भी सुधार होने की आवश्यकता है जो मंत्री जी को सुनने के लिये तैयार होना चाहिये और उन पर अमल भी करना चाहिये। यहीं नहीं कि भूरि-भूरि प्रशंसा कर देने से, या किसी विधेयक को पारित कर देने से कल्याण हो सकता है। कोई विधेयक जल्दी में पास कर देने से बड़ा भारी कार्य नहीं समझा जा सकता है। जब तक कोई विधेयक जन-कल्याण के लिये न हो और जिसमें कोई भ्रांति न रह जाय तब तक उससे लाभ नहीं हो सकता है। यदि कोई विधेयक २,४ वर्ष तक पूर्णरूप से लागू रह सके तो उससे होता क्या है? हर बार जब सेशन बैठता है तो उसमें संशोधन पर संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं।

अब मैं थोड़े में श्री देवकी नन्दन विभव जी की बात का उत्तर देना चाहता हूं। आज की संकटपूर्ण खाद्य समस्या के बारे में उन्होंने कहा और मैं तो कहना चाहता हूं कि लहरी जी के वक्तव्य के आधार पर ही उन्होंने कहा कि इस समय विरोधियों का होना आवश्यक था। बड़ी क्षमता और उच्चकोटि की बात कही। वह यह समझते हैं कि इसमें कमियां हैं, लेकिन कह नहीं सकते, हृदय के उद्गार सदन के सामने रख नहीं सकते। वह कहलाना चाहते हैं उन्हीं व्यक्तियों से जो कि सरकारी पक्ष के नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आप और विरोधी भाइयों को लाइये। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस समय सरकार का फर्ज है कि जो इस संकटकालीन परिस्थिति में पिछड़े हुए हैं उनके लिये वह अपना हृदय विशाल करे और इसके साथ साथ ऐसी मनोभावना पैदा कर दे कि विरोधी विरोध की भावना ही न रखें। यह कह देने से कि आप अपने साथियों को ले आइये, काम नहीं चलेगा। उसके लिये प्रयास हो रहा है, लेकिन प्रयास को सफल करने के लिये कौन सब से अधिक योग्य है और किसका कर्तव्य सब से अधिक ऊंचा हो सकता है, यह सब आपके सोचने की चीज है। इसलिये केवल कोई बात कह देने से ही कार्य नहीं हो जाता। जब प्रार्थना होती है, विचार करने की बात होती है तो उसको गौर से सुनकर, मनन कर के, विचार करके पूर्ण रूप से अपनी उक्ति देनी चाहिये। विभव जी शायद इस भूल में रहे कि यह हम लोगों का ही कर्तव्य है। मैं कहता हूं कि कर्तव्य उनका भी है।

अब इस चकबन्दी विधेयक के संबंध में दो चार बातें मैं कहना चाहता हूं जो कि भ्रान्तिपूर्ण हैं और उनमें संशोधन होना आवश्यक है, लेकिन संशोधन पूर्ण-विवाद, विचार विनिमय और वार्तालाप के साथ होना आवश्यक है। इस विधेयक में वित्त मन्त्री जी ने कहा है कि हारों के अनुसार चक बनाये जायेंगे। गांव का अनुभव है और सभी सदस्य जानते होंगे कि हर गांव में कई-कई हार होते हैं, १०, १० और १२, १२ हारों का नामकरण हुआ करता है। इसलिये विधेयक में यह रखना कि हारों के अनुसार चकबन्दी हो ठीक नहीं प्रतीत होता। वास्तव में चकबन्दी का उद्देश्य यह है कि कई जगह के बिखरे हुए खेत एक जगह हो जायं ताकि उनको अधिक सिंचाई की सुविधा मिल सके, फसल की रक्षा ठीक से हो सके, पैदावार अधिक हो सके। तो किसानों की सुविधा को देखते हुए एक स्थान पर खेत किये जाने का यह विधेयक है। इस तरह की बात विधेयक में लाने से अगर किसान का तीन जगह खेत है तो वह तीन ही जगह रह जायगा,

[श्री परमेश्वरदीन वर्मा]

ऐसा अनुभव बतलाता है । मेरे जिले उन्नाव में चकबन्दी हुई और कुछ किसान ऐसे हैं कि जिनके ६, ६ चक बन गये हैं और वह भी बड़े नहीं छोटे । इस प्रकार जो छोटे किसान हैं उनके भी जब भूमि का मूल्यांकन होगा तो कई चक बन जायेंगे । ऐसी बात नहीं होनी चाहिये । भूमि का मूल्यांकन करके जो किसान थोड़ी जमीन रखते हैं, थोड़ी जमीन पर अधिकार पाने के हकदार हैं, उनको मूल्य के अनुसार एक ही जगह जमीन दे दी जाय तो उनके लिये ज्यादा सुविधा-जनक होगा और ज्यादा सुचारु रूप से वे जीविका चला सकेंगे । गांव में कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास वास्तव में कोई जमीन नहीं है, वे दूसरों की जमीनों पर खेती करते हैं, उनके लिये भी इसमें कोई व्यवस्था होनी चाहिये । हरिजनों के लिये जो केवल मजदूरी करते हैं, उनके लिये भी जमीन की कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

मेरा अपना सुझाव है कि जिस क्षेत्र में चकबन्दी हो, वहां की जनता से अवश्य राय ली जानी चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता को बहुत सा भुगतान भुगतना पड़ता है । जब से नोटिस निकलता है, उनका खाना पीना हराम हो जाता है । एक तो वैसे ही वे लेखपाल की गवर्नरी से हैरान रहते हैं, नकल मिलने में उन्हें बड़ी दुश्वारी होती है । लेकिन जब वह सुनता है कि एक अधिकारी नहीं २–४ अधिकारी होंगे तो उसके प्राण ही सूखने लग जाते हैं । जो गांव के साधनसंपन्न व्यक्ति हैं उनको अपने चंगुल में रख कर उनसे काम कराते हैं, गरीब जनता की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । उनके ऊपर अवश्य ही चेक्स होनी चाहिये । उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही होने की आशंका अवश्य होनी चाहिये जिससे डर के कारण वे ऐसा न कर सकें कि जिससे जनता को कोई नुकसान हो ।

बहुत से किसानों को तो पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है । लेकिन इस विधेयक में उनको जानकारी कराने के लिये विज्ञप्ति कराये जाने, डुग्गी पीटे जाने की व्यवस्था की जा रही है, इसके लिये मैं माननीय मन्त्री जी को धन्यवाद देता हूं । जिस क्षेत्र में चकबन्दी हो रही है, अगर उस क्षेत्र के लोग नहीं चाहते हैं तो चकबन्दी वहां न करायी जाय । जो चाहें वहां करायी जाय और जब उनको देखकर वे लोग लालायित हों तब उनके यहां भी चकबन्दी हो तो अच्छा होगा । चकबन्दी अच्छी है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन उसका खर्चा उस किसान पर पड़ता है जो अपनी रोजी की भी व्यवस्था नहीं कर पाता है । इससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है । ऐसी धाराओं में संशोधनों की अवश्य आवश्यकता है ।

अब मैं अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय वित्त मन्त्री जी से यह और प्रार्थना करना चाहता हूं कि कम से कम उन सुझावों को जो कि उचित प्रतीत हों, और जिनका संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया जाना ठीक हो और उसी के अनुसार यह विधेयक पूर्ण विधेयक हो सके, तो उसको स्वीकार करना चाहिये । इसलिये आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी से मेरी यह प्रार्थना है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय और भेज देने के उपरान्त उसमें जो निर्णय हो, उसके बाद ही यह विधेयक पारित किया जाय ।

श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक मूल अधिनियम का पिछले ४ वर्षों में गालिबन चौथा संशोधन है । यह इस बात का भली प्रकार द्योतक है कि किस जागरूकता, लगन और मेहनत से आदरणीय माल मन्त्री जी चकबन्दी योजना को सफल बनाने के लिये प्रयत्नशील हैं और इसलिये निश्चय ही माननीय माल मंत्री जी इस आदरणीय सदन तथा प्रदेश के किसानों के धन्यवाद के पात्र हैं । प्रस्तुत विधेयक में जो संशोधन किये गये हैं वे सारे के सारे लगभग वे हैं जिन पर स्टेट कांसोलिडेशन एडवाईजरी कमेटी ने विचार कर लिया है और जिनको स्वीकार कर लिया है ।

श्रीमन्, मैं उस बोर्ड का मेम्बर हूं, इसलिये जो संशोधन इस संशोधन करने वाले विधेयक द्वारा किये गये हैं उनसे मैं पूर्णतया सहमत हूं लेकिन इस सहमति के बावजूद जो संशोधन श्री लाल बहादुर सिंह ने पेश किया है, उसमें भी मुझे कुछ जान दीख पड़ती है । श्रीमन्, लोक-

तांत्रिक ढांचे की तहत में जो कानून बनाया जाता है, एक मानी हुई बात है कि उसमें एक दोष होता है और हर डेमोक्रेट उस दोष को कम करने की चेष्टा करता है। जिस वक्त कानून पर विचार किया जाता है, जिस वक्त कानून पारित किया जाता है और जिस वक्त कानून की तहत में जो योजनायें होती हैं वे कार्यान्वित की जाती हैं, इन तीनों के बीच में एक भारी (time lag) हो जाता है जिसकी वजह से वह कानून उस वक्त की हालत और आबोहवा के मुताबिक पूर्ण नहीं होता और उस वक्त की जरूरियात को पूरी तरह से पूरा नहीं करता।

स्टेट ऐडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग आज से साढ़े ४ महीने पहले हुई थी और मुझे यह मानने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये सारे के सारे संशोधन उस ऐडवाइजरी बोर्ड ने स्वीकार कर लिये थे। लेकिन इसको मानने में मुझे दिक्कत हो रही है कि वह ऐडवाइजरी बोर्ड इस संशोधन विधेयक को मूल अधिनियम का आज सम्पूर्ण संशोधन मानता है। गत साढ़े ४ महीने के काल में इस प्रदेश और इस देश में बहुत सी घटनायें घट चुकी हैं। अन्नाभाव के ऊपर इस आदरणीय सदन में, पार्लियामेंट में और कौंसिल आफ स्टेट में बहस हो चुकी है। साथ ही साथ प्लानिंग के ऊपर भी महत्वपूर्ण विवाद केन्द्र में पार्लियामेंट और कौंसिल आफ स्टेट में हुआ है। इस देश के प्रमुख व्यक्तियों ने भी खाद्यान्न के सम्बन्ध में और प्लानिंग के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण बयानात दिये हैं। मेरी राय में यह अच्छा होता कि इन तमाम वाकयात की तहत में, इन तमाम बहसों के तहत में और उन तमाम वाकयों के तहत में एक मर्तबा फिर विचार करने हेतु स्टेट कंसालिडेशन ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुला ली जाती और उसमें राय लेकर के मूल अधिनियम का सम्पूर्ण रूप से संशोधन करने वाला एक विधेयक इस सदन के सामने लाया जाता।

चकबन्दी अधिनियम एक बहुसंख्यक उद्देशीय, मल्टी परपज, कानून है। श्रीमन्, जाहिर है कि इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह भी है कि खेती की पैदावार बढ़ाई जावे। लेकिन आजकल की हालत को देखते हुए यह उद्देश्य और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। हाल ही में प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने जो सुझाव दिया है पैदावार बढ़ाने के लिये वह यह दिया है कि जिन जमीनों पर खेती करने की टेक्नीक पुरानी है उसको बदलकर सरकार ऐसा इन्तजाम करे कि वहां इम्प्रूव्ड टेकनीक, नये अच्छे प्रगतिशील तरीके से खेती की जावे। यह कोई एक नयी बात नहीं है। लेकिन एक बात ऐसी जरूर है कि जिस पर इस वक्त विशेष एम्फैसिस देने की जरूरत है और जो कानून या योजना हम बनावें उसमें इस बात पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसको कि पार्लियामेंट का समर्थन हासिल है जो हमारे लिये मान्य है, उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जो भूमि सुधार किये जांय वह केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से ही न किये जांय बल्कि उनमें यह भी खयाल रखा जाय कि जो लाभहीन जोतों के कृषक हैं उनको अधिक सुविधा मिले, उनके खेतों की क्षमता बढ़े और उनके खेती की पैदावार बढ़े। साथ ही साथ उनके खेती करने में जो खर्चा होता है वह घटना चाहिये। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में जितनी भूमि पर काश्त होती है उसमें से लगभग ४० फीसदी भूमि इन भूमिहीन किसानों के हल के नीचे आज है। प्रदेश के ९०,००,००० पोजेंट फैमिलीज में से आज ६७,५०,००० परिवार इन लाभहीन जोतों के मालिक हैं। तो आज जरूरत इस चकबन्दी कानून में यह थी कि उसमें कुछ ऐसे संशोधन करते जिससे एक ऐसा ढांचा तैयार होता जिससे कि इन लाभहीन जोतों के किसान अपने पुराने तरीकों को बदल कर के अच्छे और इम्प्रूव्ड टेकनीक से खेती करने में प्रोत्साहन पाते। उसका एकमात्र तरीका जो श्रीमन्, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बताया गया है वह है कोआपरेटिव फार्मिंग। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस संशोधन विधेयक में जरूरत इस बात की थी कि कोई ऐसा प्राविजन हम करते जिसके तहत में कोआपरेटिव फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलता। मुझे श्रीमन्, खेद है कि इस सारे संशोधन विधेयक को पढ़ने के बाद में कोई प्राविजन ऐसा नहीं पाता जिससे कि किसी प्रकार के कोआपरेटिव को, किसी प्रकार की सहकारिता को, कृषि के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलता हो।

[श्री शिवराज सिंह यादव]

दूसरा महत्वपूर्ण वाक्य जो श्रीमन्, मुझे याद आता है वह सेंटर के फूड मिनिस्टर साहब का है। उन्होंने कौंसिल आफ स्टेट में यह फरमाया कि खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये मुझे तो यह जरूरी जान पड़ता है कि कुछ काल के लिये लैंड रिफार्म्स के मामले में ट्रूस कर लिया जाय। गालिबन उनका मंशा यह होगा कि लैंड रिफार्म को कार्यान्वित करने के काल में खाद्यान्न की पैदावार को क्षति पहुंचती है और वह चाहते हैं कि हर प्रदेश की सरकार जब इन कानूनों को कार्यान्वित करे तो इस बात का एहतियात बर्ते कि यह क्षति कम से कम हो। श्रीमन्, इस प्रदेश में जो चकबन्दी की योजना चालू है उसको इस वक्त के कानून और योजना के तहत में कार्यान्वित करने में लगभग ३ वर्ष लगते हैं। मेरे नजरिये से यह ३ वर्ष ज्यादा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये, कानून बाजी के जरिये से या योजना में दूसरे प्रकार की तब्दीलियां करके, इस अर्से को घटा करके डेढ़ साल कर दिया जाय। आज भी कुछ गांवों की चकबन्दी एक वर्ष में पूरी कर लेते हैं। तब समझ में नहीं आता, क्यों नहीं हम एक ऐसा तरीका सोच सकते कि सारे इलाके में, जिसको घटा करके हम कम भी कर सकते हैं, जिस क्षेत्र को लें उसको डेढ़ साल के अन्दर चकबन्दी समाप्त कर दें। आज प्रदेश में जिस गति से यह योजना लागू कर रहे हैं वह भी सुस्त है। अगर यही रफ्तार कायम रही तो मेरा अनुमान है कि प्रदेश में लगभग १५-२० साल में चकबन्दी पूरी हो पायेगी। इस काल के अन्दर सारे प्रदेश के किसान डर और भय के अन्दर काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि चकबन्दी योजना उनके गांव में आने वाली है। लिहाजा जितनी दिलचस्पी से वह खेती कर सकता है, उतनी दिलचस्पी से नहीं कर रहा है। इसलिये कोई ऐसी योजना की जाय जिससे इसकी प्रगति तेज हो।

श्रीमन्, आज चकबन्दी योजना के कार्यान्वयन में खास महत्व डिलीवरी आफ पजेशन के वक्त का भी है। मुझे खेद है कि आज जबकि अन्नाभाव का काल है उस वक्त भी चकबन्दी योजना के तहत में खेतों पर कब्जे अगस्त और सितम्बर में दिलाये जाते हैं। आज से पहले जितने कानून थे उनकी तहत में जो पजेशन दिलाया जाता था उसमें आखिरी तारीख ३० जून हुआ करता थी। उसका तात्पर्य यह है कि किसान को जुलाई से पहले जब खेती का साल शुरू होता है, मानसून आता है, यह अवश्य मालूम हो जाना चाहिये कि उसको कौन कौन से खेतों में काम करना है। आज जब हम खरीफ आन्दोलन, रबी आन्दोलन चलाते हैं, अन्नाभाव से पीड़ित हैं, हर प्रकार से चेष्टा कर रहे हैं कि खेती की पैदावार बढ़ायें, ऐसे काल में जिन जिलों में यह योजना चालू है और वहां चाहे जितने थोड़े से गांवों में भी अगर यह लोगों को जुलाई से पूर्व मालूम न हो कि किस खेत पर उनको काम करना है तो इससे खेती की पैदावार में कमी आने का पूरा अंदेशा है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, मैंने खरीफ आन्दोलन के सिलसिले में अपनी कांस्टीट्यूएंसी का दौरा किया और मुझे तो दुख हुआ, वह इत्तफाक की बात थी, और यह दौरा मैंने हल्के के बी० डी० ओ० और उस ब्लाक के दूसरे अफसरान के साथ किया, जितने गांवों में जाने का इत्तफाक हुआ उनमें सारी मीटिंगों से और प्रचार के उपरान्त यह मालूम हुआ कि उन गांवों में कब्जा परिवर्तित नहीं हुआ है। इसलिये कैसे वह आपका खरीफ आन्दोलन शुरू कर सकते हैं? साथ ही जब मालूम किया कि कितनी मात्रा में काम उन गांवों में चकबन्दी का रह गया है तो मालूम हुआ कि वह मात्रा बहुत कम थी और यदि किसी खास नियोजन से काम लिया जाता तो अवश्य ही उन गांवों के अन्दर खेतों पर कब्जा दिलाना उससे पूर्व मुमकिन था। तो मेरा कहना है कि चाहे कानून के द्वारा, चाहे रूल्स की तहत में, यह बात अवश्य निश्चित कर दी जाय कि एग्रीकल्चरल ईयर के शुरू होने से पूर्व ही जिन गांवों में कब्जा दिलाना हो अवश्य दिला दिया जाय।

श्रीमन्, चकबन्दी कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विलेज ले आउट तैयार करना है। पिछले १५० साल की दासता में यह सही है कि गांवों में लोग जमींदारी की दासता में बसते रहे और तरह-तरह के रहन-सहन की तकलीफात उनको इकट्ठी हो गईं। इस चकबन्दी योजना

का यह उद्देश्य बहुत आवश्यक है कि जो तकलीफात आज गांवों के रहन सहन में हैं वह दूर हो जायं। लेकिन जिस प्रकार से यह योजना कार्यान्वित हो रही है उससे यह उद्देश्य पूर्णतः पूरा नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि सम्बन्धित अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि जिस गांव में चकबन्दी पूर्ण हो जाय वहां वह इस बात का सर्टिफिकेट दे सकें कि अब इस गांव के अन्दर हर काश्तकार को हमने खाद के गड्ढे का प्रबन्ध कर दिया है। क्या उस गांव के जो घने मुहल्ले हैं उनको बसाने का प्रबन्ध हो गया है? क्या वहां के खलिहान आदि का पूर्णतया इंतजाम हो गया है? क्या अब वहां रास्ते आदि का कष्ट नहीं रह गया है? इसलिये मेरा निवेदन है कि जहां पर भी जिस समय चकबन्दी लागू हो जाय तो वहां के लिये वहां के अधिकारी एक सर्टिफिकेट दें कि गांव के लोगों को जो कष्ट पहले थे वह अब नहीं रहे और उन सब का निवारण हो गया है। एक प्रथा यह भी है कि गांव के ले आउट को सेटिलमेंट अफिसर खुद तरमीम करते हैं, इससे काश्तकार जरूर सन्तुष्ट हो जाते हैं लेकिन सार्वजनिक अनहित की बात आ जाती है। इसलिये आज जरूरत इस बात की है कि चकबन्दी द्वारा जो हम गांव का नियोजन कर रहे हैं वह इतना सुन्दर हो कि उसके बाद दोबारा कुछ और करने की जरूरत न पड़े। हम प्रदेश में चकबन्दी पूरी करने में ६०,००,००,००० रुपया खर्च करेंगे, तो इतनी भारी रकम काश्तकारों को व्यय करनी होगी इसलिये हमें इस में काफी सतर्कता बरतने की जरूरत है। ईश्वर न करे कि हम कुछ साल बाद यह महसूस करें कि चकबन्दी तो पूरी हो गई लेकिन गांव के रहन सहन में, खेती करने में जो पहले असुविधायें थीं जिनको दूर करना इस कानून का उद्देश्य था उनको हम दूर नहीं कर पाये। तो मैं नहीं समझ सकता कि फिर हम उस गलती को कैसे ठीक कर पायेंगे। अतः मैं निवेदन करूंगा कि हमें इस पहलू पर खासतौर से पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, जो खर्च इस योजना में आ रहा है वह भी कुछ ज्यादा है। मेरा निवेदन है कि इस तरह का प्रयास होना चाहिये कि यह व्यय कम हो और मेरा निवेदन यह भी है कि छोटी जोतों के किसानों से यह खर्च न वसूल किया जाय क्योंकि उनकी आर्थिक अवस्था जैसी है वह आप भली प्रकार जानते हैं। इस कानून में जो वकीलों ने सोना इकट्ठा किया है वह किसी से छिपा नहीं है। छोटे किसानों को वकीलों से बचाना जरूरी है इसलिये मेरा सुझाव है कि जो मुकदमे डिस्प्यूटेड रह जायं वे तहसीलों के हेडक्वार्टर पर या सी० ओ० के हेडक्वार्टर पर ही लिये जांय ताकि किसानों को वहां पर आसानी से वकील मिल सकें। ए० सी० ओज० के यहां दूर-दूर क्षेत्र में किसानों के लिये वकीलों को ले जाना बहुत कठिन है और उसमें बहुत अधिक मेहनताना उनको देना पड़ता है, तहसील हेडक्वार्टर्स पर सस्ते मेहनताने पर वकील मिल सकेंगे और डिसप्यूटेड केस कम खर्च में वहीं तय हो सकेंगे।

इस कानून से यह आशा थी कि जो छोटे किसान हैं उन को इस का लाभ पहुंचेगा लेकिन उसके खिलाफ आज उस पर अधिक व्यय पड़ता है और कोई लाभ नहीं पहुंचता। छोटे किसान को, बड़े किसान को, आज भी कई कई चक मिल रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि कोई लिमिट फिक्स कर दी जाती कि इस से कम के या मान लीजिये २ एकड़ से छोटे किसान को हम एक ही चक देंगे। इस तरह से हम आशा कर सकते थे कि एक खास श्रेणी के किसान को चकबन्दी से खास लाभ हुआ है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन सुझावों पर विचार कर के अवश्य कार्यवाही करेंगे। इन सुझावों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, चकबन्दी विधेयक हमारे सामने है, जब से चकबन्दी चल रही है तब से ही मेरा सम्बन्ध चकबन्दी से रहा है और मेरा पूरा क्षेत्र चकबन्दी का है। यहां पर यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और इस बात की कोशिश की गयी है कि प्रवर समिति में भेजने से देश की जनता का चकबन्दी के सिलसिले में बहुत भला होने वाला है।

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

जहां तक चकबन्दी विधेयक का सम्बन्ध है और प्रवर समिति का सम्बन्ध है मैं यह स्पष्ट-रूप से कह सकता हूं कि चकबन्दी के सम्बन्ध में एक निरन्तर और स्थायी प्रवर समिति अपने प्रदेश में कायम है जो कि हमेशा काम करती रहती है और जिन-जिन जिलों में चकबन्दी का काम होता रहता है उन जिलों के एम० एल० ए० उसके सदस्य हैं और उसके अन्दर उन सभी लोगों ने अपने सुझाव दिये हैं और वह सरकार के सामने हैं। इतना ही नहीं, जिन-जिन क्षेत्रों और जिलों में चकबन्दी हो रही है उन जिलों में चकबन्दी समिति है और उसके अन्दर कांग्रेसी और गैर-कांग्रेसी सभी लोग काम करते हैं। वहां भी कहीं से भी जो सुझाव आये हैं वह सब सरकार के सामने हैं। सब प्रकार के सुझाव जो जिलों की समितियों से और प्रदेशीय समिति से प्राप्त हुए हैं उन सबका समावेश करके यह चकबन्दी विधेयक प्रस्तुत है। प्रदेशीय चकबन्दी समिति तो बहुत ही ऊंची समिति है। जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया, सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने उससे इस्तीफा दे दिया है, बाकी सभी पार्टियों के सदस्य उसके मेम्बर हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी के सुझाव सरकार के पास नहीं हैं। सभी के सुझाव सरकार की जेब के अन्दर हैं और किसी जिला चकबन्दी समिति या प्रदेशीय समिति के सदस्य कोई सज्जन यह कहें कि मेरा सुझाव सरकार के पास नहीं है तो उसका क्या कारण हो सकता है, सिवाय इसके कि उनकी निष्क्रियता या अकर्मण्यता है। तो सभी अनुभवों और सुझावों का समावेश करके यह संशोधन विधेयक पेश है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जो सुझाव रखे गये थे चकबन्दी कानून के संशोधन के लिए उन सिद्धान्तों को प्रदेशीय चकबन्दी समिति के सभी सदस्यों ने सर्व-सम्मति से स्वीकार किया है और उनका समावेश करके यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है। इसलिए यह दलील करना कि प्रवर समिति में भेजे जाने से कोई नया सुझाव आने वाला है, कोई अच्छा परिवर्तन होने वाला है, यह तथ्य के विपरीत है। हां, अगर यह बात रखी जाय कि शब्दावली में कुछ परिवर्तन या हेर-फेर किया जाय तो वह हो सकता है। क्योंकि शब्दावली के दूसरे अर्थ निकाले जा सकते हैं और दूसरे लोग दूसरे अर्थ निकाल सकते हैं। वैसे तो सिद्धान्तों और सुझावों का समावेश करते समय सरकार ने इस विधेयक की शब्दावली पर अच्छी तरह से विचार किया है और सरकार के विशेषज्ञों ने भी विचार किया है। उस पर संशोधन दिये जा सकते हैं। इसलिए यह जो प्रस्ताव है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाय उसके अन्दर कोई तथ्य नहीं है और उसके अन्दर कोई सार नहीं है। इसलिये यह विधेयक प्रवर समिति के सामने कभी भी नहीं भेजना चाहिए।

विधेयक के अतिरिक्त और बहुत सी बातें कही गयीं---चकबन्दी के अमलदरामद के बारे में, शिकायतों के सम्बन्ध में और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में और यहां तक कहा गया कि जनता की राय से चकबन्दी करनी चाहिये। इन सब शिकायतों में कितना तथ्य है, उसकी असलियत क्या है यह मैं आपके सामने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं।

घूसखोरी की बड़ी बात कही जाती है, उसकी बड़ी चर्चा है। ठीक है, घूसखोरी होती है, उससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता लेकिन उसको दूर करने का उपाय क्या है? विधेयक के वर्तमान स्वरूप को या कोई दूसरे रूपान्तर को स्वीकार किया जाय तो भी घूसखोरी से विधेयक का क्या सम्बन्ध है? लोग अपने स्वार्थ साधन हेतु घूस लेते हैं। इसलिये जहां तक घूस का सम्बन्ध है उसके लिये विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाय, इसमें कुछ तथ्य दिखाई नहीं देता। जिन क्षेत्रों में चकबन्दी नहीं चल रही है वहां भी जमीन को हस्तगत करने के लिये घूस ली जाती है और लोग स्वार्थ साधन करते हैं।

माननीय मंत्री जी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि यदि कोई माननीय सदस्य लिखित रूप में यह कहें कि उन्होंने जांच करके यह तसदीक कर लिया है कि अमुक कर्मचारी भ्रष्टाचारी है तो वह कर्मचारी अपनी सेवाओं से मुक्त कर दिया जायगा, इससे अधिक घूसखोरी

को नष्ट करने के लिये और क्या किया जा सकता है? मैंने स्वयं लिख कर के दिया और माननीय मंत्री जी ने तुरन्त उस कर्मचारी को पृथक् कर दिया। जो लोग सरकारी तरीके से अपने सेवाओं से हटाये जाते हैं वे भी जांच पड़ताल के पश्चात् ही हटाये जाते हैं।

कल एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि चकबन्दी क अधिकारी व कर्मचारी बड़े परेशान रहत हैं, उनको बड़ा भय रहता है कि न मालूम कब उनकी सेवाओं से पृथक् कर दिया जाय। अगर वे उनकी शिकायत करने में इस प्रकार हिचकिचाते हैं तो वे यह नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार दूर हो और अगर चाहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर हो तो इसमें हिचकिचाने की बात नहीं है। हां, बिना जांच के लोग पृथक् कर दिये जात हैं ऐसी बात कहीं नहीं है। जब कोई ऐसी कार्यवाही की जाती है तो विभाग के लोग उसमें जांच करने लेते हैं।

असन्तोष की बात भी कही गयी है। असन्तोष चकबन्दी से पैदा होता है लेकिन वह असन्तोष कई प्रकार का है। असन्तोष तो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक नेता लोगों का असन्तोष है, एक चकबन्दी के दलालों का असन्तोष है और एक विपक्षी लोगों का असन्तोष है। चकबन्दी में २ फरीक लड़ते हैं, जिसके खिलाफ फैसला होता है वह हमेशा कहता है कि अन्याय हो रहा है और ऐसे लोग प्रायः अखबारों में समाचार भी छपवा देते हैं। अखबारों में अक्सर चकबन्दी के सम्बन्ध में शिकायतें देखी जाती हैं। लेकिन यह चीज समझ में नहीं आती कि जिस व्यक्ति में यह क्षमता होती है कि वह अखबारों में शिकायतें छपवा दे तो उसमें इतनी क्षमता क्यों नहीं होती कि उन शिकायतें को वह चकबन्दी अधिकारियों के सामने रखें। इसका अवश्य कोई कारण है जिससे उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है। समाचार-पत्रों की शिकायतों पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिये। ज्यादातर शिकायतें निराधार होती हैं। जिन लोगों के खिलाफ फैसले होते हैं वे पढ़े-लिखे होते हैं तो अखबारों में शिकायतें छपवा देते हैं। इसी तरीके से जहां विपक्षी लोगों के खिलाफ निर्णय होता है और अगर वह पढ़े-लिखे होते हैं तो वह जरूर प्रचार करते हैं कि हमारे खिलाफ अन्याय हो रहा है और जो पैसे वाले हैं उनके खिलाफ निर्णय होता है, तो वह भी प्रचार करते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने कहा कि शिकायतें तीन कैटेगरी की होती हैं। एक तो विपक्षी लोग शिकायत किया करते हैं, दूसरे दलाल लोग शिकायत किया करते हैं और बदकिस्मती से बात यह है कि पोलिटिकल कार्यकर्ता भी दलाली करते हैं और गैर-पोलिटिकल पार्टी के लोग भी दलाली करते हैं। जो लोग दलाली करते हैं उनके पास एक ऐसा नक्शा है कि अगर चकबन्दी समाप्त हो गई तो उनका रोजगार भी समाप्त हो जायगा। इसलिये वह चाहते हैं कि जब तक चकबन्दी चलती रहेगी उनका रोजगार भी कायम रहेगा और वही लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और वह खुद घूसखोरी करते हैं। इसका पता उस समय लगता है जब दो दलालों में आपस में झगड़ा हो जाता है तो वह सड़क पर खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ जोर-जोर से कहते हैं। जब तक इनकी आपस में पटती है तब तक पता आसानी से नहीं चल सकता है। इस तरह से दलाल लोगों की एक कैटेगरी है और वह इसके खिलाफ व्यापक प्रचार करते हैं।

श्रीमन्, नेता लोगों को भी एक बड़ा भारी असन्तोष है। वह चाहे जिस पार्टी के हों लेकिन चकबन्दी में सबकी अग्नि परीक्षा हो जाती है जिससे नेतागिरी का असली रूप प्रकट हो जाता है। जिस गांव में चकबन्दी होती है वहां यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है कि कौन आदमी किस विचार का है। १०० माननीय सदस्यों में से कम से कम ७०-८० सदस्य ऐसे होते हैं जिनके यहां खेती होती है और सभी जानते हैं कि वह खेती अपने हाथ से नहीं करते हैं और किसी न किसी को अपनी जमीन उठा देते हैं तो गांव में चकबन्दी के समय पता लग जाता है कि नेता जी अपनी जमीन उठाये हुये हैं। तो क्या जो हल चला रहा है उसके नाम पर जमीन दर्ज करा रखी है या अपने नाम में उसका इन्दराज करा रखा है, यह बात चकबन्दी होने पर खुल जाती है। चकबन्दी का ऐसा काम है कि इसमें फर्जी नेतागिरी नहीं चल सकती

[श्री मदन गोपाल वैद्य]

है। यह तो एक रचनात्मक काम है और जो इसमें ठोस रूप से भाग लेता है उसकी नेतागिरी चमक सकती है और जो दूर से काम करना चाहेंगे उनकी नहीं चमक सकती है। चकबन्दी में फर्जी नेतागिरी समाप्त होने वाली है।

चकबन्दी में बहुत प्रकार की शिकायतें होती हैं। उनकी असलियत पर जाने से पता चलेगा कि उसमें कितनी शिकायतें ठीक हैं। असली शिकायतें पढ़े लिखे लोगों की नहीं होती हैं जो अखबारों में छपती हैं बल्कि वह होती हैं जो अपढ़ लोगों की होती हैं और कांग्रेस कमेटी में आती हैं या दूसरी राजनीतिक पार्टियों के पास जाती हैं। इन शिकायतों को दूर किये जाने का प्रयत्न किया जाता है।

श्रीमन् यह भी कहा गया है कि चकबन्दी वहीं की जाय जहां की जनता चाहती हो और जनता की राय लेकर की जाय। अब सवाल यह है कि यह राय किस तरह से ली जाय? जनरल इलेक्शन्स हुये उस समय हमारा पूरा क्षेत्र चकबन्दी का था और विरोधी पार्टी इसको इतना गड़बड़ समझते थे कि इन्होंने चकबन्दी को इश्यू बना कर इलेक्शन लड़ा। कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता हमारे क्षेत्र में पहुंचे और वह यहां की दशा को देख कर यहीं से चुनाव लड़ने के लिये लालायित तथा उत्सुक हुये। इसलिये उन्होंने साल छै महीने पहले से ही वहां पर आकर अड्डा जमा लिया और फैजाबाद से लखनऊ तक मार्च करा कर वह लोगों को लाये और चकबन्दी को इश्यू बना कर इलेक्शन लड़ा लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। सारी जनता ने चकबन्दी के लिये राय दी। अगर यह घोषणा कर दी जाती है कि अमुक गांव चकबन्दी में से निकाल दिया गया तो उसके शामिल करने के लिये मंत्री जी तथा डायरेक्टर साहब के पास दरख्वास्तें आती हैं। जब चक कटते हैं तो आप देखें कि उनके विरुद्ध कौन लोग आवाज करते हैं और उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन लोग असन्तुष्ट हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि कितने प्रतिशत लोग उसकी अपील करते हैं। उससे पता लग जायगा कि अधिकांश लोगों को सन्तोष है। केवल थोड़े से लोग अपील करते हैं, बहुत बड़ा बहुमत अपील नहीं करता है। अगर आप इस बात को देखें कि हमारे जिला जज महोदय भी जो फैसला करते हैं वह फैसला भी हाईकोर्ट से कभी कभी उलट जाता है। लेकिन अगर चकबन्दी में उलट जाता है तो बेईमानी की शक्ल दिखायी पड़ती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अधिकारी अपनी बुद्धि से ही फैसला करते हैं। जो बातें चकबन्दी के सिलसिले में कही गयी हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार और असन्तोष है उसके अन्दर असलियत नहीं है। जो कुछ खराबी है उसको दूर करने के लिए प्रवर समिति में भेज करके कोई किसानों का भला होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी इतने उदार हैं जो जल्दी जल्दी संशोधन लाया करते हैं, आज चकबन्दी से सम्बन्धित जितने सुझाव प्राप्त हुए थे उन सबका समावेश करके विधेयक प्रस्तुत किया गया है। जो काम किसानों के हक में किया जा रहा है यह निर्विवाद है और यह विधेयक सुचारु रूप से चकबन्दी को चलाने के लिए पेश किया गया है। इसलिए उसमें विलम्ब करने से कोई लाभ नहीं होगा। इस पर इसी समय विचार होना चाहिए। इसकी शब्दावली में जो माननीय सदस्य संशोधन करना चाहें कर सकते हैं। प्रवर समिति में भेजने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत चकबन्दी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने वाले संशोधन को पढ़ कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है और प्रवर समिति में भेजने का कारण यह बताया गया है कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार है। चकबन्दी का कार्य हमारे प्रान्त में १९५४ से चल रहा है। हमारा मूल अधिनियम उसी समय से प्रान्त में लागू है। मान्यवर, कार्य करने के अनुभव के आधार पर ही इस अधिनियम में संशोधन लाये गये हैं और यह प्रस्तुत संशोधन भी उसी प्रकार से क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारी, कर्मचारी और सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के तजुर्बे की बिना पर लाये गये हैं। इस संशोधन विधेयक में किस प्रकार के संशोधन हैं इस

पर माननीय मंत्री जी ने कल अपना संक्षिप्त भाषण इस सदन के सामने दिया था। उस भाषण से यह स्पष्ट था कि चकबन्दी के कार्य में अधिकारियों, कर्मचारियों और किसानों की सुविधा हेतु या यों कहिए कि चकबन्दी के कार्य को शीघ्र से शीघ्र पूरा करने के लिए यह संशोधन विधेयक इस सदन के सामने आया है। उन माननीय सदस्य ने जिन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, अपने भाषण में कोई ऐसी दलील नहीं दी जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि इसमें कोई भी संशोधन अनावश्यक है या कोई ऐसा संशोधन आवश्यक था जो इस विधेयक में आना चाहिए था, वह नहीं आ पाया है। उनकी दलील और उनका भाषण इस बात पर आधारित था कि चकबन्दी का कार्य दोषपूर्ण है और काम करने का तरीका उतना हितकर नहीं है, उतना फायदा किसानों को चकबन्दी के कार्य से नहीं पहुंच रहा है जितना कि वह चाहते हैं।

दूसरी बात जो उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में कही वह भ्रष्टाचार की थी और यदि मैं भूला नहीं हूं तो उन्होंने भ्रष्टाचार का कारण शायद यह बताया कि शुरू में यह कार्य उन अधिकारियों से लिया गया जो अवकाश प्राप्त करके अपने घरों को जा चुके थे। दूसरा कारण उन्होंने यह बताया कि जो अधिकारी उनकी जगहों पर नये रखे गये वह अस्थायी हैं। उनकी गर्दन पर हर वक्त सरकार की नंगी तलवार टंगी रहती है कि न मालूम किस दिन नोटिस देकर उनको हटा दिया जाय। इसलिये भ्रष्टाचार चकबन्दी में ज्यादा बढ़ रहा है। मान्यवर, दोनों बातें एक दूसरे की विरोधी हैं, जो इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजने के सिलसिले में कही गई हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि चकबन्दी का काम कोई स्थायी कार्य नहीं है। एक समय आयेगा जब कि हमारे प्रान्त की सारी भूमि चकबन्दी में आ जायगी। जाहिर बात है कि चकबन्दी में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी ज्यादा समय तक काम करने के लिये नहीं हैं। इसलिये उनको स्थायी किया जाय या नहीं इसको वह स्वयं विचार सकते हैं। जब वह कार्य ही अस्थायी है तो जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको किस प्रकार से स्थायी किया जा सकता है। अब यह कहा जा सकता है कि जो लोग स्थायी काम करने के लिये हैं सरकार उनसे यह काम ले। उदाहरण के लिये माल विभाग जिसके सुपुर्द यह कार्य है, अपने स्थायी अधिकारियों से कराये। जितने आदमी आज चकबन्दी में लगे हुये हैं क्या इतना बड़ा स्टाफ माल विभाग से मिलना मुमकिन था ? क्या माल विभाग इतने कर्मचारी और अधिकारी अलग से निकाल कर दे सकता था कि उसका भी साधारण कार्य चलता रहे और उसके स्थायी कर्मचारी और अधिकारी ही इधर भी काम करते रहें ? सरकार के सामने मजबूरी थी। सब से बड़ी कठिनाई यह थी जिसकी वजह से कर्मचारी और अधिकारियों को स्थायी नहीं किया जा सका है। चूंकि यह कार्य स्थायी नहीं है। यदि यह कार्य स्थायी नहीं है तो इसके काम करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी स्थायी नहीं किया जा सकता था।

एक और बात जो प्रस्तावक महोदय ने कही वह यह कि भ्रष्टाचार दूर करने के लिये यह जरूरी था कि उनको स्थायी किया जाता। माननीय प्रस्तावक सदस्य और समर्थक जानते हैं कि स्थायी कर्मचारी और अधिकारी को उसकी सेवा से हटाने में कितनी कठिनाई होती है। उसको एक नोटिस देना पड़ता है और उस नोटिस का जवाब लेने के लिये उसको कुछ समय भी देना पड़ता है, फिर चार्जशीट लगायी जाती है, इसके बाद ही उसको हटाया जा सकता है। हर माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में बदनाम थे लेकिन वे किसी कानूनी पकड़ में नहीं आ सकते, जिससे उनको हटाया जा सकता हो। ऐसी सूरत में यह जरूरी और आवश्यक था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कर्मचारियों, अधिकारियों की सेवायें अस्थायी ही रखी जायं जिससे कम से कम यह हो सके जो कि आज हो रहा है कि थोड़ी सी शिकायत आने पर या किसानों के असन्तुष्ट होने पर अथवा कर्मचारी का

[श्री मही लाल]

कार्य असन्तोषजनक होने पर उस भ्रष्टाचारी को आसानी से हटाया जा सकता है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि चकबन्दी का काम जितना अच्छा आज है वह इसी वजह से हो रहा है कि काम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी को हर वक्त यह भय लगा रहता है कि न मालूम किस वक्त उसकी सेवायें खत्म कर दी जायं। यदि यह भय दूर कर दिया जाय तो मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं होगी कि चकबन्दी में भी उसी तरह का भ्रष्टाचार फैल सकता है जैसा कि हमें सरकार के दूसरे विभागों में सुनने को मिलता है। मुझे माननीय प्रस्तावक महोदय की इस बात को सुन कर बड़ा दुःख हुआ कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। उनकी बात से ऐसा जाहिर होता था कि जितना भी भ्रष्टाचार आज समाज में है वह सबका सब चकबन्दी के काम में ही आ गया है।

मुझे, यह कहते हुए अफसोस होता है कि हम कुछ कहने के पहले विचार नहीं करते हैं। हमें अगर किसी विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी के बारे में कुछ कहना है तो उसके पहले हमें विचार कर लेना चाहिये कि वे भी इसी समाज के अंग है जिससे कि हम निकल कर आये हैं। वे देवतास्वरूप नहीं है, वे देवता बन कर नहीं आये हैं और हम भी देवता बन कर नहीं आये हैं। समाज की जो बुराइयां हैं वही हमारे उन अधिकारियों और कर्मचारियों में भी हैं। जब तक समाज में भ्रष्टाचार, पक्षपात और दूसरी बुराइयां हैं तब तक कमोवेश वे सब हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों में भी रहेंगी और उनका रहना भी स्वाभाविक है। हां, हमारा और सरकार का कर्तव्य है कि दोनों को मिल कर यह कोशिश रहे कि कम से कम भ्रष्टाचार सरकारी कामों में रहे बल्कि कोशिश तो यह होनी चाहिये कि सरकारी काम में भ्रष्टाचार बिलकुल भी न रहे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जनतांत्रिक सरकार में, जहां विधान व कानूनों द्वारा क्रान्ति लायी जाती है, जहां सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये भी विधान में व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण है, वहां कितनी कठिनाइयां सरकार के सामने आती हैं हम इसको भी दृष्टिगत रखें तो अच्छा है। सरकार में कितने अधिकारी ऐसे मिलेंगे कि जिनको सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत पर हटाया, लेकिन कानून ने उनको मौका दिया और वे फिर सरकार के ऊपर जो उच्च न्यायालय की बड़ी शक्ति है, वहां से बहाल हो कर आये और फिर उन्होंने अपने स्थानों पर पुनः काम सम्हाला है। यह जो सब से बड़ी कठिनाई शासन के सामने है उसका अनुभव हमको करना चाहिये और उसका ध्यान करते हुये भ्रष्टाचार दूर करने की बात कहनी चाहिये। इसका मतलब माननीय सदस्य यह न लगा लें कि मैं कोई भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों का पक्षपाती हूं। मैं भी उनसे कम उनका विरोधी नहीं हूं और इस बात का पक्षपाती हूं कि यह जल्द से जल्द दूर होना चाहिये और बिलकुल नहीं रहना चाहिये।

मान्यवर, मुझे इस बात में संदेह है कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों के संबंध में, जो उनके जिले के हैं, माननीय मंत्री महोदय को कोई सूचना उनके बारे दी होगी, जिसके आधार पर कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कल कही थी। यदि उन्होंने इसकी सूचना माननीय माल मंत्री जी को दी होती, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि नंगी तलवार उनकी गर्दन पर टंगी रहती है, तो यकीनी बात थी कि वह नंगी तलवार उनके जिले में भी इस्तेमाल होती और उस भ्रष्टाचार में जरूर कभी आती, जिसकी उन्होंने बड़ी शिकायत की है। अगर वह दूर न हुआ होता तो कम अवश्य होता। और अगर उन्होंने उसकी सूचना दी, शिकायत, की और माननीय माल मंत्री जी ने उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया तो इस बात से मुझे आश्चर्य है। क्योंकि मुझे यह विश्वास है और मुझे ही नहीं बल्कि सभी माननीय सदस्यों को और प्रान्त की जनता को विश्वास है कि हमारे माल मंत्री किसी हद तक भी अगर वह भ्रष्टाचार दूर करने में अपनी ज्यादा से ज्यादा शक्ति उपयोग कर सकते हैं तो वह करते हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार पर आप बहुत बोल चुके हैं, अब विधेयक पर आ जाइये।

श्री महीलाल—आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

प्रवर समिति के प्रस्ताव के पक्ष में शिवराजसिंह जी ने दूसरी बात आज के खाद्यान्न की कमी की स्थिति की कही। यह बात बिलकुल निश्चय है कि चकबन्दी का उद्देश्य, और मुख्य उद्देश्य है कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हो और इसीलिये यह बराबर कोशिश है कि चकबन्दी जल्दी से जल्दी हो। लेकिन माननीय शिवराजसिंह जी ने, जिनके साथ मुझे भी प्रान्तीय चकबन्दी परामर्शदात्री समिति में बैठने का सौभाग्य प्राप्त है, एक भी सुझाव नहीं दिया जिससे यह समझा जाता कि यह संशोधन आना चाहिये था जिससे हमारे खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि होती। हां, उन्होंने अपनी लम्बी तकरीर में यह जरूर कहा कि एक तहसील की चकबन्दी होने में ३ वर्ष लग जाते हैं। फैजाबाद के माननीय सदस्य ने बतलाया, कि काफी विचार इस बात पर हमारी प्रान्तीय चकबन्दी परामर्शदात्री समिति में हुआ था कि वे रास्ते निकाले जावें जिनसे जल्दी-जल्दी चकबन्दी का काम पूरा हो। लेकिन कुछ वैधानिक, कुछ व्यावहारिक, कठिनाइयां हैं जिनकी वजह से चकबन्दी के काम में जितना समय देना चाहिये उतना देना ही पड़ता है। माननीय शिवराजसिंह जी के यहां चकबन्दी हो रही है और मैं उनके पड़ोस के क्षेत्र से आता हूं जहां चकबन्दी का कार्य पूरा हो गया है। हम दोनों अच्छी तरह से यह जानते हैं कि चकबन्दी की कार्यवाही में कितना समय किस-किस नक्शे को देने के बाद किसान को देना आवश्यक होता है। नक्शा २०, नक्शा २४, और फिर अन्त में जब चकबन्दी पूरी हो जाती है तो उसे नक्शा २५ मिलता है। इससे पहले बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें उज्रदारी के लिये मौका देने के लिये कुछ समय देना जरूरी होता है। कहीं १५ दिन देना जरूरी होता है, कहीं डेढ़ महीना देना जरूरी होता है। अगर ज्यादा जल्दी की जायगी तो उसका प्रभाव यह होगा कि किसान को अपनी बात कहने का या उसके जो फैसले विरुद्ध हुये हैं उनके सम्बन्ध में अपील करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिये संवैधानिक रूप से आवश्यक हो जाता है कि इतना समय चकबन्दी में लगेगा ही कितना आजकल लग रहा है।

एक बात उन्होंने ट्रांसफर आफ पजेशन की कही। उनकी बात बिलकुल सही है कि हमारा कृषि का वर्ष पहली जूलाई से ही शुरू होता है और क्या ही अच्छा हो कि ३० जून तक निश्चित तारीख हो जबकि पजेशन का ट्रांसफर हो। लेकिन इससे ज्यादा एक बात यह भी सोचने की है कि यदि किसी गांव की चकबन्दी ३० जून से पहले पूरी हो गई, मान लीजिये कि ३१ दिसम्बर को ही पूरी हो गई, तो क्या जरूरी है कि पहली जनवरी से ३० जून तक इन्तजार किया जाय कि पजेशन ३० जून को ही ट्रांसफर कराया जायगा और पहली जनवरी को न कराया जाय? मैं यह समझता हूं कि जिस समय भी चकबन्दी का काम पूरा हो जाता है उसी समय यह कोशिश होती है कि कब्जा बदल दिया जाय और नये चकों पर किसानों का कब्जा हो जाय।

एक बात श्री शिवराजसिंह जी ने और कही जो बड़े महत्व का प्रश्न है कि क्या ही अच्छा हो कि चकबन्दी के साथ-साथ ग्रामों का नियोजन कार्य भी पूरा हो जाय। यह निर्विवाद है कि हमारे गांवों का नियोजन कार्य जल्दी पूरा होना चाहिये। लेकिन वह भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि गांवों का नियोजन करने में, नये ढंग से उनकी आबादी को बसाने में, उनके रास्ते, खाद के गड्ढे, खलिहान और दूसरी चीजों के लिये जो आवश्यक हैं, भूमि छोड़ने में कितनी कठिनाइयां आ जाती हैं। मेरा निजी अनुभव है कि गांव के किसानों को हजार समझाने पर भी ऐसे कितने गांव मेरे क्षेत्र में भी रह गये हैं कि जहां के किसान इस बात के लिये तैयार नहीं हुये कि उनके गांव की जोत की भूमि में से सार्वजनिक उपयोग के लिये थोड़ी भी भूमि छोड़ी जाय।

[श्री महीलाल]

मैं उनकी इस राय से सहमत हूं कि इस कार्य में हमारे चकबन्दी अधिकारी जितना ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे सकते हों वह ग्रामीण जनता को मिलना चाहिये। मैं इससे भी आगे जाता हूं। आबादी की समस्या जो खासतौर से आज गांवों में छोटे किसानों और भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये बड़ी जटिल समस्या है उसका हल भी साथ-साथ होता चला जाता तो अच्छा था। लेकिन हम इसकी व्यवहारिक कठिनाइयां जानते हैं और अपने अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि अभी हमारे गांवों के, जिनकी इच्छा पर चकबन्दी चल रही है, प्रमुख लोग इसके लिये तैयार नहीं हैं कि वे अपने गांव के भूमिहीन किसानों को या मजदूरों को आबादी या सार्वजनिक उपयोग के लिये आसानी से जमीन देवें। मुझे तो यह शिकायत है, और मैंने कई बार यह प्रश्न माल मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत भी किया है, कि जैसे आप चाहते हैं, या आपका अधिनियम चाहता है और हम सब भी मिलकर चाहते हैं, उतना फायदा हमारे भूमिहीन और खेतिहर मजदूरों को या उस वर्ग के लोगों को चकबन्दी की उस धारा से नहीं पहुंच रहा है जिसमें सार्वजनिक कार्यों के लिये भूमि छोड़ने के लिये मौका दिया है।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर २३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नेकराम शर्मा के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

श्री महीलाल—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सार्वजनिक उपयोग के लिये छोड़ी गयी भूमि में से उन लोगों को, जिनके लिये कि वास्तविक रूप से आवश्यकता है, आबादी की भूमि उनको नहीं मिल पाती है इस सिलसिले में एक संशोधन नम्बर २६ के अन्तर्गत धारा २९ (क) बढ़ाई गयी है। उसका उद्देश्य यह है कि जो भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिये छोड़ी जाय, उसका प्रबन्ध गांव समाज के हाथ में दे दिया जाय। मान्यवर, मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि लगातार कोशिश करने के बाद भी हमारे गांव समाजों में वे लोग हैं जो पूर्णतया इस बात के हामी नहीं हैं कि मानवमात्र को समान अधिकार मिलने चाहिये। ऐसे लोगों ने उस सूरत में भी जब कि आबादी के लिये छोड़ी हुई भूमि पर गांव समाज का अधिकार नहीं था, अनधिकृत रूप में उस सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया था और उस भूमि का वितरण उस तरीके से किया था कि वह उन लोगों को नहीं मिल पायी, जिनको देने के उद्देश्य से यह व्यवस्था मूल अधिनियम में की गयी थी। माननीय मंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्यों का भूमि छोड़ने का यह उद्देश्य था कि ऐसे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को और छोटी जोत के किसानों को, जिनके पास रहने के लिये स्थान नहीं हैं, उनकी आबादी के लिये सार्वजनिक भूमि में से ही व्यवस्था की जाय। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि माननीय माल मंत्री जी की यह इच्छा होते हुए भी हमें पूरे तरीके से सफलता नहीं मिल पायी है। इसलिये इस उपधारा के रहने से यह भय है कि, जब कि यदि पहले माल मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला दिया जाता था, तो कुछ लोगों को जमीन मिल जाती थी, अब यदि यह भूमि, जैसा कि संशोधन के द्वारा किया जा रहा है, गांव समाज को दे दी गयी तो उन लोगों को उसका लाभ मिल भी पायेगा जिन लोगों के फायदे के लिये यह भूमि छोड़ दी गयी है, इसमें मुझे पूरा सन्देह है।

मैं माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी जानकारी के लिये तथा आप के द्वारा माननीय मंत्री जी की जानकारी के लिये यह बता देना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे-ऐसे गांव भी मौजूद हैं जहां जमीन डेढ़ रुपया गज तक बिकी है और गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूर उसको लेने में असमर्थ रहा है। इसलिये क्या ही अच्छा हो कि माननीय माल मंत्री जी इस बात के लिये सहमत हो जायं कि इस भूमि पर सरकार का अधिकार रहे और सरकार अपने आदेशों से परगनाधीशों द्वारा या अपने दूसरे अधिकारियों द्वारा इस भूमि का वितरण

केवल उन्हीं लोगों में करावे जिनको वास्तविक रूप से इसकी आवश्यकता हो। जो उद्देश्य हमारे इस विधेयक की इस धारा का है उस उद्देश्य की पूर्ति तभी हो सकती है जब सरकार इस अधिकार को अपने ही हाथ में रखे।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी यही चाहता हूं और बहुत से माननीय सदस्य यही चाहेंगे कि जो हमारे अलाभकर जोतों के किसान हैं उनको चकबन्दी का खर्च न देना पड़े तो बहुत अच्छा है। और मुझे इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि मेरी इस राय से माननीय शिवराज सिंह जी या माननीय माल मंत्री महोदय सहमत होंगे। वह भी इस राय के अवश्य हैं कि छोटे किसानों से अगर यह खर्च न लिया जाय तो बहुत अच्छा है लेकिन आज की आर्थिक कठिनाइयां और सरकार के आय-व्ययक का लेखा, मैं नहीं जानता कि उन्हें कहां तक इजाजत देगा कि वे छोटे किसानों को इस चकबन्दी के व्यय से मुक्त कर सकेंगे। यदि वह कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हों जिससे अलाभ-कर जोत के किसानों से यह चकबन्दी का व्यय न लिया जाय तो बहुत ही अच्छा होगा।

मान्यवर, एक मूल प्रश्न विवाद में यह उठाया गया कि इस चकबन्दी स कुछ लाभ हैं या नहीं है। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि जो साहबान या जो सज्जन चकबन्दी की हजारों खराबियां ही दिखाते हैं वे भी कभी हिम्मत नहीं कर पाते कि यह कहें कि चकबंदी योजना ही गलत है। चाहे वे इस राय के हों कि खाद्योत्पादन की वृद्धि के लिये भूमि सुधार नहीं होना चाहिये, चाहे कोई इस राय के हों कि इससे सब छोटे किसानों की जमीन छिन जायगी या छिन रही है लेकिन आज तक यह साहस किसी का नहीं हुआ जो यह कह सकें कि चकबन्दी योजना गलत है और चकबन्दी नहीं होनी चाहिये। हम सभी इस विचार में एकमत हैं कि चकबन्दी बहुत अच्छी चीज है और वह जितनी जल्दी हो सके उतना ही बहुत अच्छा है। मान्यवर, मुझे आपसे और माननीय सदस्यों से भी यह निवेदन करना है कि जिनको इस चकबन्दी में खराबियां ही खराबियां दिखती हैं या जो यह समझते हैं कि चकबन्दी के साथ जनमत नहीं है, उन लोगों से उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से आया था और पुनः भी वहीं से चुन कर आया हूं जहां चकबन्दी का काम पूरा हो गया है और जहां चकबन्दी का काम चुनाव के जमाने में हो रहा था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे जिले की संभल तहसील में, जहां आज चकबन्दी हो रही है वहां से वे लोग चुन कर आये हैं जो पहले इस सदन के मेम्बर नहीं थे। बिना चकबन्दी के इलाके के लोग जो कि उस समय के माननीय सदस्य थे वे हारे और उनकी जगह विरोधी दल के माननीय सदस्य चुन कर आये और मेरे यहां जहां चकबन्दी हो रही थी वहां से ऐसा सदस्य चुन कर इस माननीय सदन में आया जिसकी कोशिशों से, जिसकी नातजुर्बेकारी से, जिसकी अयोग्यता से वहां चकबन्दी करायी गयी। यह प्रमाण प्रत्यक्ष है कि चकबन्दी के साथ जनमत है या नहीं है। किसान चकबन्दी के साथ है और कब साथ है जब कि कुछ माननीय सदस्य ही और प्रान्त के कुछ अन्य जिम्मेदार लोगों का भी कहना यह है कि चकबन्दी में बुराइयां ही बुराइयां हैं और किसान चकबन्दी नहीं चाहता। यह प्रमाण उन्हें अपने सामने रखना चाहिए और तब यह बात कहनी चाहिए कि चकबन्दी किसान चाहता है या नहीं। हां, इसमें मुझे सन्देह नहीं है कि चकबन्दी योजना ही नहीं, कोई भी अच्छी से अच्छी योजना शायद ही ऐसी हो कि जिससे सब लोग सहमत हों। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमें चकबन्दी योजना के बारे में उसकी बुराइयां देखते समय, उसकी सफलता पर भी नजर डालते रहना चाहिए कि हमारे अनपढ़ किसानों का समाज ही नहीं बल्कि हमारे पढ़े-लिखे लोगों में भी ऐसे रूढ़िवादी लोग मौजूद हैं जो किसी भी अच्छी से अच्छी योजना को बुरा कहने में पीछे नहीं रहते। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि पूज्य बापू ने तमाम देश का ध्यान इस ओर दिलाया था कि हरिजन समाज से अस्पृश्यता का व्यवहार करना अन्याय है। लेकिन आज भी इस तरह के लोग और जिम्मेदार लोग मौजूद हैं और इस माननीय सदन के सदस्यों में भी हैं जो ऐसे कामरोको प्रस्ताव लाते हैं, जो कि कार्यवाही मंगा कर देखे जा सकते हैं, वे ऐसे प्रस्ताव लाए हैं कि विश्वनाथ मन्दिर में हरिजनों का प्रवेश होने से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची

[श्री महीलाल]

है। चकबन्दी योजना जिसमें खेत बदले जाते हैं, जिसमें और भी कई दूसरे क्रान्तिकारी कदम उठते हैं, जिसमें कुछ बड़े किसानों की भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए ले ली जाती है उसके बारे में यह सोचा जाय कि कोई आदमी भी इसका विरोध करने वाला नहीं मिलेगा, समझ से बाहर की बात है।

मान्यवर, एक शिकायत मुझे जरूर करनी है और वह शिकायत यह है कि मैं सरकार को उस जगह उदासीन पाता हूं जहां चकबन्दी कार्य पूरा हो जाता है। होना तो यह चाहिए कि अन्न की कमी को पूरा करने के लिये चकबन्दी का काम पूरा होने के बाद सरकार का ध्यान विशेष-रूप से उस तहसील पर रहना चाहिए जिस तहसील में चकबन्दी का काम पूरा हो जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपके द्वारा अपने मंत्रिमंडल से यह शिकायत है कि उन क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान सरकार का नहीं रहता, कोई केन्द्रित सहायता उस क्षेत्र को नहीं मिलती जैसी कि मिलनी चाहिए। जहां चकबन्दी योजना पूरी हो, सरकार की पूरी शक्ति वहां के विकास कार्यों को पूरा करने में लगे। वहां के किसानों को सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रुपया मिलना चाहिए। वहां के किसानों को अपने चकों की मेड़ें ऊंची करने के लिए तकावी का अनुदान मिलना चाहिए। वहां के किसानों को बैल खरीदने के लिए, खेती के अन्य कामों के लिए अधिक से अधिक धन की सहायता मिलनी चाहिए और वहां के किसानों को अधिक से अधिक हमारी इस सरकार के कृषि विभाग का परामर्श मिलना चाहिए। लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि कृषि विभाग बिलकुल निष्क्रिय रहता है और किसानों के पास पहुंचकर अच्छे-अच्छे नये अनुभवों, और परामर्श से उनको वंचित रखना एक साधारण सी बात है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जितनी आशा थी उतना सहयोग धन के द्वारा व परामर्श के द्वारा इस सरकार का और इस सरकार के मंत्रिमंडल का और इस सरकार के अधिकारियों का नहीं मिल रहा है। यह ठीक है कि जवाब में मंत्री महोदय यह कहेंगे कि विशेष रूप से हम उन स्थानों को तकावी दे रहे हैं। मेरे यहां डेढ़ साल से ज्यादा हो गये जब चकबन्दी का कार्य पूरा हुआ। केवल ५०,००० रुपया एक बार पहुंचा। दूसरी बाद फिर ५०,००० रुपया पहुंचा है, वह अभी बंट नहीं पाया है। मंत्री जी कह रहे हैं कि बिना प्रार्थना ही गया है और मुझे ऐसा याद पड़ता है कि मैंने मंत्री जी से इस सिलसिले में कई बार प्रार्थना की। हो सकता है कि मैं भूल कर रहा हूं। मान्यवर, जिस स्थान या तहसील के लोगों की चकबन्दी करायी जाय इससे ज्यादा जरूरी यह है कि चकबन्दी कराने के बाद सरकार उस क्षेत्र के किसानों का यह ध्यान रखे कि चकबन्दी के असली उद्देश्य की पूर्ति के लिये चकबन्दी के बाद वहां कृषि विकास कार्य कराये जायं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे एक बात और कहनी है जिसकी ओर माननीय राम-लखन मिश्र जी ने मेरा ध्यान दिलाया है। इस संशोधन विधेयक में एक नई उपधारा बढ़ायी गई है जो संशोधन नम्बर ४६ के अन्तर्गत ५३ (क) है, जिसका उद्देश्य यह है कि यदि कहीं के खातेदार आपस में मिल कर बिना किसी मतभेद के अपने गांव की चकबन्दी कर लें तो वहां की हुई चकबन्दी को मान्यता प्रदान कर दी जाय। मान्यवर, इसमें एक ही खतरा है और वह यह है कि आज हमारे सरकारी कागजात में बहुत सी गलतियां हैं और चकबन्दी के जहां और फायदे हैं सब से बड़ा फायदा यह है कि किसानों के खातों की लाखों गलतियां जिन पर किसान अपना रुपया ही व्यय नहीं करता था बल्कि कहीं-कहीं किसान को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था, बड़ी सुगमता और आसानी से और बड़े थोड़े से खर्चे में ठीक हो जाती हैं। इसके द्वारा, सरकार की नीति के मुताबिक वह लोग जो आज जमीन को जोत रहे हैं उनका नाम जमीन पर आ जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि आज शिकमी अधिकतर ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं, छोटे किसान हैं, जिनकी आवाज नहीं है, जो कायदे कानूनों को नहीं समझते हैं। ऐसे बेचारे लोग वंचित रह जायंगे अपनी बात कहने से अगर होशियार किस्म के खातेदारों ने अपने गांव के ४, ६ प्रभावशाली व्यक्तियों को मिला कर और सब खातेदारों ने मिल कर अपनी चकबन्दी करके दरख्वास्त दे दी तो नतीजा यह होगा कि

वह बेचारे भोले-भाले किसान अपने अधिकार नहीं प्राप्त कर पायेंगे। वह सब से बड़ा फायदा जो चकबन्दी से छोटे-छोटे किसानों को पहुंच रहा है उससे वंचित रह जायेंगे और अपनी बात नहीं कह पायेंगे। इसलिये कि मेरा यह अपना अनुभव है कि इस चकबन्दी में ज्यादा से ज्यादा यह कोशिश की गई है कि चकबन्दी का कार्य ग्राम के जन-प्रतिनिधियों की मंशा के मुताबिक ही और पूरा-पूरा सहयोग गांव के चुने हुए प्रतिनिधियों का कदम-कदम पर लेकर ही काम किया जाय। लेकिन फिर भी बेचारे कितने ऐसे छोटे-छोटे लोग रह जाते हैं जो अपनी अज्ञानतावश हमारे कानून का जो कि छोटे-छोटे किसान को मद्देनजर रखते हुए उसके फायदे के लिये बनाया गया है और यह संशोधन आ रहे हैं, वह पूरा-पूरा फायदा कहीं-कहीं वे बेचारे उठाने से महरूम रह जाते हैं, नहीं उठा पाते हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी इस बात पर विशेष रूप से विचार करें और यदि कोई रास्ता ऐसा निकल सकें कि कागजात की दुरुस्ती के बाद किसान अपनी चकबन्दी बिना किसी वाद-विवाद के कर लें तभी उसको मान्यता प्रदान की जाय, लेकिन कागजात की दुरुस्ती जरूर हो जानी चाहिये। बात बहुत लम्बी हो गई और मैंने सदन का बहुत काफी समय ले लिया। हां, इतनी बात अन्त में और आप के द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह चकबन्दी योजना प्रदेश के किसानों के लिये एक बहुत उत्तम कार्य है और इस सदन को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिये। यह संशोधन विधेयक जो आवश्यक और अति आवश्यक है चकबन्दी योजना के हित में है, किसानों के हित में है उसे जल्द से जल्द स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय माल मंत्री महोदय ने जो चकबन्दी (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसका विरोध करता हूं। मान्यवर, हमारे सूबे में चकबन्दी सन् १९५३ में शुरू हुई थी और आज वह २७ जिलों में चल रही है और यह अब सन् १९५८ है जिसमें यह संशोधन विधेयक आया है। इतने अर्से में जो चकबन्दी योजना में खराबियां थी उनका अनुभव हो गया बड़े मजे में। प्रदेश में जिला स्तर पर और यहां प्रदेश के स्तर पर समितियां बनी हुई हैं जो चकबन्दी के कार्य को देखती हैं, बाकायदा हर माननीय सदस्य इस कार्य को देखते हैं और प्रादेशिक स्तर पर वहां के अनुभव को यहां लाकर बताते हैं और इस तरह से जो खामियां हैं वह दूर होती जाती हैं और हर चीज जिला स्तर से यहां तक आती जाती है। सदन की हर पार्टी के सदस्य उन कमेटियों में हैं, हर चीज छन-छन कर यहां आती है और उसी का रिजल्ट यह विधेयक है। इसलिये इसको फिर सेलेक्ट कमेटी में भेजना प्रदेश की जनता के हित में न होगा। हमारे यहां कहा गया है कि शुभ काम जितनी जल्दी हो जाय अच्छा है। हमने पहले सन् १९५३ में कुछ कायदे कानून बनाये, अब उनमें कुछ खामियां मालूम हुईं, उन्हीं को दूर करने के लिये, चुने हुये लोगों के कहने से और उनके आधार पर ही यह बिल लाया गया है। तो जब एक चीज सामने आ गई और उसको संशोधन विधेयक के रूप में यहां लाया गया है तो इसको प्रवर समिति में ले जाने का अब कोई सवाल नहीं है। कल यहां सदन में यह भी कहा गया कि यह संशोधन विधेयक २८ पन्नों का है और जो मूल अधिनियम था वह केवल २३ पन्नों का ही था। उनकी इस बात से तो औरभी प्रवर समिति में इसे लेजाने की बात सिद्ध नहीं होती। यह तो जो खामियां मूल अधिनियम की थीं उनको दूर करने के लिये ही लाया गया है, तो उन माननीय सदस्य के कथनानुसार ही यह बिल पूर्ण है और अगर कोई कमी है भी तो माननीय सदस्य यहां संशोधन लाकर ठीक करा सकते हैं।

हमारे एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि चकबन्दी में भ्रष्टाचार बहुत जोर से है और साथ ही यह भी कहा कि चकबन्दी विभाग में बड़ी सख्ती होती है और जो वहां के कार्यकर्ता हैं वह निश्चित ही नहीं कर पाते कि कब तक रहेंगे और कब निकाल दिये जायंगे। मुझे सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है कि एक तरफ तो भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है और दूसरी तरफ सख्ती की भी शिकायत है कि वहां पर हर कर्मचारी को डर बना रहता है कि न जाने कब निकाल दिया

[श्री मुक्तिनाथराय]

जाय। यह दोनों बातें असंगत हैं। हमारे यहां कमेटी बनी हुई है अगर कोई गड़बड़ करता है तो जाब्ते के साथ उसको सजा दी जा सकती है। भ्रष्टाचार जहां होता है और भ्रष्टाचार की शिकायत की जाती है, इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा है कि भ्रष्टचार होता हो या न होता हो, लेकिन वह हमारे दिमाग में है। हममें जो राजनीतिक खेल करने वाले लोग हैं, यह सही है कि चकबन्दी को भी उसमें शामिल कर लेते हैं और खराबी न भी हो तब भी उसमें खराबी पैदा करके अपना राजनीतिक दाव-पेंच इससे सीधा करते हैं। इस प्रकार "खराबी है, खराबी है" यह कह कर उसको एक शक्ल दी जाती है। यों तो मानव समाज और मानव स्वभाव अपूर्ण है, कोई कानून बने तो उसमें खराबी रह ही जाती है, तो अगर इसमें भ्रष्टाचार है तो उसको दूर करने के लिए रास्ता दिया गया है कि जो आदमी खराब है और वह साबित हो जाता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। तो यह कहना कि बड़ा भ्रष्टाचार है, चकबन्दी रोक दी जाय और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और जब बढ़िया विधेयक आये तब हम उस पर विचार करें तो हमारी समझ से यह चीज बहुत संगत नहीं मालूम होती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने कल यह कहा कि चकबन्दी में पुराने डिप्टी कलेक्टर या वह कर्मचारी जो कि माल विभाग के थे आये हैं। तो यह तो मेरी समझ से चकबन्दी योजना की खामी नहीं, बल्कि अच्छाई है कि जितने हमारे पुराने तजुर्बेकार लोग रहे हैं वह इसमें लाये गये हैं। मुझे यह भी मालूम है कि चकबन्दी में इतना काम है कि कोई भी कर्मचारी, एस० डी० ओ० और माल विभाग के गजटेड आफिसर्स जो हैं वह लोग जल्दी आने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है। तो अगर माल विभाग के अच्छे लोग इसमें आयें और ठीक से काम करें, मेहनत से काम करें तो फिर हम इसको ठीक न मानें क्योंकि इसमें माल विभाग के लोग हैं, यह हमें तर्कशून्य चीज जंचती है।

मान्यवर, इस विधेयक में हम अगर देखें तो दो तीन चीजें बहुत अच्छी-अच्छी हैं। हमारे कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि गांव की जनता अगर पूर्ण रूप से तैयार हो जाय तब चकबन्दी करनी चाहिये, नहीं तो नहीं करनी चाहिये। लेकिन यह कि हर एक आदमी तैयार होगा तब गवर्नमेंट कोई कानून बनाये तो यह ठीक नहीं है। बल्कि गवर्नमेंट तो बनी हुई है, जनता की चुनी हुई है और जो कानून जनता के फायदे के लिये होते हैं सरकार उनको बनाती है। तो सरकार अपनी इस जिम्मेदारी को इसलिये कि किसी गांव का कोई आदमी नहीं चाहता है, छोड़ दे, कोई भी प्रगतिशील सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि सरकार जिस कानून को अच्छा समझती है, जनता के हित में समझती है, उसको बनायेगी। यह जरूर है कि कुछ प्रतिशत उससे असंतुष्ट हों, लेकिन कुछ के असंतुष्ट होने के कारण बहुमत के अधिकाधिक लाभ को नहीं छोड़ा जा सकता है और इसको बन्द नहीं किया जा सकता है।

इस विधेयक में आप देखें तो यह है कि "उप-संचालक चकबन्दी किसी गांव के सम्बन्ध में चाहे वह चकबन्दी क्षेत्र के भीतर हो या बाहर, गांव के खातदारों के द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गयी किसी भी चकबन्दी योजना को मान्यता दे सकता है।" अगर किसी गांव के समस्त लोग इस बात पर राजी हो जायं कि हम चकबन्दी करेंगे तो चाहे वह गांव चकबन्दी योजना में हो या न हो, उसको वह मान्यता दे देगें। हमारे विरोधी पार्टी के भाई यहां पर कम हैं, लेकिन जब हाउस में बैठते हैं तो चकबन्दी की धज्जी उड़ा देते हैं और बाहर कहते हैं कि बात यह नहीं है, चूंकि हाउस में कहना था इसलिये कहते हैं। तो वह भी बाहर तारीफ करते हैं। तो मैं मान्यवर, आप के द्वारा उनसे निवेदन करता हूं कि यह ५३-क की जो धारा है वह तो हमारे विरोधी सदस्यों को दावत है कि अगर वह यह समझते हैं कि सरकारी योजना अच्छी नहीं है, सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी हैं तो सामने आयें। इसमें किसानों से, जो चकबन्दी होगी, उसका खर्चा लिया जायगा, किसानों के ऊपर व्यर्थ का भार पड़ेगा तो अगर किसी गांव के लोग चाहते हैं कि चकबन्दी स्वतः कर लेंगे, सरकारी मशीनरी का उपयोग नहीं करेंगे तो सरकार ने उन्हें दावत दी है।

हमारे विरोधी भाई सरकार के खिलाफ मोर्चा बनाते हैं संघर्ष करने के लिये तो वह कर सकते हैं, लेकिन आज अगर संयुक्त मोर्चा रचनात्मक सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये विरोधी भाई बनायें तो प्रदेश की जनता का बड़ा भारी कल्याण करेंगे ।

सरकार चकबन्दी करती है । मैं कहता हूं कि खराबियां हैं । मैं कहता हूं कि हमारे विरोधी भाई जितने भी हैं सम्मिलित मोर्चा बना लें और अपने वालंटियरों को हर जिले के गांवों में भेजें और जिन गांवों को वे चुन लें उनके लिये कहें कि हम इनमें चकबन्दी करायेंगे और गांव के लोगों को शत प्रतिशत राजी कर लेंगे और सरकार के सामने फिर आयें और कहें कि हमने लोगों को संगठित करके अपनी मशीनरी के द्वारा, अपनी पार्टी के द्वारा जनता को तैयार किया है, चकबन्दी करने के लिये लोग तैयार हैं, हमने चकबन्दी इतने अच्छे ढंग से, इतने सस्ते में जनता को खुश करके करा ली है तो सरकार भी उनका अनुकरण करने के लिये बाध्य होगी और विरोधी पार्टी के सदस्य बहुत बड़ी सेवा इस प्रदेश की जनता की करेंगे । तो यह धारा बना कर सरकार ने विरोधी पार्टी के लोगों का मुंह बन्द कर दिया है । अगर वास्तव में वह चाहते हों कि देश का कल्याण हो, प्रदेश की जनता का कल्याण हो, मुकदमेबाजी घटे, हमारे प्रदेश के किसानों की माली हालत सुधरे, पैदावार बढ़े तो इस प्रस्ताव को मान कर इसका स्वागत करें और सरकार के साथ सहयोग करें और एक संयुक्त मोर्चा बना कर ऐसा रचनात्मक काम वह सरकार से आगे बढ़ कर दिखा दें कि हम ज्यादा काम करने वाले लोग हैं ।

मान्यवर, दो चीजों के बारे में मुझे और निवेदन करना है । इसमें धारा ९ में यह है कि "खातेदार को प्रविष्ट किये जाने वाली जोत या जोतों का क्षेत्रफल किसी भी दशा में, चकबन्दी संचालक की अनुज्ञा के बिना, उसकी मूल जोत अथवा जोतों के, जैसी भी दशा हो, क्षेत्रफल से २५ प्रतिशत से अधिक अन्तर वाला नहीं होगा ।" यह सिद्धान्त तो बड़ा अच्छा है लेकिन गांव में ऐसा होता है कि कुछ बेचारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या कायदा कानून नहीं जानते हैं उनका जो क्षेत्रफल है हो सकता है कि कुछ इस प्रतिशत से उनको घाटा हो जाय । मैंने प्रस्ताव भी दिया है जो कल आयेगा, उसमें यह सुझाव है कि बजाय २५ प्रतिशत के १० प्रतिशत कर दिया जाय और अगर खातेदारों की राय हो तो २५ प्रतिशत तक कर दिया जाय । माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस चीज को वह इसमें रख देंगे ।

तीसरी चीज यह कहनी है खंड १९ (१) के बारे में, कि (ख), (ग), (घ) और (ङ) में "यथासंभव" शब्द को इस्तेमाल किया गया है । (ख) और (ग) में "यथासंभव" ठीक है लेकिन (घ) में यह है : "एक ही परिवार के खातेदारों को यथासंभव पास-पास चक दिये जायेंगे ।" इस में मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि "यथासंभव" को निकाल दिया जाय क्योंकि एक परिवार के लोग यह आशा करते हैं कि हमारे खेत व चक एक ही जगह मिले । अगर कोई कर्मचारी ठीक है तब तो वह "यथासंभव" का ठीक से पालन करेगा लेकिन अगर ठीक न हुआ तो "यथासंभव" का दुरुपयोग कर सकता है । यह यथासंभव निकाल दिया जाय तो ठीक होगा । दूसरा यह कि प्रत्येक खातेदार जिसने अपने खेत में सिंचाई का साधन कर लिया है तो जो ऐसे खेत हैं उनको चकबन्दी में मिलाने के लिये लें तो उनको वही जगह दी जाय जहां उन्होंने सिंचाई के लिये कुयें वगैरह बना लिये हैं जिससे उन्हें सहूलियत होगी । तो श्रीमन्, यथा-संभव रहने से इसका भी दुरुपयोग हो सकता है । इसलिये इसको भी निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, अंत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा कि जब टेबिल टाक्स होती हैं या इधर-उधर की बातें होती हैं तो हरएक आदमी यही कहता है, जैसे वकीलों का तबका है तो जो माननीय सदस्य एल० एल० बी० वगैरह होते हैं वह चकबन्दी की मुखालफत की बात कहते हैं । वह कहते हैं कि इससे तो पेशे का भाग्य अंधकारमय हो जायगा क्योंकि यह तय है कि चकबन्दी के बाद झगड़े बहुत कम हो जायेंगे और फौजदारी वगैरह के मामले भी बहुत कम होंगे । तो फौजदारी के वकीलों पर भी इसका असर होगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रदेश की जनता समझ रही है कि चकबन्दी के बाद झगड़े कम हो जायंगे और यही सच बात है कि हमारे यहां झगड़े

[श्री मुक्तिनाथराय]

इसलिये बहुत होते हैं कि हमारे यहां छोटे-छोटे खेत होते हैं और एक बालिश्त मेड़ के लिये हाईकोर्ट तक मुकद्दमा लड़ा जाता है। भाई-भाई में एक दूसरे का कत्ल तक हो जाता है। चकबन्दी हो जायेगी तो इन सारी चीजों पर असर पड़ेगा और हमारे समाज में जो गड़बड़ी है वह एक हद तक दूर हो जायेगी। चकबन्दी का जो कानून बन रहा है वह आने वाली संतान के लिये एक शान्ति का संदेश देने वाला है तिस पर भी इस विधेयक का विरोध किया जाता है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है।

एक चीज यह भी कही गयी कि इसमें टेम्पोरेरी लोगों को नियुक्ति किया गया है इसलिये इसे प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वहां इस पर भी विचार हो जाय। यह कोई परमानेन्ट डिपार्टमेंट नहीं है। जब चकबन्दी खत्म हो जायेगी तो लोग अलग कर दिये जायेंगे और कुछ लोग दूसरे विभागों में लिये जा सकते हैं। इसलिये परमानेन्ट करने के बारे में कहना ठीक नहीं है। मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं और जिन भाइयों ने प्रवर समिति में भेजने के लिये प्रस्ताव रखा है वह वापस लें और जल्दी पास करें ताकि जनता को लाभ हो सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) विधेयक, १९५८ सदन के सामने प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें बहुत सी खास बातें हैं, जैसे खेती की तरक्की के संबंध में जितने सुधार हैं, उनमें पानी, खाद तथा नये-नये साधन जुटाने के सामान हैं, इनमें से चकबन्दी किसी से कम नहीं है बल्कि सब से पहला सुधार चकबन्दी का है। चकबन्दी होने के कारण, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि लोग बंटवारे का सवाल उठाते हैं वह सब बातें पीछे रह जाती हैं। मेरी राय में जब तक यह पूरे सुधार न कर लिये जायं तब तक अन्य सुधारों के जरिये से खेती को हम आगे बढ़ा सकते हैं। यह चकबन्दी से ही मुमकिन हो सकता है। जहां तक चकों का सम्बन्ध है १९५३ में जब चकबन्दी अधिनियम बना तो धारा १५ में यह व्यवस्था की गयी थी कि जितने हार हों कम से कम उतने ही चक दिये जायं उससे ज्यादा न होने चाहिये। १९५४ में इसका जब संशोधन किया गया तो उसमें भी यह रखा गया कि आबादी के लिए तथा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़ कर प्रत्येक खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या गांव के हारों की संख्या से अधिक न होगी। १९५३ के बाद १९५४ में जब अधिनियम संशोधित किया गया तो बात ज्यों की त्यों रह गयी यानी उसमें कोई सुधार नहीं किया गया। लेकिन १९५६ में जब फिर इसको संशोधित किया गया तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप देखेंगे—क्योंकि जहां तक चकबन्दी का सम्बन्ध है हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए, और है कि, हम काश्तकार को कम से कम चक दें। जहां तक मुमकिन हो बिखरे हुए चकों की संख्या घटा कर एकजाई करें। जब १९५६ में संशोधन किया गया उसी १५वीं धारा में तो उसमें यह रखा दिया गया—"कोई भी चकबन्दी चाहे वह उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ के प्रारम्भ के पूर्व की गयी हो या तत्पश्चात् केवल इस कारण से अवैध न होगी या अवैध न समझी जायगी कि किसी खातेदार को प्रदिष्ट चकों की संख्या गांव में हारों की संख्या से अधिक है।" तो १९५६ में जब संशोधन किया गया तो उसमें यह छूट दे दी गयी कि हारों की संख्या से यदि चकों की संख्या ज्यादा होगी तो चकबन्दी पर उसका असर नहीं पड़ेगा। उससे अधिकारियों को थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि यदि हम चक हारों से ज्यादा भी बना दें तो अवैध नहीं माने जायेंगे। होना यह चाहिये कि चक हारों की संख्या से ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। अगर एक किसान के किसी एक हार में ही टुकड़ों में खेत बटे हुए हैं तो एक चक मिलना चाहिए। यदि ३ हारों में उसकी जमीन है तो हो सकता है कि उसको ३ चक मिल जायं। लेकिन जिसके एक हार ही में बिखरे हुए खेत हों उसको हर हालत में एक चक मिलना चाहिए। इस

कानून के मुताबिक जब ३ या चार हार होंगे तो एक ही हार में जमीन रहते हुए ३, ४ चक मिल सकते हैं। और वैध माने जायेंगे। तो जहांतक चकबन्दी के इस उद्देश्य का सम्बन्ध है उसमें थोड़ा सा सुधार होने की आवश्यकता है कि कम से कम चक दिये जायं।

चक देते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि पहले विधेयक में रखा गया था कि छोटे काश्तकारों को जिनकी अलाभकर जोत है, जिनके पास १-१, २-२, एकड़ जमीन है, जहां तक हो सके, उनको गांव के पास चक देना चाहिए, यह कैद इसमें हटा दी गयी है। अधिष्ठाता महोदय, मैं इसके पक्ष में हूं। जिनके चक गांव के पास होते हैं उनमें लोग अक्सर मवेशी छोड़ देते हैं या छूटे हुए जाते रहते हैं और नुकसान करते हैं। इससे छोटे-छोटे काश्तकार परेशान होते हैं। उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वे जबरदस्त लोगों से या बड़े लोगों के मवेशी चरने से रुकवा सकें। तो हमेशा गांव के पास में खेतों में ज्यादा नुकसान होता है। यदि उस जमीन को बेचा जाय तो हो सकता है कि कुछ ज्यादा कीमत आये, क्योंकि गांव के पास की जमीन की कीमत दूर की जमीन से ज्यादा होती है। वह मकान आदि के बनाने में काम आती है। तो कीमत के लिहाज से उसको फायदा हो सकता है, लेकिन खेती के लिहाज से कोई फायदा उस छोटे काश्तकार को नहीं होता है जिसकी जमीन गांव के पास होती है। आप जो यह संशोधन करके निकाल रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जहां तक हो सके तो मेरा खयाल यह है कि जहां हार बांटे जायं उनमें ज्यादा से ज्यादा जितने छोटे काश्तकार हों, जहां तक मुमकिन हो सके, उन काश्तकारों को एक जगह जमीन दी जाय पास-पास में वह ज्यादा लाभकर होंगी। मैं कोआपरेटिव बेसिस पर खेती करने से सहमत नहीं है, लेकिन एक मायने में यह जरूर सोचता हूं कि हमेशा बराबरी बराबर वाले से होती है। यदि बड़े चक हैं और २, ३ काश्तकार पास में पड़ते हैं और छोटे-छोटे काश्तकार यदि छोटे छोटे टुकड़ों के बीच में आ जाते हैं तो दोनों के लिये असुविधा रहती है। बड़े काश्तकार के लिये भी और छोटे काश्तकार के लिये भी असुविधा रहती है। बड़े काश्तकार २, ३ मिलकर ट्रैक्टर से खेती करें या मिलकर सामूहिक रूप से कुछ औजार लायें या चलायें तो बीच में छोटे काश्तकार के आ जाने से उनको दिक्कत हो सकती है और छोटे काश्तकार को भी असुविधा हो सकती है। एक हल बैल के लिये २, ३ शामिल होकर यदि काम करना चाहें तो उनको कुछ सुविधा हो सकती है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि यदि हो सके तो यह सुविधा उनको दी जानी चाहिये।

जहां तक लहरी जी के कहने का सवाल है वे इस समय यहां पर नहीं हैं। मैं इसके खिलाफ हूं कि चकबन्दी में उस तरह के खेत न रखे जांय। यदि सब्जी या आलू या गन्ने के खेतों को उसमें से निकाल दिया जाय तो फिर चकबन्दी का होना और न होना बराबर है। जब हम यह चाहते हैं कि चकबन्दी हो और यह चकबन्दी का विधेयक बहुत अच्छा है तो चकबन्दी जरूर होनी चाहिये, लेकिन वह घबराते हैं और कहते है कि ऐसी कीमती जमीन वहां से निकाल दी जांय जो सब्जी या गन्ने की हो। तो फिर इसका लाभ ही क्या है? मैं समझता हूं कि वह आवश्यक है।

जहां तक बाग बगीचे का सम्बन्ध है उसके बारे में चौधरी साहब ने बतलाया कि उनको प्रोत्साहन मिलेगा। जहां तक उसकी कीमत का सम्बन्ध है उसका अन्दाजा लगाना भी मुश्किल होगा। गन्ने व सब्जी के खेत आदि को अलग रखना ज्यादा हितकर नहीं होगा। उनको उसके अन्दर रखना चाहिये।

जहां तक गांव समाज का सम्बन्ध है जो सामूहिक जमीन चकबन्दी से निकाली जाय उसका सुपरवीजन कौन करे यह अब तक विधेयक में नहीं था, लेकिन अब वह गांव समाज में रख दिया गया है। मेरा सुझाव उसके लिये यह है कि जब हम विकेन्द्रीयकरण की तरफ जा रहे हैं तो यह निश्चित अधिकार हमको गांव समाज को देना चाहिये, लेकिन जब हम व्यावहारिक रूप में देखते हैं

[श्री रामहेत सिंह]

तो गांव समाज में कुछ दुरुपयोग पिछले दिनों में उस जमीन का हुआ है । यदि पहले के बराबर दुरुपयोग नहीं हुआ है तो कम भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि जहां तक गांव समाज के मुकदमें चलते हैं उनमें जो सहूलियत मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती । गांव समाज के प्रधान को जो अधिकार दिये गये हैं उन अधिकारों का इस्तेमाल वह खासतौर पर नहीं कर पाते हैं । उनके सामने दिक्कत होती है कि वे अपने खानदान या बिरादरी या किसी बड़े आदमी का विरोध कैसे करें । यदि वह विरोध करते हैं तो उनके सामने बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं । उस दिक्कत का सामना करने में शायद उनके लिये और भी दिक्कत पड़ती है, इसलिये यह जरूरी है कि अब जो चकबन्दी की शामलात जमीन छोड़ी जा रही है किसी उद्देश्य के लिये यदि उनके हाथ में कोई अंकुश न रखा जाय और केवल गांव समाज के ऊपर ही छोड़ दिया जाय तो जो यह गांव समाज की जमीन का ह्रास हुआ है और हो रहा है वह और भी होने की सम्भावना रहेगी । इसका उपाय यह है कि उसके हाथ में यह सामूहिक जमीन का प्रबन्ध न छोड़ा जाय . . . . . .

श्री चरण सिंह--क्या किया जाय यह भी बता दीजिये ।

श्री रामहेतसिंह--यह तो उन दिमागशाली विद्वानों का काम है कि जो चौधरी साहब को जमीन के मामले में सुझाव दिया करते हैं । हमारा काम तो कमियों को दिखाना है और यदि सुझाव हमारे पास हों तो वह भी हम दे सकते हैं, लेकिन सुझाव तक हम नहीं पहुंच पाते इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि वे उसको ध्यान से देखकर जो उचित सुझाव हों उनको मानें ।

जहां तक खाते दुरुस्ती का सवाल है उसमें हमारा साल, डेढ़ साल का समय जाता है । यदि उसमें कोई सहूलियत मिल जाय और हम उन सब कर्मचारियों को इस से बचा सकें तो हम अपन खर्च में भी बचत कर सकते हैं । मेरा सुझाव है कि जहां चकबन्दी करानी हो वहां घोषित करने से पहले साल भर, अपना एक अफसर रखदें और वह जो स्टाफ वहां माल विभाग का है उस के साथ मिल कर यह खाता दुरुस्ती का काम करें । जो हिदायतें चकबन्दी स्टाफ के लिये जाती हैं वही उनके लिये रहें । आज से दो साल पहले सरकार की तरफ से यह हुआ था कि तहसील का कर्मचारी गांव में जाकर उसकी दुरुस्ती करता था । उस से एक साल बड़ा लाभ हुआ । अगर साल भर पहले उस अफसर की नियुक्ति हो जाय और सब मिलकर काम करें तो मेरा खयाल है कि यह काम सहूलियत से हो जायेगा और उस स्टाफ के खर्च से भी हम बच जायेंगे और चकबन्दी में जो दो, तीन साल का समय लगता है वह भी कम हो जायगा । तो इस के लिये आवश्यक है कि हम कोई अफसर नियुक्त करके खाता दुरुस्ती पहले से ही करा लें ।

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक भ्रष्टाचार का संबंध है, कुछ लोगों ने कहा और कुछ है । यदि कुछ है तो मैं उसका कारण कहिये अथवा दोष, माननीय मालमंत्री जी के ऊपर रखने में नहीं हिचकूंगा । उसका एक कारण यह है कि हम चकबन्दी अफसरों से जितना काम लेते हैं उस हिसाब से उनको तनख्वाह नहीं देते । हम तारीफ करते हैं कि वे २४ घंटे काम करते हैं, वह देहात में रहते हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, लेकिन उस लिहाज से उनको तनख्वाह नहीं मिलती । वह कम है । यदि हम चाहते हैं कि हम इस भ्रष्टाचार पर कामयाबी पावें तो यह आवश्यक है कि हम उन छोटे और बड़े अफसरों की तनख्वाह बढ़ावें और उसके साथ ही जितनी संभव हो सके तो सहूलियतें उनको दें । अधिष्ठाता महोदय, ऐसा करने से कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा । और विभागों में जब हम अफसरों को ट्रेनिंग देते हैं तो उनको रहने का, खाने का और आने-जाने का भत्ता दिया जाता है, लेकिन चकबन्दी के अफसरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें उनको कोई खर्चा, जहां तक मुझे मालूम है, नहीं दिया जाता और फिर हमारे सामने, हाउस में और आगे पीछे कहा जाता है कि हमें अफसर नहीं मिलते । जो ट्रेनिंग के लिये चुने जाते हैं वे आते नहीं । मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार किया जाय । यह कमी हमारी है, उन लोगों की नहीं, जो डरते और कतराते हैं । उसके दो ही कारण हैं- तनख्वाहों की कमी और ट्रेनिंग के समय में खर्चे का न दिया जाना । इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से विनय करूंगा कि उनके ट्रेनिंग पीरियड में खाने रहने, आने-जाने के खर्चे आदि का मुनासिब प्रबंध किया जाय ।

१९२९ के बन्दोबस्त को ही आधार मानकर चकबन्दी को शुरू किया गया था । हर खेत की मिल्कियत मालूम की गयी, क्योंकि यह जरूरी था कि किसी भी काश्तकार को उसकी हैसियत के मुताबिक खेत दिया जाय । लेकिन आज सन् १९२९ से अब तक जमीन म बहुत से परिवतन हो गये हैं । किसानों ने बहुत से खेतों को बना लिया है । कुछ स्थानों पर ऐसा भी ह कि जो जमीन अच्छी थी, वह बाढ़ के कारण अथवा गर्की के कारण खराब हो गयी ह । इसलिय सन् १९२९ के आधार पर जमीनों का बटवारा करना कुछ ठीक नहीं मालूम होता है, लेकिन अब इस संशोधन के द्वारा जो सुधार उसम किया जा रहा ह, उसम कहा गया ह कि १९२९ को भी आधार मानकर तथा मौके पर जाकर , जो सुधार किय गय ह, उनको दृष्टि में रख कर, बटवारा किया जायगा । मैं इस सुधार का स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे पहले जो किसानों को यह डर रहता था कि कहीं उनकी अच्छी जमीन के बदले में बुरी जमीन न मिल जाय, यह उनका भय जाता रहेगा । मैं इन कारणों से जो प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया है, उसका विरोध करता हूं ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कल से इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत चकबन्दी संशोधन विधेयक पर, माननीय सदस्यों ने जो विचार व्यक्त किये, उनसे मुझे यह मालूम पड़ा कि जहां तक प्रवर समिति में भेजने का सवाल ह, माननीय माल मंत्री जी ने भी और बहुत से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि प्रदेशीय चकबन्दी एडवाइजरी कमेटी के द्वारा और सरकारी कर्मचारियों के मशविरे के बाद यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है । इस सदन के सामने माननीय जगन्नाथ जी लहरी और श्री लाल बहादुर जी ने ही प्रवर समिति को भेजने का सुझाव रखा है । जगन्नाथ जी लहरी आज अनुपस्थित हैं । यह इस बात को सिद्ध करता है कि शायद वह माननीय सदस्यों की दलीलों से सन्तुष्ट हो गये हैं । लाल बहादुर सिंह जी, मेरा ऐसा विचार है कि इतने सुझावों के बाद संतुष्ट हो गये होंगे । इसलिये मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सामने भेजा जाय । प्रवर समिति को सुपुर्द न किये जाने का एक कारण म यह भी समझता हूं कि २५ तारीख को यह सदन बंद होने जा रहा है । जहां तक मेरी जानकारी है, मेरे जिले में भी और दूसरे अन्य जिलों में भी अक्टूबर से नयी तहसीलों में यह काम शुरू किया जाने वाला है । अभी जब मैं उस तहसील में गया था तो मुझसे चकबन्दी के सिलसिले में किसानों ने काफी सवाल किये । वे इस बात के लालायित मालूम पड़ते थे कि चकबन्दी जल्दी शुरू हो । इसके अतिरिक्त जहां पर चकबन्दी होती है वहां के किसानों में कुछ भय भी रहता है, चाहे वह किसी प्रोपेगेंडा से हो अथवा किसी और आधार पर हो । इसलिये उनको कुछ शिकायत भी रहती है । चूंकि जमीन के बदलाव का मामला कोई आसान काम नहीं है, जमीन जब बदलती है तो कुछ ऐसे लोग आफिसरों में भी और किसानों में भी हैं जिनकी नीयत अच्छी नहीं होती है, इसमें दो रायें नहीं हैं । मैं जानता हूं कि शिकायत के बावजूद भी हमारे जिले की जो तहसील ली जा रही है वहां के किसान इस बात के लिये लालायित हैं कि हमारे यहां चकबन्दी जल्दी से जल्दी शुरू की जाय । जब अक्टूबर में कुछ नयी तहसीलें ली जा रही हैं और यह सेशन २५ अक्टूबर को बन्द होने जा रहा है तब मैं नहीं समझता कि प्रवर समिति में कुछ और समय लगाया जाय और उस समय के बाद के लिये इस काम को टाला जाय । यहां पर इस तरह की दलीलें भी मैंने सुनीं कि विरोधी दल के सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं, यह बात सही है । यदि विरोधी दल के माननीय सदस्य यहां पर होते तो हमको उनके कुछ अच्छे सुझाव सुनने को मिलते, लेकिन जब एक ऐसा अहम कार्य है जो जनहित में है और जिसके लिये जनता लालायित है कि वहां चकबन्दी जल्दी शुरू हो तो यह जो संशोधन माननीय माल मंत्री जी ने जिन दलीलों के साथ उपस्थित किया है, मैं समझता हूं कि वह बहुत ही उपयुक्त है, बल्कि जिन तहसीलों में पहले चकबन्दी हो चुकी है वहां के किसानों को इस बात के लिये पश्चात्ताप है कि जो नये सुझाव नये तहसीलों के लिये लाये जा रहे, काश वे हमारे यहां भी होते तो उसका फायदा उन किसानों को भी होता । मेरा कहना यह है कि यह संशोधन

[श्री रामचन्द्र विकल]

विधेयक इस सदन में देरी से लाया गया है । आपने जो सुझाव आज इस सदन में उपस्थित किया है, हमारे प्रदेश की एडवाइजरी कमेटी ने उसको अब से कुछ महीने पहले दिया था और उन सुझावों के बावजूद भी कौन सा ऐसा कारण है कि यह विधेयक सदन में देर से आ सका ? जब सरकार इस विधेयक को सदन में देर से ला सकी और यह जनहित में होने वाली चीज है, तो मुझे माननीय लाल बहादुर सिंह और माननीय जगन्नाथ लहरी जी की कोई दलील मेरी समझ में नहीं आयी कि उन्होंने कौन सा ऐसा विशेष तथ्य उपस्थित किया है जिससे वे समझते हैं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय । माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस संशोधन विधेयक में ३८ संशोधन हैं और एक-एक माननीय सदस्य के कई-कई भी हैं, उनको भी मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और मैंने यह जानने की कोशिश की कि माननीय माल मंत्री जी के इतने विस्तृत भाषण के बावजूद भी ऐसा कौन सा नया सुझाव है जो किसानों के हित में है, उन पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करें । जो ३८ संशोधन उपस्थित हैं, उनमें दुर्भाग्य से माननीय लाल बहादुर सिंह और माननीय जगन्नाथ लहरी का एक भी संशोधन नहीं है । तो इससे यह साबित होता है कि यदि यह संशोधन विधेयक प्रवर समिति के सम्मुख भेजे जाने की बात थी तो उनके भी तो कुछ संशोधन होते, किन्तु और सदस्यों की तरफ से संशोधन तो हैं, लेकिन उन लोगों की तरफ से एक भी संशोधन नहीं है । इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि अधिकांश संशोधन तो शाब्दिक हैं और जो शाब्दिक हैं भी, बहुत सम्भावना इस बात की भी है कि उनमें से बहुतों को माननीय माल मंत्री महोदय शायद स्वीकार कर लें यदि वे माननीय सदस्य माननीय माल मंत्री जी समझाने की कोशिश करें । मुझे उम्मीद है कि जो शाब्दिक संशोधन हैं वे स्वीकार होंगे । फिर मुझे कोई कारण ऐसा जानने का नहीं मिला कि इस विधेयकक के पास करने में देरी की जाय ।

मैं दो तीन सुझाव माननीय माल मंत्री जी के सम्मुख ऐसे उपस्थित करना चाहता हूं जिनको अमलीतौर से मैं जानता हूं कि यदि वे सुझाव इस विधेयक में ला दिये जायं तो उससे भी किसानों का बहुत बड़ा फायदा होगा । एक तो यह है कि उस जिले के किसी भी गांव के किसान मिल कर चकबन्दी कर लें तो उसका इन्दराज कागजात में हो जायगा । मैं तो इस राय का हूं कि जिस तहसील में चकबन्दी हो वहां के जितने भी गांव अपने आप बैठ कर आपस में चकबन्दी कर लें और सरकारी आफिसर सहयोग दें और ५, १० फी सदी लोग नाराज भी हो जांय तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिये । मेरे जिले की तहसील सिकन्दराबाद में चकबन्दी हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि यदि गांव के लोग आपस में मिल कर सर्वसम्मति से चक लगा लें और उससे २ या ५ फीसदी लोग नाराज भी हों तो उसको सरकार को मान लेना चाहिये । मैं चाहता हूं कि गांव के लोगों को पहले मौका दिया जाय कि वे आपस में बैठ कर चक लगा लें । मेरी बहुत कुछ आशा यह है कि मैं अपनी तहसील में करीब १०० गांव उदाहरण के लिये पेश कर सकता हूं जहां सरकारी कर्मचारियों को शायद अड़चन आयी हो, लेकिन किसानों ने जहां चकबन्दी की वहां बहुत अच्छा हुआ और ऐसे झगड़े वाले गांव जो सहयोग से निबट सकें यदि उस तहसील में भी गांव के लोगों को इस बात का मौका दिया जाय कि स्वयं अपने चक लगायें तो इसमें सुधार होगा ।

दूसरा सुझाव यह है कि जो इनाम सरकारी कर्मचारियों को दिये जाते हैं उसमें भी जिला स्तर पर जो सलाहकार कमेटी चकबन्दी की है यदि उसकी सलाह से इनाम दिया जाय सरकारी कर्मचारियों को तो इससे कर्मचारियों के प्रति जो भ्रष्टाचार की शिकायत है उसमें बहुत बड़ा सुधार होगा, क्योंकि वह कमेटी के मेम्बर भी ऐसे जिम्मेदार लोग हैं, जिलों में, जो सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में, चकबन्दी के सम्बन्ध में कहां गड़बड़ी है किस गांव में, उसकी काफी जानकारी रखते हैं । तो जो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कहा मेरा खयाल है कि इनाम और सजा दोनों के जिला स्तर कमेटी को अधिकार दे दिये जायें इससे बहुत कुछ सुधार होगा ।

तीसरा सुझाव यह है कि जो मंत्री जी ने सेकेन्ड अपील का मौका दिया है यह बहुत अच्छा सुझाव है, इससे किसान को एक अच्छा मौका मिलता है, लेकिन इस अपील को यदि वह अधिकारी चाहे जिलाधीश हो और चाहे डिप्टी डायरेक्टर हो, मौके पर यदि जाकर सुन सकें तो इससे

बहुत बड़ा फायदा होगा । चूंकि मौके पर जाने से चकबन्दी का फायदा किसान को इतना होता है और अफसर को भी कि जो बात नीचे के अफसरान ने किसी आधार पर गलत कर दी हो, यदि मौके पर जांच ली जाय तो उसकी वास्तविकता का पता लग जाता है । मेरा निश्चित मत है कि चकबन्दी की कोई भी बात अफसरों से, यदि कोई जांचना चाहे सही तौर पर और किसानों से भी और गांव के जिम्मेदार लोगों से, चाहे वह रिश्वत के सम्बन्ध में हो या और किसी सम्बन्ध में हो, तो वह छिपाये नहीं छिपती । तो यदि मौके पर जो सेकेन्ड अपील का मौका है देखा जाय तो उससे वस्तु स्थिति का अवश्य पता ठीक-ठीक लग जायगा और मेरी तहसील में जो डिप्टी डायरेक्टर हैं चकबन्दी के श्री गुप्ता जी, उन्होंने बहुत से रिवीजनों के मौकों पर जाकर जांच की । उससे बहुत सुधार हुआ, किसान को संन्तोष हुआ कि जो नीचे के लोगों की शिकायत थी वह भी दूर हुई । यह दो, तीन सुझाव हैं जो चकबन्दी की वास्तविकता से वास्ता रखते हैं । मैं प्रार्थना करूंगा मंत्री जी से, यदि कोई गुंजाइश हो और कोई अवैधता का मौका न हो तो यह अधिकार यदि किसानों को दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है । जब उन किसानों को, जो बगैर अफसरों के चकबन्दी कर लें, उनको यदि आप मौका देते हैं कागजात में दुरुस्ती का जो उनके कागजात में अमल कर देंगे तो यदि अफसरों के साथ हमारी जिला स्तर ऐडवाइजरी कमेटी मौके पर हो--उन अफसरों के जो अपील सुनने जा रहे हैं--भले ही उनकी लिखित राय न हो, तो किसान को संन्तोष होगा और मैं समझता हूं कि जो विधेयक मंत्री जी ने संशोधन के साथ प्रस्तुत किया है उसके द्वारा और जो सुझाव मैंने दो, तीन दिये हैं उनके द्वारा, सचमुच जो चकबन्दी का कार्य है वह सुचारु रूप से चल सकेगा ।

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सभी विभागों में और चकबन्दी के सम्बन्ध में बहुत चर्चा होती है । मेरा खयाल यह है कि यदि थोड़ी सतर्कता से हम सब लोग जो चकबन्दी से वास्ता रखते हैं काम लें तो मेरा अनुभव यह है कि सरकारी कर्मचारी बहुत रिश्वत नहीं ले पाते । मुझे इस बात का, थोड़ा दुर्भाग्य समझता हूं मैं कि हमारी तहसील में जरूर कुछ समय ज्यादा लगा चकबन्दी में, लेकिन जहां पर बहुत जांच के बाद सरकारी अफसरों को मौके पर जंचवाने के बाद जिन अफसरों के खिलाफ यह पाया गया कि उन्होंने कोई दोष किया है, १०० से ज्यादा ऐसे कर्मचारी हैं जो चकबन्दी के दौरान में अलग किये गये । यदि माननीय सदस्य, सार्वजनिक कार्यकर्ता और जिला स्तर पर कमेटी, थोड़ा सा भ्रष्टाचार रोकने में सतर्क हो तो मुझे मंत्री जी से यह विश्वास हो गया है कि वह उस अफसर को चकबन्दी में तो रहने नहीं देते । जब से माननीय मंत्री जी ने कड़ाई से कदम उठाये हैं तब से चकबन्दी में काफी रोकथाम भ्रष्टाचर की हुई है । दूसरे विभागों में अफसरों को हटाना इतना सरल नहीं है जितना कि इस विभाग में है, क्योंकि अधिकतर ये टेम्पोरेरी होते हैं और इनको हटाने में मुश्किल नहीं पड़ती । अगर जरा सी जांच ईमानदारी से की जायगी तो गलत आदमी रह नहीं सकते । हां लाल बहादुर जी ही को यह शिकायत है कि कुछ निर्दोष आदमी भी हटा दिये जाते हैं लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जो भी आदमी हटाये गये हैं उनमें से एक भी नहीं ऐसा हुआ । और यह केवल मैं अपनी तहसील के बारे में नहीं जानता हूं, बल्कि आस पास के जिलों के बारे में भी जानता हूं कि कोई भी निर्दोष आदमी हटाया नहीं गया है । जितना थोड़ा सा मैं जान सकता हूं उसमें निर्दोषी लोग हटाये नहीं गये हैं, दोषी लोग ही हटाये गये हैं । तो लाल बहादुर जी का जो खयाल है कि निर्दोष आदमी भी ख्वामख्वाह हटा दिये जाते हैं, मैं उनकी इस राय से बिलकुल सहमत नहीं हूं । मेरा खयाल है कि काफी छानबीन होती है, बहुत जांच होती है, बहुत हिचका जाता है कि किसी की रोजी लेने में, सरकारी अफसर भी और मिनिस्टर साहब भी जिनका भी उससे वास्ता है, वे बहुत डरते हैं किसी की रोजी लेने में । तो मैं नहीं जानता हूं कि किसी निर्दोष आदमी को हटाया गया हो । दोषी भले ही रह गये हों, लेकिन निर्दोष कोई नहीं हटाया गया है ।

मैं लाल बहादुर जी से प्रार्थना करूंगा कि यह विधेयक बहुत महत्त्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता भी है, जैसा कि मैंने बताया है, उसको देखते हुए जो उनका प्रवर समिति को भेजने का सुझाव है वह उसको वापस लेंगे ।

श्री मदन मोहन (जिला फैजाबाद)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, कभी-कभी इस सदन में जो बहस होती है और जो तर्क उपस्थित होते हैं, उनको देखते हुए, यह समझ में नहीं आता कि जो तर्क उपस्थित किये जा रहे हैं वह उस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये हैं या उसके विरुद्ध है । जितने भी माननीय सदस्य बोलें उन्होंने दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह मिनट खड़े होकर विभिन्न सुझाव दिये । या तो वे सुझाव इस विधेयक के अन्दर मौजूद हैं और अगर हैं, तो फिर सुझावों के देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर नहीं हैं और विधेयक के अन्दर उनके समाविष्ट होने की आवश्यकता है तो उनका समावेश या तो यहां हो या प्रवर समिति में हो । उसके साथ-साथ दूसरी बात यह है कि विरोधी दल के सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं । उनकी तरफ से कोई सुझाव यहां उपस्थित नहीं किये गये है कि जिनके उत्तर की आवश्यकता हो तो फिर अब देखना यह है कि क्यूं इतने लम्बे भाषण हुए । क्या यह सत्य नहीं है कि इतनी बातें इस विधेयक के सम्बन्ध में आक्षेप सूचक कही गयी हैं ? और फिर भी अन्त में यह कह दिया गया सदस्यों द्वारा कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है । तो अब यह सुझाव इस विधेयक में कैसे समाविष्ट होंगे ?

एक सदस्य---अमेंडमेंट की इजाजत है ।

श्री मदन मोहन---हमारे माननीय मित्र कहते हैं कि अमेंडमेंट की इजाजत है । तो अमेंडमेंट केवल उन धाराओं या उपखंडों के हो सकते हैं जो विधेयक में मौजूद हैं । या तो फिर हम नये सुझावों के लिये नयी धाराएं बनावें और उनमें नयी बातों का समावेश करें । जो सज्जन यहां अमेंडमेंट देने की बात कहते हैं वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे सुझावों पर बिचार हो सकता है और होना चाहिये, किन्तु प्रश्न केवल यह है कि क्या सुझावों पर वह बिचार यहां हो सकता है जो कि प्रवर समिति में हो सकता है ? क्या उन सुझावों पर हम वह निर्णय उपयुक्त तरीके से दे सकते हैं जो कि प्रवर समिति में हो सकते है । अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह आश्चर्य है कि जहां इस चकबन्दी योजना को इतना महत्व दिया जाता है, जिसके संबंध में प्रत्येक दिशा से कुछ न कुछ शिकायत मिलती रहती है , जिसके संबंध में इस विधेयक की प्रस्तावना कहती है कि इसमें कुछ त्रुटियां और गलतियां थीं और जिनके कारण संशोधन विधेयक प्रस्तुत है , जिसके संबंध में आज हम देख रहे हैं कि यह संशोधन विधेयक मूल अधिनियम से भी बड़ा है, उसमें अगर ५० धारायें हैं तो इसमें भी ४९ धारायें हैं, मूल ऐक्ट से भी संशोधन बड़ा हो रहा है तब भी यह आवश्यकता नहीं समझी जाती कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाय । बहस यह है, कि यहां पर एक प्रदेशीय चकबन्दी समिति तो है ही और वह प्रवर समिति से भी ज्यादा बड़ी है, वहां पर सब सोच समझ कर यह बिल स्वीकार हो चुका है तो प्रवर समिति में क्यों भेजा जाय । मैं अधिक न कहकर केवल यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर बहुत से संशोधनों के नोटिस आयें हैं जो कि ट्रेजरी बेंचेज स्वयं स्वीकार करेंगी कि ठीक है । यह बिल प्रदेशीय समिति द्वारा स्वीकार हुआ, छपा हुआ वितरित हुआ, उस पर विचार समिति में हुआ कदाचित् केबिनेट में भी विचार हो गया, और फिर भी आज उसके संबंध में ऐसे संशोधन उपस्थित हों, जिनको मंत्री महोदय, उपमंत्री महोदय या ट्रेजरी बेंचेज स्वीकार करें, क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमारे सामने एक बिल ऐसे रूप में प्रस्तुत हुआ है जो अपूर्ण है और जिसके संबंध में और विचार किया जा सकता है ? इन सब बातों के होने के बाद भी अगर हम कहें कि इस विधेयक को प्रवर समिति में नहीं जाना चाहिये, ऐसी बात युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती । इतना तो मैं इस संदर्भ में कहना पर्याप्त समझूंगा ।

अब आप चकबन्दी के संबंध में देखें कि जिस समय घोषणा होती है कि अमुक गांव में चकबन्दी होने वाली है तो घोषणा के फलस्वरूप उस गांव में एक विप्लव सा उत्पन्न होना प्रारम्भ होता है । होता यह है, कि जिस क्षेत्र के झगड़े डारमेंट या प्रसुप्त स्थिति में थे, और जिनके

संबंध में संभावना भी नहीं थी कि वह कभी भी अदालत तक जायेंगे ,वह फिर जागृत होने लगते हैं। जो ऐसे झगड़े हैं कि जो म्यूचुअल ऐडजस्टमेंट से आपसी समझौते से तय हो चुके हैं, जिनके संबंध में, संभवतः लोग अपने को पाबन्द समझते हैं, वह भी समझौते डावांडोल होने लगते हैं। पार्टियां चारों तरफ से खड़ी हो जाती हैं, और हर एक शख्स जिसका किसी से द्वेष या दुश्मनी है, वह भी अपना असर दिखाने लगता है। दुश्मनी निकालने का अवसर पाकर इस संबंध में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। एक-एक खेत के बारे में दस-दस दावेदार खड़े हो जाते हैं।

गांव में जहां कि हम सोचा करते थे कि यहां तो सत्य का बोलबाला है, लोग झूंठ कम बोलते हैं, लेकिन मैं यहां माननीय सदस्यों से पूछूंगा कि अपने अनुभव से यह बतलायें कि यह सत्य है या नहीं कि एक-एक खेत पर ८-८ आदमी दावे करते हैं या नहीं ? यही नहीं, जैसा कि हमारे माननीय मित्र मदनगोपाल जी ने कहा, दलालों का बोल-बाला हो जाता है। दलालों के साथ हमारी राजनीतिक पार्टियां भी उस क्षेत्र में कूद पड़ती हैं और एक ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है कि जिसमें सिवाय मुकदमेबाजी के और कुछ चारा नहीं रह जाता।

अब मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से बहुत ही नम्रता से इस बात पर गौर करने के लिये निवेदन करूंगा कि सज्जन कहा करते हैं कि ईश्वर न करे कि हमें अदालतों का मुंह देखना पड़े। हो सकता है कि जिनके यहाँ चकबन्दी जारी हो, उन्होंने भी यह निश्चय किया हो कि हम अदालत का मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन चकबन्दी में अदालत का मुंह देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। न्यायालय स्वयं कहता है कि हम अपनी पीठ को छोड़कर आये हैं, तुम्हारे दरवाजे पर आये हैं तुम उठो। तुमको आज अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अदालत तुम्हारा दरवाजा खटखटाती है, कि लोगों उठो, समय आ गया तुम्हारा। क्या यह असत्य है ? यह होता है श्रीमन्। जहां जरा सी भी गुंजाइश हुई, वहां ५०-५० मील से रिश्तेदार बुलाये जाते हैं कि लड़ो, यह स्थिति होती है। जब हमें यह स्थिति मालूम है, तो क्या हमारा कर्त्तव्य नहीं है, कि हम सदन के सामने इस बात को कहें ? मैं जानता हूं, श्रीमन्, कि मेरी भाषा, मेरी शैली, मेरे तर्क इस समय उस दल के विरुद्ध जा रहे हैं, जिसका मैं सदस्य हूं, लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि यह विषय ऐसा है, जैसा माननीय शिवराज सिंह ने कहा कि यह हमारी विलेज इकानामी से इतना सम्बद्ध है, कि हमें इसको बहुत ही सौंदर्य के साथ सोच समझ कर सम्पन्न करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि दो चार साल पश्चात् हम यह अनुभव करने लग जायं कि हम क्या कर रहे हैं, इसी भावना से अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सदन के समक्ष यह धृष्टता कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि हमें इस पर विचार करना होगा कि क्या वह वातावरण, यह वस्तुस्थिति जो एक चकबन्दी संबंधित घोषणा के पश्चात् हमारी ग्रामीण जनता में उत्पन्न होती है, जो बिप्लब एक ग्राम के अन्दर आ जाता है, उसका कोई उपाय है या नहीं।

श्रीमन्, मैं पिछले ६ महीने से उन महानुभावों के सामने जो अधिकार सम्पन्न हैं, कहता चला आया हूं कि धारा ८ और १२ अधिनियम की हमारी ग्रामीण जनता को बरबाद करने वाली हैं। मुझे हर्ष है कि आज दफा १२ और ८ एक हो गयीं, किन्तु इस संबंध में मेरा ऐसा विचार है कि जब इस धारा के अन्तर्गत संघर्ष उत्पन्न हो जाय तो हमें यह निश्चय कर लेना चाहिये कि कहां तक और कितनी सीमाओं के अन्तर्गत इस तनाजा का अन्वेषण करना चाहिये। श्रीमन्, १३५६ के इन्दराजात को हमने अंतिम महत्व दे दिया है। उसके उपरान्त १३५९ के संबंध में ऐक्ट ३१ सं० ५२ का ऐक्ट बनाया। उसमें धारा ३,४ और ५ में निश्चित कर दिया कि जो व्यक्ति चाहे, १३५९ के कागजात की दुरुस्ती करा सकता है अगर अपना कब्जा साबित कर सकें। १३५९ में इस प्रकार जमींदारी उन्मूलन के बाद दूसरा अवसर था कि वे लोग जो अनधिकार रूप से किसी भी क्षेत्रफल पर अधिकार किये हुए हों, ग्राम लेख-पत्रों को दुरुस्त करा लें। वे अपने स्वत्व को स्थापित कर लें। यहीं समाप्त नहीं हुआ।

[श्री मदन मोहन]

१९५४ में एक दूसरा ऐक्ट पास हुआ। उसमें हमने अधिवासी को सीरदारी के राइट्स दिये और १३६३ के कागजात में, जहां तक फैजाबाद का संबंध है, जो-जो अधिवासी थे और जिन्होंने अपना अधिकार सिद्ध किया, उनको सीरदारी राइट्स मिल गये और कागज में दर्ज हो गये। इस प्रकार १३५६,१३५९ और १३६३ और उससे पहले हमारे यहां जो बन्दोबस्त हुआ उस अवसर पर उन सबको इतने मौके दिये गये, इतने अवसर दिये गये कि ग्राम-पत्रों की दुरुस्ती करा लें। इस सबके बाद आज भी क्या आवश्यकता फिर इस बात की है कि पड़ताल चकबन्दी के संबंध में की जावे? जो गरीब लड़ नहीं सकता, न लड़ना चाहता है, उसके दरवाजे पर उसको लड़ने के लिये उसकाया जाय। वास्तविकता तो यह है कि इस विधेयक में अब भी बड़ी त्रुटियां हैं, गुंजाइश बड़े भ्रष्टाचार की है।

इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री अपने विषय के पंडित हैं, विचारक हैं, चिन्तन और मनन करने वाले हैं। यह समझ में नहीं आता कि वे इन बातों को क्यों अनुभव नहीं करते, मुझे आश्चर्य है। भ्रष्टाचार कम होता है या ज्यादा होता है, कौन भ्रष्टाचार करता है, किस प्रकार होता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा कर्त्तव्य यह है कि जितना हो सके हम कानून में भ्रष्टाचार का मौका न आने दें।

मेरा माननीय वित्त मंत्री से विनम्र निवेदन है कि यदि मौके पर टाइटिल का, अधिकार या स्वत्व का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो वहां का चकबन्दी अधिकारी उक्त प्रश्न का निर्णय न करे। जिस तरह से पटवारी एक डिस्प्यूट को रेकार्ड करता है। जिस तरीके से वह पटवारी उस झगड़े की रिपोर्ट एस० डी० ओ० के पास भेज देता है उसी प्रकार टाइटिल संबंधी तनाजे एक सीनियर एस०डी०ओ० के पास निर्णयार्थ भेजे जावें। हम चाहते हैं कि consolidation के काम के लिये ही एस०डी०ओ० रखें जावें, जिनका केवल यह कार्य हो कि जो डिस्प्यूट पैदा हों उनको वही तय करें। इस विधेयक में जहां फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील की व्यवस्था की गयी है। मैं समझता हूं कि एक सीनियर एस०डी०ओ० के निर्णय की अपील केवल कमिश्नर के यहां की जाय और रिवीजन बोर्ड में।

मेरा निवेदन यह भी है कि ऐसे प्राविधान को वही प्रभाव दिया जाय जो कंसोलिडेशन ऐक्ट में विभिन्न निर्णयों के संबंध में दिया है कि जब कोई ऐसा डिस्प्यूट एस० डी० ओ० के यहां आ जाय तो जितने अन्य व्यवहार उस संबंध में है, वह सब स्थगित हो जायेंगे। मैं यह समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था से चकबन्दी के क्षेत्र से, उस एरिया के अन्दर से जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, उनसे छुट्टी मिल जायगी। इस संबंध में एक निवेदन और है, राजस्व मंत्री जी कदाचित् इस पर प्रकाश डालेंगे कि पुराने लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट में धारा १११, ११२ थीं और पार्टीशन के संबंध में यह कायदा था कि जब कोई टाइटिल का डिस्प्यूट पैदा होता था या तो पार्टीशन आफिसर उसको स्वयं तय कर सकते थे या सिविल कोर्ट को भेज सकते थे। इस चकबन्दी कानून में भी हम ऐसी ही व्यवस्था कर सकते है कि अगर दोनों पक्ष उसके लिये तैयार हों, तो कंसोलिडेशन अफसर उस डिस्प्यूट को तय कर दे। उभयपक्ष की रजामन्दी से वह फैसला वहीं हो सकता है। अगर कोई पक्ष भी आपत्ति करे तो वह व्यवहार एस०डी०ओ० के यहां भेज दिया जाय। मेरा निवेदन यह भी है, जैसा कि माननीय शिवराज सिंह ने कहा कि एक चकबन्दी अफसर तहसील से या डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर से पचासों मील की दूरी पर बैठता है। वहां वकील जाता है। बजाय इसके कि वकील का इतना खर्चा उस ग्रामीण पर पड़े, अधिक सुगम यह हो सकता है कि एस० डी० ओ० के यहां मुकद्दमा आ जाय और उसका इतना व्यय न हो पाये। मैं समझता हूं कि जितना उसका खर्चा वकील को ए० सी० ओ० या सी० ओ० के यहां ले जाने में होता है उससे कहीं कम खर्च उसके खुद एस० डी० ओ० के यहां आने जाने में होगा।

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन और था माननीय राजस्व मन्त्री जी इसको स्वीकार नहीं करते हैं कि पंजाब का जो तरीका वैल्यूयेशन का है, वह उचित है। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मुझे चकबन्दी में बहुत अधिक अनुभव है, लेकिन मैंने स्थल पर जाकर देखा है कि एक ही ब्लाक में कुछ भाग बहुत अच्छे होते हैं। इतना अच्छा कि उसका कोई कम्पैरीजन दूसरे भाग से नहीं हो पाता। एक ही ब्लाक के अन्दर विभिन्न प्रकार की भूमि होती है कुछ बहुत अच्छी और दूसरी अपेक्षाकृत बहुत खराब। यद्यपि स्वायल वैलुएशन के विचार से दोनों ही भाग एक ही ब्लाक के अन्तर्गत ही आते हैं तो भी विभिन्न भागों में घोर अन्तर रहता है। जो अधिक होशियार व्यक्ति होते हैं उनको ब्लाक की जो श्रेष्ठ भूमि होती है वह मिल जाती है और जो बेचारा गरीब किसान है, निर्धन, निष्प्रभाव, निर्बल वह बेचारा कोने में निकृष्ट भूमि पाता है। ब्लाक एक ही है लेकिन समान मूल्य के सब भाग नहीं होते और गरीब नुकसान उठाता है। शिकायत कानून की दृष्टि से नहीं हो सकती। तो भी चकों में असमानता पैदा होती है यद्यपि वह एक ही ब्लाक के अंश होते हैं। अवश्य माननीय मंत्री महोदय ने इस संबंध में संशोधन किये हैं जिससे राहत पहुंचेगी। हो सकता है कि अगर पंजाब का जो तरीका मूल्यांकन का है, बरता जाय, तो अधिक हमारे किसान के लिये मुफीद होगा। हो सकता है कि माननीय मंत्री जी बाद में हमें बतायें कि क्यों पंजाब का तरीका पूर्णतया मूल्यांकन के संबंध में यहां स्वीकार नहीं हुआ।

अन्त में श्रीमन्, मेरा यह निवेदन है कि जहां पर इतने विद्वान्, स्वाध्यायशील और अपने विषय के पंडित मंत्री हों, वहां प्रवर समिति का क्यों विरोध हो रहा है। अगर मंत्री जी के सामने विचार उपस्थित होते तो मुझे विश्वास है कि मंत्री जी की समझ में हमारी बात आ जाती। हम उस प्रवृत्ति के नहीं हैं कि किसी जिद से किसी बात को रखें। हम तो केवल जानने के लिये जो दिक्कतें हमारे सामने आती हैं, उनके ऊपर प्रकाश लेने व उनकी निवृत्ति के लिये, माननीय मंत्री के सामने कुछ निवेदन करना चाहते थे उनसे जानना व सुनना चाहते थे। इसी दृष्टि से हमारी इच्छा थी कि प्रवर समिति निर्मित हो और वह विधेयक पर विचार करे। जो कुछ मैंने निवेदन किया वह इसी दृष्टि से किया।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***श्री चरणसिंह**---अधिष्ठाता महोदय, मुझे खुशी है कि अधिकतर माननीय सदस्यों ने इस संशोधन विधेयक का स्वागत किया है। अब अगर कुछ गलतियों की ओर संकेत किया गया है तो उनका इलाज नहीं बताया गया है।

श्री रामलखन मिश्र---मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता हूं। संशोधन-कर्ता का, जिन्होंने प्रस्ताव किया है उनका उत्तर मिलना चाहिये पहले।

श्री अधिष्ठाता---यह सब्सटैंटिव मोशन नहीं है, इसलिये उनको रिप्लाई का अधिकार नहीं है।

श्री चरणसिंह---अधिष्ठाता महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो त्रुटियां और शिकायतें बतायी गयी हैं उनमें से अधिकतर का समाधान माननीय सदस्यों की तरफ से नहीं आया। मसलन अभी माननीय रामहेत जी गांव समाज के अपने अधिकारों के दुरुपयोग का जिक्र कर रहे थे।

(इस समय ४ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चरणसिंह]

इस सिलसिले से सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये जो जमीन चकबन्दी के जरिये से ली जायगी वह गांव समाज को दी जायगी । गांव समाज उसका भी दुरुपयोग करेगा । अध्यक्ष महोदय, मुझको यह तसलीम है कि गांव समाज बहुत से अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है । इससे मुझे बिलकुल इन्कार नहीं है, लेकिन रामहेत सिंह जी का काम केवल त्रुटि बता देने से ही पूरा नहीं हो जाता है । उनका फर्ज यह भी है कि वह अपना रचनात्मक सुझाव भी इस पर दें कि अगर ऐसा कर दिया जाय तो यह खराबी दूर हो जायगी । उन्होंने ऐसा नहीं किया । इसी तरीके से दूसरी त्रुटियों का भी जिक्र हुआ । मेरी खुशकिस्मती है कि लहरी साहब भी यहां तशरीफ अब ले आये जिनका यहां पर काफी जिकरे खैर हुआ था । उस वक्त वह यहां पर तशरीफ नहीं रखते थे । उन्होंने १३ हेतु बतलाये थे कि जिनके आधार पर यह प्रवर समिति को जाना चाहिये । लेकिन मैं यह समझता हूं कि केवल एक हेतु है और वह यह है कि माननीय मित्र की नावाकफियत । मसलन उनका यह कहना कि अप्रैल सन् १९५७ में जब इसी विषय पर बहस हुई थी तो उस समय कुछ लोग मुजफ्फरनगर से यहां आये थे । उस समय मैंने एक आफर दी थी और वह यह कि कोई भी माननीय मित्र जो कि उस इलाके का रहने वाला हो--यह नहीं कि फिरोजाबाद का रहने वाला हो और खैरागढ़ की तहकीकात करे माननीय पालीवाल जी खैरागढ़ को रिप्रिजेन्ट करते हैं, यदि वह किसी कर्मचारी के सिलसिले में यह कह दें कि उन्होंने खुद तहकीकात करली है और वह सन्तुष्ट हैं इस बात से कि इसने गलती की है और इसका आचरण भ्रष्ट है तो यहां गवर्नमेंट की तरफ से तुरन्त कार्यवाही की जायगी और जब तक वह अपने आप को पूर्ण निर्दोष साबित नहीं करेगा तब तक उसको रिइंस्टेट नहीं किया जायगा । मैंने यह आफर दिया था ।

अब अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में दो बातें उठती हैं कि क्या इससे ज्यादा किसी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा सकता है । जब यह आफर यहां से हो गई तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी आदमी के लिये यह मुनासिब बात है, यह उचित बात है कि फिर भी भ्रष्टाचार का जिक्र करता रहे । लेकिन अध्यक्ष महोदय, दुनियां में हम देखते हैं और खासतौर से इस सदन में देखते हैं कि वास्तविकता पर कोई बात नहीं रहती है । यहां तो यह कोशिश रहती है कि प्वाइन्ट स्कोर कैसे करे, हम जनता में प्रिय कैसे बने । अधिकतर इस बात की कोशिश होती है और मैरिटस् की उपेक्षा की जाती है । कितना भ्रष्टाचार है इससे कोई इन्कार नहीं करता.....

श्री अध्यक्ष--इस बात के पहले "कुछ अंश में" कहिये तो ठीक रहेगा ।

श्री चरणसिंह--आइ स्टेंड करेक्टेड । मैंने अधिकतर का प्रयोग किया था । मैंने कहा कि भ्रष्टाचार है इससे कोई इन्कार नहीं करता । दुनियां में १, २ मुल्क ऐसे होंगे जहां पर भ्रष्टाचार बहुत कम हो, लेकिन किसी भी मुल्क के मुताल्लिक यह नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर भ्रष्टाचार बिलकुल नहीं है । वहीं लोगों को फांसी तक दी जा सकती है, भ्रष्टाचार के लिये सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है जहां पर डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन नहीं है । अभी हमने अखबारों में पढ़ा था कि जहां पर मोटरकार पर कंट्रोल था तो वहां पर किसी ब्लैक मारकेटिंग किया था । तो मनुष्य समाज के अन्दर देवत्व भी वास करता है और राक्षसत्व भी वास करता है । मुझे यह तसलीम है कि जिसका कि आर्थिक विकास नहीं, जो गरीब है, जो सैकड़ों वर्षों से गुलाम रहा है, जिसका चरित्र उसके धन से ज्यादा लूटा गया है, वहां भ्रष्टाचार का होना अचरज की बात नहीं है । यदि भ्रष्टाचार यहां न होता तो अचरज की बात होती । तो भ्रष्टाचार तो है, लेकिन अगर है तो उसका इलाज क्या है । अगर इलाज बताया जाय और यह सरकार उसको न करे तब शिकायत हो सकती है । केवल यह कहना कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, इससे उल्टा नुकसान ही होता है । अच्छे से अच्छे काम करने वाला, १६, १६ घंटे काम करने वाले, जिन्होंने अपनी तंदुरुस्ती

का सत्यानाश कर लिया नवजवानी में, उन सब पर एक ही ब्रुश फेर देना, उचित नहीं है। इससे उनको तकलीफ होती है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय लहरी जी से यह दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वे अपने साथियों को, जब वे यहां आयें बतायें और जब रेजीडेंस में मिलें तो भी बतायें कि भ्रष्टाचार है, लेकिन हर वक्त, हर समय उसको गाना, उसी को कहना, मैं कहता हूं कि इससे देश का अहित होगा। वह देश के साथ अन्याय करना है और इससे बड़ा पाप देश के लिये हो नहीं सकता। अगर कल जनाब की कोई स्पीच सुनता तो आपके १३ हेतुओं में, हर-एक में भ्रष्टाचार, सत्यानाश और लूट की बात सुनता। हर जगह बड़ा अत्याचार हो रहा है, यही सुनता। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, सोचने लगा कि न मालूम तैमूरलंग आ गया या नादिरशाह। मैं यह सब किस पृष्ठभूमि में कह रहा हूं? मैं उस गवर्नमेंट के पृष्ठ-पोषक की हैसियत से कह रहा हूं कि जिसने कहा कि आप बतलायें तो सही कि कहां भ्रष्टाचार है? मैंने जब यह आफर किया था तो उस समय माननीय पालीवाल जी ने कहा था कि हम पर क्यों जिम्मेदारी डालते हैं कि हम आपको बतायें कि फलां आदमी, भ्रष्टाचारी है। यह जिम्मेदारी तो आप नहीं लेना चाहते, लेकिन आपको यह हक जरूर हासिल है कि राज्य कर्मचारियों को ए से जेड तक, हरएक को भ्रष्टाचारी कह दें। कोई रीजनेबिल आदमी, पैट्रियाटिक आदमी यह एटीट्यूड नहीं रख सकता।

माननीय लहरी जी फिरोजाबाद को रिप्रेजेन्ट करते हैं। वहां चकबन्दी नहीं हो रही है। मैंने पूछा कि आपने शिकायत की, तो जवाब मिला कि दूसरे होते तो शिकायत करते, लिहाजा आप दूसरों की तरफ शिकायत कर रहे हैं। मुबारकबाद आपको इस दलील पर, सदके जाऊं इस दलील के। चूंकि इस भ्रष्टाचार की शिकायत दूसरे करते इसलिये आप कर रहे हैं। और एक तरह आप से बात भी ठीक कह रहे हैं। इस बात के लिये न पढ़ने की जरूरत, न लिखने की, न विचार करना है और न उसके लिये कोई मेहनत और न किसी और बात की जरूरत। भ्रष्टाचार की बात तो ऐसी है कि जब जो खड़ा हो जाय भ्रष्टाचार की बात से स्पीच शुरू कर दे और उसी पर स्पीच खत्म कर दें। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये दरख्वास्त करूंगा कि और सब बातें और खास कर भ्रष्टाचार की बात आप कभी-कभी जरूर कहिये और यह भी कहिये कि कुछ भ्रष्टाचार है, लेकिन साथ ही यह कहिये कि फलां आदमी भ्रष्टाचारी है, यहां भ्रष्टाचार हो रहा है। तो भ्रष्टाचार है अवश्य और उसके लिये सख्त कार्यवाही हो रही है और खासकर चकबन्दी के सिलसिले में इसलिये कि इस विभाग का जमीन से वास्ता है। इसलिये सरकार की तरफ से खासकर सख्त कार्यवाही होती है। जो मित्र कंसालिडेशन के इलाके से आते हैं वे मेरी ताईद करेंगे कि आज राजकर्मचारियों में एक भावना अनसर्टेण्टी और अनसेक्योरिटी की हो गयी है कि न मालूम कब निकाल दिये जायं। अध्यक्ष महोदय, वैसे अमल में, मेरे माननीय मुखालिफ मित्र यहां नहीं हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। उनकी दो अमली हो रही है। दो अमली से मतलब एक तो तकरीर और दूसरा अमल। तकरीर में तो केवल भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार और उसके अलावा कुछ और है नहीं, लेकिन अमल वाकई यह है और उसके लिये मैं उनको मुबारकबादी देना चाहता हूं कि जितने मित्र बैठ हुए हैं, उन में से मुझे जहां तक याद पड़ता है केवल एक मित्र ने शिकायत की है चकबन्दी के लिये। अपने क्षेत्र की। जनसंघ पार्टी के वह मेम्बर हैं, वकालत करते हैं, बकालत पास की है कम से कम महीने भर वह अपने क्षेत्र में घूमे हैं, मई और जून में और फिर जुलाई में मेरे पास आये। मैं उनको पहचानता भी नहीं था कि वह एम० एल० ए० हैं या नहीं, अगर्चे मैं उनकी कन्स्टीट्यूएंसी में कांग्रेस कन्डीडेट की इम्दाद के लिये उनके खिलाफ गया था। उन्होंने कहा कि मैं आपको बधाई देता हूं, मैंने असेम्बली में अप्रैल और मई में जो तकरीरें हुई वे सुनीं और मेरा खयाल था कि चकबन्दी में बहुत भ्रष्टाचार हैं, लेकिन मैं महीने भर में १२० गांवों में गया हूं और केवल एक कर्मचारी

[श्री चरणसिंह]

मुझे भ्रष्टाचारी मिला। मैंने कहा कि लिखकर दो। हमने उसे डाइरेक्टर के पास भेजा और कहा कि प्रिजम्जशन यह है कि यह सही है अगर तुमको इसके खिलाफ कुछ कहना हो तो कहो वरना उसकी सर्विसेज टरमिनेट कर दो। उसकी सर्विसेज टरमिनेट हो गयीं कुछ दिन बाद। यहां ७३ आदमी हैं चबकन्दी के, इलाके के, जिनमें २३ या २४ मुखालिफ हैं और ४७ या ४८ कांग्रेस के लोग जीत कर आये हैं। कुछ लोगों को यह भी खयाल है कि चूंकि चकबन्दी में बहुत भ्रष्टाचार है इसलिये कांग्रेस के कैंडिडेट्स बहुत हारे हैं।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)--मैंने मंत्री जी के पास भेजा था, लिखित है। मैंने लेखपाल की शिकायत की थी। कलेक्टर और एस० डी० एम० के आर्डस तक की ट्रू कापी इसमें लगी हैं, लेकिन आपने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री चरण सिंह--मैंने कहा था कि अगर चकबन्दी के इलाके में कोई शिकायत हो और माननीय मित्र अपनी जिम्मेदारी लेकर कह दें तो उस पर फौरन कार्यवाही की जायगी। यह तो महकमा माल की शिकायत है और उस पर भी कार्यवाही की जाती है। अगर उन्होंने मेरे पास शिकायत भेजी होगी तो जरूर कार्यवाही हुई होगी। इधर महीने डेढ़ महीने से मैं तमाम मामलों को नहीं देख पाया हूं, क्योंकि और कामों में व्यस्त था। जगन्नाथ लहरी जी क्या, अगर उनका दर्जी भी शिकायत करे तो फौरन तहकीकात होती है। कल तो लेखपाल का जिक्र भी नहीं था, चकबन्दी का था।

तो मैं यह कह रहा था कि एक कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आई थी और उस पर फौरन कार्यवाही की गयी। मैं अन्त में भ्रष्टाचार के अध्याय को यों कह कर समाप्त करता हूं कि भ्रष्टाचार है और रहेगा, लेकिन चकबन्दी में भ्रष्टाचार बहुत कम है, बहुत ज्यादा सजा दी जाती है और जो भी बात नोटिस में आवेगी उस पर फौरन कार्यवाही की जायगी। इसलिये मेरी दरख्वास्त माननीय लहरी जी से और उनके दोस्तों से यह है कि आम एलीगेशंस, वेग एलीगेशन्स, बिना उन्हें स्पैसीफाई किये हुए, करने से इस सदन के साथ ही नहीं, बल्कि देश के साथ अन्याय है।

माननीय जगन्नाथ लहरी जी को देखकर भ्रष्टाचार की बात याद आ गयी वरना पहले मुझे उनकी बात का जवाब न देकर लालबहादुर सिंह जी की बात का जवाब देना चाहिये था। लालबहादुरसिंह जी ने कहा था कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। जवाब तो उसका दिया जा चुका है, लेकिन मैं फिर उसकी वजाहत करना चाहता हूं, जो जवाब माननीय मित्रों ने दिया। मैं किसी डिस्कशन को रोकना नहीं चाहता हूं। मैं तो उनका स्वागत करता हूं। अगर कोई मित्र मुझे सजेशन दे सकेंगे, उसके बाद भी जब यह बिल ऐक्ट बन जायगा, तो चाहे मुझे यह ताना सुनना पड़े कि बहुत जल्दी-जल्दी अमेंडमेंट लाते हो, मैं उसके मुताबिक अमेंडमेंट ले आऊंगा। पिछले ६ महीनों से इस अमेंडमेंट बिल पर विचार हो रहा था और अब मुझे जल्दी इस बात की है कि जिन तहसीलों में चकबन्दी हो रही है उनमें से ८-१० तहसीलों में काम समाप्त होने जा रहा है और नयी तहसीलों में शुरू होने वाला है। उससे पहले अगर यह अधिनियम बन जाय तो इसके प्रोसीजर के अनुसार काम शुरू हो जायगा लेकिन अगर वह पास न हुआ तो इसमें एक धारा इस प्रकार की रखी हुई है कि जिन तहसीलों में इसके पास होने से पूर्व कार्यवाही चकबन्दी चल रही होगी, वहां पर पुराने ऐक्ट के मुताबिक ही काम होगा। तो अगर यह उसके पहले पास न हुआ तो न तो किसानों को आराम मिल पायेगा और न राज-कर्मचारियों को ही सुविधा होगी। इसलिये जितनी देर इसमें हो जायगी उतनी ही लोगों को वे सुविधाएं नहीं मिल पायेंगी जो कि इस विधेयक के द्वारा हम उनको देना चाहते हैं।

दूसरी बात यह है कि वैसे भी इसको प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कान्सोलिडेशन ऐडवाइजरी कमेटी के कार्यों में से हमने एक काम यह भी रखा है कि स कानून के मुताल्लिक, इसके जाब्ते के मुताल्लिक, इसके नियमों क मुताल्लिक, अगर

कोई उसके सुझाव हों, तो वह हमें दे। हम उनका स्वागत करेंगे। स्टेट एडवाइजरी कान्सोलिडेशन कमेटी के भी कर्त्तव्यों में से एक यह है। माननीय लाल बहादुर सिंह जी जानना चाहते थे कि हमने उनके किस-किस सुझाव को माना। इसमें जितने भी संशोधन हैं, उनके डस्कशन के बाद मंजूर किये हुए संशोधनों में से ही हैं। यह ठीक है बिल हमने उनके सामने नहीं रखा। यदि वह उसकी फायल देखेंगे तो उनको मालूम होगा २ दिन के डिस्कशन के बाद स्टेट एडवाइजरी कान्सोलिडेशन कमेटी के मेम्बरान ने उन संशोधनों की ताईद की है जो हमने यहां पर रखे हैं। उसमें ३१ सदस्य थे। इसमें चकबन्दी की हर तहसील का नुमायदां था और विरोधी दलों के तिहाई से ज्यादा नुमायंदे थे। फिर प्रवर समिति और क्या करेगी। इसके अलावा बदकिस्मती यह है कि भ्रष्टाचार की बात इसी सदन तक रहती है और शिकायत भी होती है तो यहीं, लेकिन जहां अमल की बात आती है, चाहे भ्रष्टाचार के सिलसिले में, चाहे सुझावों के सिलसिले में, चाहे किसी विधेयक के सिलसिले में, अगर कोई राय मांगी जाती है तो गवर्नमेंट को मिल नहीं पाती। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, ९ अप्रैल, १९५८ को एक पत्र यहां से भेजा गया था ७३ एम० एल० एज० के पास, अब ८० एम० एल० एज० हैं, वे जिनके यहां चकबन्दी हो रही है। यह पत्र विधान भवन के उप-सचिव माल (अ) विभाग की तरफ से भेजा गया था। वह इस प्रकार है----

"संख्या ११२ सी० एच० /१-अ

विधान भवन,
उप-सचिव उत्तर प्रदेश सरकार,
माल (अ) विभाग,
दिनांक, अप्रैल ९, १९५८।

प्रिय महोदय,

सरकार का विचार है कि वह उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम १९५३ में संशोधन करने के निमित्त एक विधेयक राज्य विधान मंडल के सम्मुख अगामी जुलाई के अधिवेशन में प्रस्तुत करे। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह निवेदन करने का आदेश हुआ है कि उक्त अधिनियम में जो त्रुटियां आपके ध्यान में आयी हों और जिनके निवारणार्थ उक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक प्रतीत हो उनसे कृपया अवश्य ही ३० अप्रैल, १९५८ तक सरकार को अवगत करा दें।

भवदीय,
(के० डी० अग्रवाल)

सेवा में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के समस्त सदस्य, जो चकबन्दी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों।"

अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर भी अफसोस होगा कि केवल आजमगढ़ के एक मित्र ने सुझाव भेजा और वह भी अपनी तरफ से नहीं, बल्कि शिवसिंह यादव नाम के एक किसान ने एक खत लिखा था उसी को उन्होंने फारवर्ड कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इतनी इमदाद या इतना सहयोग माननीय मित्रों की तरफ से हुआ। लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि, जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, वह सुझाव नहीं चाहती है या अपने साथियों विधान मंडल के माननीय सदस्यों का कोई मशविरा नहीं लेना चाहती, ऐसा नहीं है। इस वजह से मैं समझता हूं क्योंकि ६ महीने से अप्रैल से अब तक इस पर विचार हो रहा है और स्टेट ऐडवाइजरी कांसोलिडेशन कमेटी ने यह संशोधन रखा है। लिहाजा इसमें अब ज्यादा ेर करने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात श्री लालबहादुर सिंह ने यह कही कि भ्रष्टाचार का कारण यह है कि वे लोग टेम्पोरेरी हैं, अस्थायी हैं, इसलिये उनको मुस्तकिल कर दिया जाय। अध्यक्ष

[श्री चरणसिंह]

महोदय, अब यह एक ऐसी बात है कि टेम्पोरेरी होने से ईमानदारी ज्यादा बढ़ती है या बेईमानी ज्यादा बढ़ती है, यह अपनी-अपनी राय का सवाल है। वैसे कर्मचारियों की दृष्टि से मैं समझता हूं कि उनको परमानेंट होना चाहिये। अगर हम उनको परमानेन्ट बनाते हैं तो क्योंकि मुहकमा परमानेंट नहीं है तो १५ साल के बाद हमारे सामने सवाल होगा कि हम हजारों कर्मचारियों को क्या करें ? तो एक सेमी परमानेंट इम्पलाइज होते हैं और उनको हम सेमी परमानेंट बना देने के मसले पर विचार कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी कांस्टीट्यूशनली नहीं होती जब कि उनकी सर्विस खत्म की जाय कि वह उनको औब्जर्व करे। कोशिश इस बात की जा रही है कि उनको यह सहूलियत हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी कोशिश हम यह कर रहे हैं कि ये नौजवान जो कि ए० सी० ओज० या कांसोलिडेशन आफिसर हैं उनको हम १५ साल बाद के बजाय अभी से यह मौका दे रहे हैं कि वे नायब तहसीलदारी और कानूनगोई में जायं। तो हम ने १०, १२ कंसोलिडेटरों को ऐसा लिया है और शायद २५ प्रतिशत उनके लिये करने जा रहे हैं कि नये डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट जितने होंगे उनमें से एक तिहाई या एक चौथाई उनके लिये रिजर्व जगहें रहेंगी। इसके लिये मेरा खयाल है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा जा चुका है और उसके लिये लिखा पढ़ी हो रही है। बहुत से लेखपाल तो तरक्की कर के कानूनगो हो ही जाते हैं और जो आजकल चकबन्दी में लड़के कांसोलिडेटर का काम कर रहे हैं उनके लिये नायब तहसीलदारी में जाने के लिये रिजर्वेशन रहेगा तो यह इंसेंटिव होगा।

दूसरी बात यह है कि और मुहकमों की अपेक्षा इस मुहकमें में तरक्की भी ज्यादा होती है और जल्दी-जल्दी होती है, जैसे—जो लेखपाल होते हैं वे कंसोलिडेटर, जो कंसोलिडेटर होते हैं वे ए० सी० ओ० और जो ए० सी० ओ० होते हैं वे सी० ओ० हो जाते हैं। तो यह भी एक इंसेंटिव है जो सब से बड़ा है। यदि हम इनको परमानेंट कर द तो जैसी दिक्कत मैंने बतलायी उसका इलाज जो कुछ हो सकता है इस सरकमस्टैंसेज में, वह हम सोच रहे हैं, लेकिन वसे मेरा खयाल ह कि जहां तक भ्रष्टाचार के कम होने की बात है, टम्पोरेरी आफिसरों में कम होनी चाहिये, क्योंकि उनके खिलाफ डिसिप्लीनरी प्रोसीडिंग्स में आसानी होती है, परमानेन्ट आफिसर्स हाईकोर्ट में जा सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन में जा सकते हैं, रिट भी ला सकते हैं, अपील, गवाही, शहादत और कोई कानूनी नुक्स निकल आया तो फिर पांच साल के बाद रिइंस्टेट हो गये और फिर उनको पूरी तनख्वाह दीजिये। तो जितने भ्रष्टाचारी लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई है वह सम्भव नहीं होती अगर ये परमानेंट होते। लिहाजा यह दलील देना कि इसकी वजह से भ्रटाचार बढ़ता है वह कम से कम मेरी अक्ल के बाहर की बात है।

उनका दूसरा तर्क यह था कि कुछ पुराने रिटायर्ड आदमी रखे गये। इसमें मैं भी कुछ हद तक उनसे सहमत हूं कि जो रिटायर्ड आदमी रखे गये उन्होंने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना कि ये नये नवजवान भरती किये जा रहे हैं या जो रेगुलर आदमी डिपार्टमेंट से आये, वे करते हैं। जो रेगुलर आये वे थोड़े ही, क्योंकि फिर उनका काम रुक जाता। लेकिन जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वे बहुत कम हैं, बहुत कम, शायद ही कोई होगा। जब हमने ५४ में इस काम को शुरू किया उस वक्त हमको उन्हें इसलिये लगाना पड़ा क्योंकि हमारे पास ट्रेन्ड पर्सोनल की बहुत बड़ी कमी थी। तो एक, दो डिप्टी कलेक्टर्स, पांच-सात नायब तहसीलदार। उनका काम बहुत सैटिसफैक्टरी नहीं था और उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। इसके अलावा मैं बहुत उनके खिलाफ नहीं कहना चाहता, लेकिन वे धीरे-धीरे करके हटा दिये गये।

अध्यक्ष महोदय, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था जब माननीय लालबहादुर सिंह जी की स्पीच हो रही थी। मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने अपनी स्पीच में अपने जिले का जिक्र किया या नहीं। अगर नहीं किया है तो मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता।

श्री लालबहादुर सिंह (जिला जौनपुर)—जिक्र किया था।

श्री चरण सिंह—अगर किया था तो मैं थोड़े से में उसका जवाब दे देना चाहता हूं। जहां तक जिला जौनपुर का ताल्लुक है मुझे स्वयं अपनी पार्टी के लोगों से थोड़ी सी शिकायत है। मैं और बहुत बातों को छोड़ देता हूं। सिर्फ एक बात कहूंगा। अभी ६ महीने की बात है। वहां के डी० सी० सी० के प्रेसीडेंट और चार-पांच और कांग्रेसजन मेरे पास आये और कहा कि साहब एक शिकायत है। मैंने कहा कि जिस-जिस राज्य कर्मचारी के खिलाफ शिकायत हो और जिस-जिस गांव में रिश्वत ली गयी हो आप उसको लिख कर दे दो। दो बार मैंने उनसे कहा और दोनों दफा मुझे यह जवाब मिला कि भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है, शिकायत इस बात की है कि चकबन्दी अच्छी नहीं हुई। मैंने कहा कि गांव की लिस्ट देख लो। मैं डिप्टी डाइरेक्टर को भेज दूंगा और हो सका तो डाइरेक्टर को भेज दूंगा। उन्होंने कहा कि हम कल तक लिखित शिकायत दे देंगे। और वह कल आजतक नहीं आया। हुआ यह है उलटे जा कर मैंने अखबारों में यह पढ़ा कि हमारे कांग्रेसजनों की तरफ से मीटिंग हुई इस चकबन्दी को कंडेम करते हुए। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे से मिलने के बाद यह मीटिंग हुई। अब यह मैं माननीय सदन पर छोड़ता हूं कि यह बात कहां तक मुनासिब थी। कहां तक भ्रष्टाचार की शिकायत, दो बार पूछता हूं और दोनों बार यही कहा गया कि चकबन्दी खराब है और जब मैंने उनसे कहा कि किन-किन गांवों की है उसकी लिस्ट देंगे तो उसकी लिस्ट कल दे देंगे और वह कल मैं समझता हूं कि आज तक नहीं आया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हुआ क्या? वहां के पत्र प्रतिनिधियों को लेकर वह राज्यकर्मचारी गया। गांवों में उन्हें घुमाया और जो पहले मीटिंग हुआ करती थी कि भ्रष्टाचार हुआ था तो एक या दो, मुझे ज्ञात ठीक नहीं है, लेकिन उनको छोड़ कर जितने भी जर्नलिस्ट्स थे, जितने एडीटर्स थे और जितने प्रेस करेस्पांडेंट्स थे उनकी राय में वहां रिवोल्यूशन हो गया था और उन्होंने अपनी बात छोड़ दी और सब अच्छा लिखने लगे। मैं यह नहीं कहता कि आईडियल काम हुआ है। आईडियल की आदमी कोशिश करता है, आईडियल कभी ऐटेनेबिल नहीं होता, लेकिन काम जो है वह सब के सामने है। जो एस० ओ० सी० उनके, माननीय लालबहादुर सिंह जी के यहां हैं, जो इससे पहले थे और जो उनसे पहले दो थे उनके बार में शिकायत थी कि वह बहुत अच्छे आफिसर नहीं थे, लेकिन अब जो हैं बहुत अच्छे आफिसरों में उनका शुमार है। जो पहले थे उनके काम से हमें भी संतोष नहीं था, इसलिये हमने उनको हटा दिया और अब तक की जो शिकायतें हैं वे उनसे कम वास्ता रखती हैं ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि शिकायत जब होनी चाहिये थी, जब वाकइ बुराई थी तब न हो कर अब हुई है। अध्यक्ष महोदय, न मालूम किस सज्जन ने यह कहा, शायद परमेश्वरी दीन जी, उन्नाव से जो आते हैं, उन्होंने यह कहा कि अभी माननीया गंगा देवी जी एम० पी० हैं उनका एक खत मोहनलालगंज तहसील में एक गांव के सिलसिले में निकला कि भ्रष्टाचार है, ऐसा उन्होंने कहा। मेरे ख्याल से जिस खत का वह जिक्र कर रहे हैं वह मैंने भी पढ़ा स्वतंत्र भारत में निकला। अगले दिन ही दूसरा पत्र एक एम० एल० ए० साहब का निकला कि यह बात गलत है और वह कर्मचारी निहायत ही ईमानदार है और वह एम० एल० ए० विरोधी पार्टी के थे जिन्होंने तारीफ की। मुझे बाद में मालूम हुआ कि माननीया गंगा देवी जी को गलतफहमी थी, उन्होंने खुद तस्लीम किया। इसके अलावा और शहादत देता हूं लखनऊ में जितना अच्छा काम है उसके बारे में। यहां से कुछ लोगों को ले कर जिलाधीश और एस० ओ० सी० गये। पत्र-प्रतिनिधियों को और उसमें से सिवाय एक साहब के तो बात पसन्द नहीं आयी बाकी सब को बहुत पसन्द आयी और यह लोग जो यहां बैठे-बैठे रिपोर्टिंग करते हैं यह चलें न किसी रोज।

अब रही यह बात कि सेक्शन १५ क्यों डिलीट किया जा रहा है? तो यह यों निकाला जा रहा है कि सेक्शन १५ की जितनी चीजें थीं वह कहीं न कहीं रखी जा रही हैं और जगहों पर। वह देखेंगे मसलन क्लाज़ १० में मौजूदा सेक्शन १५ के कुछ प्रोवीजन रखे जा रहे हैं और कुछ सेक्शन १६ में। तो पढ़ कर देखें जिन साहब ने यह सवाल उठाया था कि सारी चीजें इसमें आ गयी हैं।

[श्री चरण सिंह]

हां एक बात की और शिकायत है, माननीय लाल बहादुर सिंह जी ने कहा कि साहब सीलिंग नहीं है। कंसोलीडेशन बिल में सिलिंग नहीं है। मैं यह समझता हूं माननीय लाल बहादुर सिंह जी ने यह सवाल केवल यों उठा दिया कि अगर अपोजीशन होता तो यह सवाल जरूर उठता। तो उन्होंने कहा कि अपोजीशन का काम मैं ही किये देता हूं जैसे लहरी जी ने किया। सीलिंग से इसका क्या वास्ता है? इसमें तो बिखरे हुए खेतों को इकट्ठा करने की बात है, उसी से इसका वास्ता है। यह रकबे को नहीं बढ़ाता है, बल्कि स्कैटर्डनेस को दूर करता है। जिसकी जितनी जमीन है उतनी हैसियत की उसको दी जाती है। सीलिंग की बात अलग है वह मसला दूसरा है और उसके बारे में कल के बिल में इनडायरेक्टली बोलने का मौका मिल जायगा।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गयी, माननीय शिवराज सिंह जी ने कही कि जब चकबन्दी खत्म हुआ करे किसी गांव में तो एक सर्टिफिकेट गांव वालों का होना चाहिये कि हमें कोई शिकायत नहीं है। यानी सब इंतजाम हो गया है आगे का। खलिहान का भी, रास्ते का भी, कुएं का भी, मंदिर का भी, मस्जिद का भी, कूड़ा और धूरा डालने का भी। तो जहां तक इन सब चीजों के लिये जमीन लेने का ताल्लुक है वह तो उस ऐक्ट के अन्दर हो रहा है, खलिहान भी उसके अन्दर आ सकता है। कौन इनको रोकता है? होता यह है दरअस्ल कि किसान खुद नहीं बहुत सी जमीनें देना चाहते। तो "इन कंसल्टेशन" वर्ड रखा है। मुझे बाद में बताना पड़ेगा, लेकिन व्याख्या किये देता हूं क्लाज़ १० की। "दी ए० सी० ओ० शैल इन कंसल्टेशन विद दी कंसालीडेशन कमेटी प्रिपेयर. . . ."। यानी ए० सी० ओ० चकबन्दी कमेटी के मश्विरे से तैयार करेगा तर्ज उसूलों का एक तर्ज कि चकबन्दी कैसे हो जैसे तर्जे तकसीम हुआ करती है। मशविरे के माने यह नहीं हैं कि कोई कानूनी पाबन्दी है कि जो चकबन्दी समिति कहेगी उसकी पाबन्दी करना होगी, ऐसी बात नहीं है। ए० सी० ओ० जो चाहेगा वही होगा, यह है कानून में लेकिन अमल आप देखें कि जिस गांव में चकबन्दी करना है, चकबन्दी समिति यूनानिमसली कहती है कि खलियान को जमीन न जाय तो वह उनकी मर्जी के खिलाफ क्यों करेगा। फिर आप यह चीज अफसरों पर क्यों डालते हैं, क्यों नहीं गांव के लोग, अगर जरूरत समझते हैं, तो जमीन छोड़ते? सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? यह देश बहुत दिन तक गरीब रहा, अंग्रेजों के अधीन रहा, सब के दिल में आग है कि एक खूबसूरत तस्वीर देश की बने, गरीबी मिटे, दौलत बढ़े, सब तरह का आराम लोगों को हो जाय लेकिन हम चाहते हैं कि यह सब कानून के द्वारा हो जाय और देश को बनाने का स्वप्न पूरा हो जाय, लेकिन देश की तरक्की के लिये हमें सब को मेहनत करना होगी और ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी की भी आवश्यकता होगी और उस चीज को कोई कानून या राज्य कर्मचारी पैदा नहीं कर सकते, यह हमारी सब की जिम्मेदारी है और जिसका परिचय हमें अपने क्षेत्रों में देना है। जो कुछ भी नतीजा निकलेगा वह हमारे अमल और चलन से निकलेगा दूसरों पर भरोसा करने से नहीं। यह हो जाय, वह हो जाय, कानून यह बना दें, इससे काम नहीं चलता, हमें स्वयं अमल। मेहनत, चलन और ईमानदारी से सब कुछ करना होगा।

एक बात और कही गयी कि चकबन्दी के खर्च में कमी होनी चाहिये। हमने भी माना कि खर्च कम होना चाहिये, लेकिन जैसा कि मैंने परसों अर्ज किया था कि इसी उद्देश्य से तो और इसी के लिये दफा ८ और १२ को एक किया गया है और इसी के लिये आर्बिट्रेशन का जो प्राविजन था, पंचायत के सम्बन्ध में, वह भी निकला गया है और एक संशोधन भी इसी में आ रहा है जिसे हम मंजूर करने जा रहे हैं, जिसमें अपील की म्याद को ३० दिन की जगह २१ दिन किया जा रहा है ताकि ९ दिन बच जायं और कास्ट सेव हो जाय। तमाशा यह है कि जो सुझाव दिये जाते हैं वे तो काम बढ़ाने के लिये दिये जाते हैं और साथ ही कहा जाता है कि खर्च घटे तो यह कैसे हो? यह नक्शा भी तैयार हो जाय, वह भी तैयार हो जाय, मैं तो पंजाब नहीं गया, मैंने वहां की चकबन्दी नहीं देखी, लेकिन हमारे जो विशेषज्ञ हैं वे गये भी हैं और दूसरी जगहों के कानून

भी देखें हैं उनका यही कहना है कि वहां जितने फार्म भरे जाते हैं, जितने खाने हैं, उनकी खानापूरी होती है जाब्ते के लिये वह इतना समय लेने वाली है कि हमारे कानून में ऐसी चीज कहीं नहीं है। फिर भी जो सुझाव आयेंगे एक नामी के लिये तो उन को स्वीकार किया जायगा।

यह भी कहा गया कि सोना बना लिया वकीलों ने, इसका हमारे पास क्या इलाज है? उनको कौन रोके? वह कैसे रुकें? वह तो यहां भी नहीं रुकते। वकीलों को तो वहां जाने से हम कांस्टीट्यूशनली भी नहीं रोक सकते अगर किसान ले जाना चाहे, किसान को जरूरत नहीं भी हो, लेकिन वह ले जाते हैं। उनका सुझाव था कि तहसील में ही ऐसे मुकदमें हों। एक-एक जगह दस-दस ए० सी० ओज० और सी० ओ० हैं हमने तो उनको किसानों की सहूलियत के लिये ही कर दिया है कि वह अपने-अपने हल्कों में रहें। माननीय शिवराज सिंह कहते हैं कि अपना बस्ता बांध कर वह तहसील में आया करें। उस हलके से ही किसान आ रहा है और उसी हलके में रहने वाला ए० सी० ओ० जा रहा है, क्योंकि कानून में यह लिख दिया गया है, जैसा कि आप चाहते हैं कि लिख दिया जाय कि तहसील में सुनवाई हो। उल्टा खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? कितने किसान वकील ले जाते हैं? मेरे ख्याल से सौ में पांच, लेकिन सौ के सौ को जाना पड़ेगा। तो मैं यह चाहता हूं कि इसमें समय नष्ट होगा और खर्चे में कोई कमी नहीं आयेगी। मुमकिन है कि जो लोग वकील नहीं करते उनकी परेशानी बढ़ जाय।

एक बात यह कही गयी कि "अण्डर डाग गैट्स नो बेनिफिट"। अध्यक्ष महोदय, माननीय रामदास फैजाबाद वाले हैं नहीं। उन्हें मौका नहीं मिला। अगर उन्हें मौका मिलता तो वह भी ऐसी बात कहते। पिछली दफा उन्होंने ऐसी बात कही थी कि साहब, जो गरीब किसान है उसका तो सत्यानाश हो रहा है, मर गये, डूब गये। वही बात शिवराज सिंह जी ने कही और उनका काम पूरा कर दिया। पहली दफा जब गवर्नर ऐड्रेस पर उन्होंने बात उठायी थी तो जवाब नहीं दे पाया था उसका जवाब दिये देता हूं। फैजाबाद में जिन किसानों के नाम दर्ज नहीं थे उनके नाम दर्ज किये ए० सी० ओ० ने। फिर उनके पुराने जमींदारों ने जिनसे जमीन ले रखी है, उन्होंने उनसे दरख्वास्तें दिलायीं कि हमारा कब्जा नहीं है। हमारे सेटिलमेंट अफसर को विश्वास था कि कब्जा उनका है। वह उनके पास गये, लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया कि है ही नहीं हमारा कब्जा। अध्यक्ष महोदय, आपने भी वकालत की है। अब बतलाइये क्या करे? अफसर नाम लिख दे? यह तो वह बात हुई कि "मुद्दई सुस्त और हाकिम चुस्त"। अगर नाम लिख देते हैं तो दूसरा फरीक रिट में चला जायगा। मेरे पास शिकायत आयी तो वह सेटिलमेंट आफिसर शायद बदल गये थे, दूसरे थे उनको फिर भेजा। उन्होंने बुलाकर पूछा तो फिर कोई राजी नहीं हुआ। अब क्या किया जाय? अगर्चे कनविक्शन था कि कब्जा उनका है, लेकिन मौके पर वह डिसऐग्री कर गये। कैसे उनकी सहायता हो सकती है? तो चकबन्दी में हुआ यह है और बस्ती के साहबान "विल बेयर मी आउट" कि जिनका नाम दर्ज नहीं था उनका दर्ज तो पहले से ही नहीं था। जिनके नाम दर्ज थे वह काटे नहीं गये और जिनके नाम दर्ज नहीं थे तो वह नहीं हुए। तो फैजाबाद में यह हुआ कि जिनके नाम दर्ज नहीं थे उनके फिर दर्ज नहीं हुए और साथ ही जिनके होने चाहिए थे उनके नहीं हो पाये, सबके। तो यह कहा जा सकता है कि चकबन्दी से फैजाबाद के किसानों ने उतना नफा नहीं उठाया जितना कि उठा सकते थे। बजाय यह कहने के यह कह दिया कि नुकसान हो गया। नुकसान तो हुआ रखा था, नाम पहले से थे ही नहीं। मौका मिला तो हक लेने से इन्कार कर दिया।

अब एक संशोधन जो इसमें है उसके मुतायल्लक कहा गया कि इसको न रखिये। मैं उसका कल जिक्र करूंगा, लेकिन वह है गरीब किसानों के मुताल्लिक। नुकसान होने वाली बात तो उसी तरह की है जिस तरह की कि भ्रष्टाचार वाली बात है। भ्रष्टाचार की बात कहना कि गरीबों को नुकसान हो रहा है। खास तौर से किसान मजदूरों का नुकसान हो रहा है। यह हो सकता है कि कहीं कुछ हुआ हो, लेकिन आम पिक्चर यह नहीं है कि गरीबों का नुकसान हुआ हो। आमतौर पर पिक्चर यह है कि फायदा हुआ है।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी कि हरिजनों को आबादी के लिये जमीन मिलनी चाहिये। वह महीलाल जी ने कहा था। उस सिलसिले में क्लाज १० और २६ है। क्लाज १० में है कि "चकबन्दी क्रियाओं के अधीन प्रत्येक कटक के संबंध में सहायक चकबन्दी अधिकारी चकबन्दी समिति के परामर्श से एक विवरण तैयार करेगा (जिसे यहां आगे 'सिद्धांतों का विवरण' कहा गया है) जिसमें वे सिद्धांत लिखित होंगे जिनका अनुसरण कटक में चकबन्दी क्रियाओं के करने में किया जायगा।

सिद्धांतों के विवरण में निम्नलिखित भी होंगे--

(क) क्षेत्रों के ब्योरे, जहां तक वे इस स्तर पर निश्चित किये जा सकें, जो आबादी के प्रसार के लिये, जिसके अन्तर्गत कटक के हरिजनों और भूमिहीन व्यक्तियों के लिये आबादी के स्थल भी हैं, तथा अन्य ऐसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये, जो नियत किये जायं, विनिर्दिष्ट हों,"

अध्यक्ष महोदय, लीगल जो हमारे एडवाइजर्स हैं उन्होंने कहा इसमें यह है कि जमीन जरूर रखी जाय। "शैल" लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। अब अगर २ बिस्वा ही रख दी तो कानून का मंशा तो पूरा हो गया। मैंने यह कहा कि इसमें ऐसा करदो कि इतना रकबा छोड़ा जायगा जितना कि ए०सी०ओ० निश्चित करें उनकी जरूरत को देख कर। उन्होंने बतलाया कि इसमें अल्फाज है "इन कंसल्टेशन विद्" । इसका मतलब यह है कि यह इलाज नहीं है। वह न मानें तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस चले जायेंगे। कानूनी तौर से यह रखा गया है कि सहायक चकबन्दी अधिकारी जो होगा वह केवल उनसे मशविरा करेगा, लेकिन जितनी उसके जहन में जरूरी जमीन है उतनी वह छोड़ेगा।

दूसरी दिक्कत महीलाल जी ने यह बतायी कि गांव समाज को जमीन दे रहे हैं तो गांव समाज देगा नहीं। दफा २६ में साफ कर दिया गया है "सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित्त दी गई भूमि धारा २४ के अधीन विज्ञापित दिनांक से गांव समाज में निहित होगी और ऐसे प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होगी जिनके लिये वह चकबन्दी योजना में रखी गयी थी। लिहाजा जिन प्रयोजनों के लिये जमीन छोड़ी गई है उन्हीं के लिये गांव समाज उसे इस्तेमाल कर सकेगा दूसरे में नहीं कर सकेगा। लेकिन गांव समाज अगर गलती, बेईमानी करता है तो फिर इलाज क्या हो? कौन इन्तजाम करे? इसके लिये क्या राज्य कर्मचारियों को हमें कर्त्तव्यशील बनाना है? अगर गांव समाज गलती कर रहा है, जमीन का दुरुपयोग कर रहा है तो फिर गांव समाज के खिलाफ क्या इलाज है? तो इलाज कोई नहीं बतलाता। अध्यक्ष महोदय, खैर थोड़ा सा इलाज बिल में रख दिया गया है। वह बिल क्या आयेगा उसमें वह इलाज है।

एक बात यह कही गयी कि जो अलाभकर जोतें हैं उनसे खर्चा न लिया जाय और अलाभकर जोतें जो हैं वे ६ एकड़ से जो कम हैं वे सब अलाभकर जोतें हैं। गोरखपुर, बस्ती और प्रतापगढ़ में इस प्रकार ९५ प्रतिशत अलाभकर जोतें हैं। तो खर्चा कौन दे? यह तो हजार बार कहा जा चुका है कि इन्हीं सूखी हड्डियों में से तेल निकालना है। सारा टैक्स किसान और मजदूर से ही आ रहा है, उन्हीं के फायदे के लिये है। जितना खर्चा कि चकबन्दी में हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार उसका बहुत बड़ा हिस्सा बरदाश्त करेगी। गवर्नमेंट हिन्द भी हमको कुछ हिस्सा देगी, लेकिन कुछ किसान को भी उसमें देना है। जितना खर्चा वह देगा उसका १० गुना वह एक फसल में हो जायगा अगर समझदार किसान होगा तो।

अध्यक्ष महोदय, एक बात यह कही गयी कि रहट के लिये जमीन देनी चाहिये। गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देना चाहिये उस क्षेत्र के विकास के लिये जहां कि चकबन्दी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, एक बात जो माननीय महीलाल जी ने कही वह मुझे बिल्कुल मंजूर है और यह होना चाहिये। ११ जून को मैं गाजीपुर गया था। माननीय आत्माराम पांडेय

से मुझे शिकायत है कि वह बोले क्यों नहीं ? मुझे बड़ी खुशी हुई और हार्दिक प्रसन्नता हुई और मेरा-रोम रोम खिल गया वहां के किसानों की चकबन्दी को देखकर। इतनी अच्छी शायद बेहतरीन चकबन्दी उन्होंने की है। शायद इसलिये कह रहा हूं कि मेरी बात दूसरे सैटिलमेंट अफसरों के पास जायगी तो वह कहेंगे कि हमें दोयम कर दिया। वह भी अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं पर वह मुझे ज्यादा अच्छी मालूम हुई है।

मैंने प्लानिंग कमिश्नर से कहा है कि वह वहां जायं और देखें और प्लानिंग की जितनी एक्टीविटीज को केंद्रित कर सकते हों करें, चकबन्दी की व्यवस्था हो जाने के बाद तो लोगों को ज्यादा बैनीफिट होगा बनिस्बत दूसरे एरियाज के। हमारे प्लानिंग का लाभ बिखरे हुए खेतों वाले किसान उतना नहीं उठा सकते हैं जितना कि चकबंदी होने पर उठा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि केवल चकबन्दी के क्षेत्रों के लिये कुएं और रहट के लिये ८५ लाख रुपये की स्कीम बन गयी है। इसमें से ६५ लाख रुपया गोरखपुर, बस्ती फैजाबाद और गाजीपुर, इन चार जिलों के लिये ही रखा गया है और जो २३ जिले हैं उनके लिये २० लाख रुपया रखा गया है और इन चार जिलों में वह रुपया तकसीम भी कर दिया गया है और इन रुपयों के अलावा अलीगढ़, सुल्तानपुर मुरादाबाद, सादाबाद और मथुरा आदि के अधिकारियों को हम लिख चुके थे कि जितना रुपया तकाबी का मांगोगे वह हम देंगे। इसी सिलसिले में एक लाख रुपया बिलारी जिला मुरादाबाद में दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, जितनी तकाबी दी जाती है वह सब अच्छे कामों के लिये ही दी जाती है, लेकिन मेरी राय यह है कि कुएं बनाने के लिये तकाबी देना सब से अच्छा काम होगा। अब तक तकावी का सूद साढ़े पांच सैकड़े रुपया था, लेकिन कुओं तथा रहट के लिये हमने ४ प्रतिशत सूद कर दिया है और अन्य तकावियों का सूद ६ रुपये सैकड़ा कर दिया है। सवा चार प्रतिशत हम कर्ज लेते हैं सूद पर और रुपया सवा रुपया प्रतिशत ऐडमिनिस्ट्रेशन पर खर्च हो जाता है। इसलिये गवर्नमेंट कोई मुनाफा नहीं करती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाना है। कोई आर्थिक विकास हमारे प्रदेश का नहीं हो सकता है, कोई माली तरक्की हमारे सूबे की नहीं हो सकती है, हमारे सूबे का कोई इकोनोमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, जब तक कि हमारा ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऊंचा न हो और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये नहरों तथा ट्यूबवैल्स की आवश्यकता है। इनमें करोड़ों रुपया लग जाता है। जहां आवश्यकता है वहां बनने चाहिये, लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि जितने किसान कुएं बनाना चाहे उनको कुएं बनाने के लिये, गवर्नमेंट का फर्ज है कि और काम चाहे रोक ले, लेकिन कुएं बनाने के लिये रुपया दे।

एक तो यह हुआ। दूसरी बात यह है कि दस साल में यह रुपया वसूल किया जायगा और एक हजार रुपया तक दिया जा सकता है और ८०० रुपये बोरिंग और रहट के लिये दिये जा सकते हैं। एक दो किसान मिलकर जिनका एरिया ८ या १० एकड़ से ज्यादा हो उनको एक हजार रुपया कुओं तथा रहट के लिये दिया जायगा। जिन किसानों का एरिया ४ या ६ एकड़ है उनको कुएं बनाने के लिये ८०० रुपया दिया जायगा, रहट के लिये नहीं और दस साल में रुपया वसूल किया जायगा और सूद मैंने बतला दिया है कि सूद हमने सब से कम कर दिया है बल्कि गवर्नमेंट उसमें नुकसान उठायेगी। सीरदार को तकावी देने का हमारा नियम यह है कि उसकी जमीन के सर्किल रेट के दस गुने के बराबर दी जायगी। उसमें हमने सिर्फ कुएं के लिये, और तकावी के लिये नहीं, यह कर दिया है कि सीरदार को अपने सर्किल रेट के बीस गुना तक दी जायगी। यह बात नहीं है कि गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट का ध्यान है। मैं उनसे ऐग्री करता हूं कि हमारा ध्यान ज्यादा जाना चाहिये। केवल दो ही मिनट रह गये हैं और दो ही प्वाइन्ट रह गये हैं।

[श्री चरण सिंह]

मुझे अफसोस है कि मैं पूरी तकरीर माननीय मदनमोहन जी की नहीं सुन सका। दो बातें जो उन्होंने कहीं उसमें एक ही बात मैं समझ सका। मैं एक ही का जवाब दे रहा हूं। उनका कहना यह था कि स्वत्व और आगम वगैरह के जो झगड़े हैं वह राज कर्मचारियों के जो चकबन्दी के हैं उनके सुपुर्द न करके असिस्टेंट सेटिलमेंट आफिसर या ज्वाइंट सेटिलमेंट आफिसर तय करें और अपील कमिश्नर को जाय। उन्होंने शायद इस ख्याल से कहा होगा कि बड़ी गलतियां होती होंगी, लेकिन उनका खयाल गलत है। जितने माननीय मित्र हैं वह मेरी शहादत देंगे। जो शिकायतें चकबन्दी में आती हैं वह चक बनाने के सिलसिले में मेरी नोटिस में एक भी शिकायत यह नहीं आया कि जमीन रामस्वरूप जी की थी और दयाशंकर जी के नाम लिख दी गयी। मुमकिन है कि कुछ हुई हों, लेकिन मेरी नोटिस में नहीं आयीं।

श्री अध्यक्ष---अब आप कल भाषण जारी रखें।

श्री चरण सिंह---मैं खत्म करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष---इस पर राय कल ही ली जायगी।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक से लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२३ सितम्बर, १९५८।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४३ पर)

१८ सितम्बर, १९५८ तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों की सूची

जिले का नाम	स्वीकृत दूकानों की संख्या	जिले का नाम	स्वीकृत दूकानों की संख्या
१--अल्मोड़ा	१५३	२७--रामपुर	१७
२--गढ़वाल	१३७	२८--फर्रुखाबाद	२६
३--टेहरी-गढ़वाल	१४२	२९--मेरठ	७४
४--देहरादून ..	५५	३०--सहारनपुर ..	६९
५--नैनीताल ..	३६	३१--झांसी ..	३३
६--आजमगढ़ ..	२३८	३२--मथुरा ..	३७
७--बलिया ..	१६६	३३--मुरादाबाद ..	४०
८--बस्ती ..	२४५	३४--सीतापुर ..	१०
९--देवरिया ..	२५६	३५--उन्नाव ..	१०
१०--गाजीपुर ..	१७५	३६--मुजफ्फरनगर ..	३८
११--गोरखपुर ..	२२३	३७--बदायूं ..	१४
१२--जौनपुर ..	२३२	३८--अलीगढ़ ..	४१
१३--बाराणसी ..	२३७	३९--बुलन्दशहर ..	३६
१४--गोंडा ..	९५	४०--हरदोई ..	७
१५--बहराइच ..	१२	४१--शाहजहांपुर ..	१५
१६--मिर्जापुर ..	१५५	४२--इटावा ..	३०
१७--फैजाबाद ..	५४	४३--मैनपुरी ..	२९
१८--प्रतापगढ़ ..	३३	४४--बिजनौर ..	१४
१९--सुल्तानपुर ..	३०	४५--पीलीभीत ..	७
२०--बांदा ..	४७	४६--लखीमपुर खीरी ..	५
२१--फतेहपुर ..	२७	४७--रायबरेली ..	७
२२--इलाहाबाद ..	१४५	४८--बाराबंकी ..	१३
२३--कानपुर ..	१२०	४९--एटा ..	२४
२४--लखनऊ ..	१२०	५०--हमीरपुर ..	४
२५--आगरा ..	१११	५१--जालौन ..	४
२६--बरेली ..	३४		
		योग ..	३,८८२

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८५५ पर)

सन् १९५७-५८ में जिला मुरादाबाद की प्रत्येक तहसील को दिये गये कोयला का चूर के कोटे के वितरण का विवरण

नाम तहसील	कुल कोयला जो वितरण किया गया	प्राइवेट भट्ठे	सहकारी भट्ठे	सघन क्षेत्र के भट्ठे
	वैगन	वैगन	वैगन	
१--मुरादाबाद	१६६	७९	८७	सघन क्षेत्रों (Intensified Development Blocks) में कोई वर्गित भट्ठा न होने के कारण कोई कोयले की गाड़ी नहीं दी गयी। सघन क्षेत्रों में विकास योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेशीय सरकार द्वारा २०० गाड़ियों का एक अलग कोटा विकास अधिकारी खादी तथा ग्राम इंडस्ट्रीज कमीशन मंडी धनौरा को दिया गया है, जिसमें से ७४ गाड़ी कोयला आ चुका है तथा और आने की शीघ्र आशा है।
२--अमरोहा	१२८	८६	४२	
३--बिलारी	६८	३५	३३	
४--सम्भल	७४	४३	३१	
५--हसनपुर	११२	७८	३४	
६--ठाकुरद्वारा	१६	१६	--	
	५६४	३३७	२२७	

पी०एस० यू० पी० ए० पी० १८७ एल० ए०-१९५८-८४०।